

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2025—फाल्गुन 2, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2025

क्र. ई-1-21-2025-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भागसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	तालिका नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जे. एन. कांसोटिया (1989) महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल.

699

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री अनिरुद्ध मुकर्जी (1993), आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	-
3.	श्री सचिन सिन्हा (1995), प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर तथा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2) श्रीमती रश्मि अरूण शमी (1994) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2025

क्र. ई-1-241-2021-5-एक.—आवंटन वर्ष 2009 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 1,23,100-2,15,900/- (पे-मैट्रिक्स-13) में पदोन्नति प्रदान की गई है.

(2) राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जगदीश चन्द्र जटिया, भाप्रसे (2009), तत्कालीन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्राम विभाग (वर्तमान में सेवानिवृत्त) को उनके कनिष्ठ श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (2009) को स्वीकृत प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 1,23,100-2,15,900/- (पे-मैट्रिक्स-13) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है.

3. उपरोक्तनुसार काल्पनिक पदोन्नति अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2022 से श्री जगदीश चन्द्र जटिया, सेवानिवृत्त, भाप्रसे (2009) की सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक की अवधि उनके वेतन निर्धारण के लिए नियमानुसार मान्य होगी, किन्तु काल्पनिक पदोन्नति दिनांक 1 जनवरी 2022 से सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2022 की बीच की अवधि "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत अनुसार उन्हें, किसी प्रकार का एरियर देय नहीं होगा.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2025

क्र. ई-5-791-आयएस-लीव-5-एक.—श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे (2003), आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 28 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 8-9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे (2003), आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धनंजय सिंह भदौरिया, भाप्रसे, (2006) आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनंजय सिंह भदौरिया, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-609-आयएस-लीव-5-एक.—श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 13 से 19 फरवरी 2025 तक सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 12 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, (1989), कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अध्यक्ष कर्मचारी, चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे द्वारा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2025

क्र. GAD-6-0008-2025-GAD-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजय द्विवेदी, उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी.आर. कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-8843 (दो-1-4-2020) दिनांक 18 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 13 नवम्बर 2024 का एक दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र. एफ 1(ए) 185-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 30 से 31 जनवरी 2025 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1-2 फरवरी 2025 के विज्ञापित अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान निकोबार) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है :—

1. श्री गोविन्द प्रताप सिंह — स्वयं
2. श्रीमती निधि सिंह — पत्नी

(2) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे द्वारा अपनी सेवाकाल में साठ दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण का लाभ दिया जा चुका है। दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2025

क्र. एफ 1 (ए) 07-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (विसबल), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 30 दिसम्बर 2024 से 3 जनवरी 2025, तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28, 29 दिसम्बर, 2024 व 4-5 जनवरी 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (विसबल) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2025

क्र. एफ 1(ए) 17-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री डालूराम तेनीबार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 14 फरवरी 2025 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 फरवरी के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर के स्थान पर उत्तर-पूर्व की यात्रा अंतर्गत गंगटोक (सिक्किम) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1. श्री डालूराम तेनीबार — स्वयं
2. श्रीमती संपत तेनीबार — पत्नी

(2) श्री डालूराम तेनीबार, भापुसे की अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री शिवकुमार सिंह, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डालूराम तेनीबार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डालूराम तेनीबार, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डालूराम तेनीबार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डालूराम तेनीबार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2025

फा. क्र. 529-2025-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के निम्नांकित अधिकारियों की सेवाएं जिला न्यायाधीश (Inspection) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है :—

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	जिला न्यायाधीश (Inspection) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, इंदौर, जोन इंदौर में श्री पवन कुमार शर्मा के स्थान पर.
2.	श्री शरद भामकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना.	जिला न्यायाधीश (Inspection) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, जोन जबलपुर में श्री राजीव कुमार कर्महे की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2025 होने से उनके स्थान पर.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2025

फा. क्र. 526-इक्कीस-ब (एक)-2025.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 17(ई)-17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311-2019, दिनांक 4 मई, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे सारणी के कॉलम संख्या (3) में दर्शित जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को कॉलम संख्या (2) में दर्शित जिले और उसके अधीन आने वाले जिलों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिये न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनु. क्र.	जिला	जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"1.	इन्दौर	श्री उमेश कुमार पटेल, तीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर."

F. No. 526-XXI-B(1)-2025.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) and in light of this department's Notification F. No. 17(E)-17-2016-XXI-B(1)-2311-2019, dated 4th May, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 17th May, 2019 issued under sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Commercial Court, Act 2015 (4 of 2016), the State Government with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Judicial Officer of District Judge Level shown in column number (3) of the table below for the District shown in column number (2) and Districts falling under it, to be a judge, to deal with cases pertaining to commercial and financial disputes under sub-section (3) of Section 3 of the said Act, namely :—

TABLE

S. No.	District	Name of the Judge (District Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"1.	Indore	Shri Umesh Kumar Patel, XXX th District & Additional Sessions Judge, Indore."

फा. क्र. 526-इक्कीस-ब (एक)-2025.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त अधिनियम, की धारा 3-क के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 17(ई)-17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311-2019, दिनांक 4 मई, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे सारणी के कॉलम संख्या (3) में दर्शित जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को उसकी कॉलम संख्या (2) में दर्शित जिले और उसके अधीन आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिये वाणिज्यिक अपील न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्र. (1)	जिला (2)	जिला न्यायाधीश स्तर (3)
"1.	इन्दौर	श्री उमेश कुमार पटेल, तीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर."

F. No. 526-XXI-B(1)-2025.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016) and in light of this Department's Notification F. No. 17(E)-17-2016-XXI-B(1)-2311-2019 dated 4th May, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 17th May, 2019 issued under section 3-A of the said Act, the State Government with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designate the Judicial Officer at District Judge Level shown in column number (3) of the table below for the District shown in column number (2) thereof and District falling under it, to be a judge of commercial Appellate Court, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely :-

TABLE

S. No. (1)	District (2)	Judge- District Judge Level (3)
"1.	Indore	Shri Umesh Kumar Patel, XXX th District & Additional Sessions Judge, Indore."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2025

फा. क्र. 551-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2021 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी करने हेतु श्री यश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 30 नवम्बर 2024 से आगामी तीन माह की कालावधि के लिये विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री यश शर्मा के प्रत्येक माह के बिल का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र. यूडीएच-3-0078-2024-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ. आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक 4613-टीसी-27-धार-माण्डव-उपां-नगानि-2024, दिनांक 14 अक्टूबर 2024 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित माण्डव विकास योजना 2011 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम / तहसील एवं जिला	खसरा / सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ग्राम माण्डव तहसील पीथमपुर व जिला धार (म. प्र.)	710	6.348	6.348	प्रस्तावित संरक्षणीय भू-दृश्यीकरण, आमोद-प्रमोद के अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान एवं मार्ग.	पर्यटन सुविधायें एवं मार्ग (30 मीटर) (पुरातत्वीय स्थल और संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के निषिद्ध क्षेत्र एवं तत्पश्चात 200 मीटर के विनियमित क्षेत्र को छोड़कर).
			कुल रकबा	6.348	6.348	

शर्तें —

- (2) प्रश्नाधीन भूमि जहाज महल मार्ग से छप्पन महल की ओर जाने वाले 9.0 मीटर चौड़े वर्तमान मार्ग पर स्थित है. वर्तमान मार्ग की नियोजन की दृष्टि से प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर रखना आवश्यक होगा. अतः मार्ग के मध्य से दोनों ओर 15.00-15.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा.
- (3) माण्डव विकास योजना 2011 के अनुसार भारत सरकार सांस्कृतिक विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना द्वारा संरक्षित किये गये पुरातत्वीय स्मारकों की संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक तथा उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष नियम 1959 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र घोषित किया है. जिसके परिणामस्वरूप इस संरक्षित क्षेत्र की सीमा में खनन संकिया और संनिर्माण दोनो प्रतिबंधित रहेगे. इस संबंध में विकास एवं निर्माण के पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा.
- (4) माण्डव विकास योजना 2011 की सारणी-6-सा-10 अनुसार पर्यटन प्रोत्साहन परिसर में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग मान्य होंगे.
- (5) पर्यटन प्रोत्साहन परिसर के मापदण्ड माण्डव विकास योजना, 2011 के अनुसार मान्य होंगे एवं भवन की ऊंचाई 7.50 मीटर अनुज्ञेय होगी.
- (6) आवेदित स्थल के दक्षिण दिशा में तालाब स्थित है. अतः तालाब के किनारे से न्यूनतम 30.00 मीटर की दूर तक का क्षेत्र निर्माण हेतु निषिद्ध क्षेत्र रहेगा. तालाब के किनारे से 30.00 मीटर की दूरी में आवेदित भूमि को संरक्षणीय भू-दृश्यीकरण हेतु रखना आवश्यक होगा. इस सीमा के अन्तर्गत आने वाली वर्तमान संरचनाओं में किसी प्रकार की वृद्धि, परिवर्तन या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जावेगी.
- (7) परिसर जनित यातायात की पार्किंग व्यवस्था उपांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि के अन्दर किया जाना अनिवार्य होगा.
- (8) उपरोक्त उपांतरण माण्डव विकास योजना, 2011 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. यूडीएच-3-0071-2024-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत जावरा विकास योजना 2031 हेतु, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-3-50-2017-अठारह-5 भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2017 को निरस्त करते हुये जावरा विकास योजना (प्रारूप) 2041 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम की धारा 17 क (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था का नाम / पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, जावरा	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, रतलाम	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य (लोकसभा)	संसदीय क्षेत्र, मंदसौर	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, जावरा	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी / साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, जावरा	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, खेड़ाखेड़ी	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, रोझाना	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, भीमाखेड़ी	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, बोरदा	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, लूहारी	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, भूतेड़ा	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, लालाखेड़ा	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, आक्याबेनी	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, बाराखेड़ा	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, हरियाखेड़ा	सदस्य
	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला रतलाम	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रतलाम	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, रतलाम	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रतलाम	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया, नई दिल्ली	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजिनियर्स इण्डिया, कोलकाता	सदस्य
(झ)	समिति संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला उज्जैन.	समिति संयोजक

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2025

क्र. यूडीएच-3-0072-2024-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत मण्डीदीप विकास योजना 2031 हेतु मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-3-38-2013-बत्तीस भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013 को निरस्त करते हुये, मण्डीदीप विकास योजना (प्रारूप) 2041 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम की धारा 17 क (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था का नाम / पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका परिषद्, मण्डीदीप	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, रायसेन	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य (लोकसभा)	संसदीय क्षेत्र, विदिशा	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, भोजपुर	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी / साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, औबेदुल्लागंज	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, मण्डकासिया	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, हरई	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला रायसेन	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रायसेन	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल, औबेदुल्लागंज	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया, नई दिल्ली	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट आफ इंजिनियर्स इण्डिया, कोलकाता	सदस्य
(झ)	समिति संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन.	समिति संयोजक

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र. यूडीएच-3-0074-2024-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत राधौगढ़-विजयपुर विकास योजना (प्रारूप) 2041 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम की धारा 17 क (1)	पद नाम	संस्था का नाम / पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगर पालिका, राधौगढ़-विजयपुर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, राधौगढ़-विजयपुर	सदस्य
(ग)	सांसद	संसदीय क्षेत्र	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, राधौगढ़-विजयपुर	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(ड)	अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी / साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, राघौगढ़-विजयपुर	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, पगारा	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, दौराना	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, रूठियाई	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, कस्वा राघौगढ़	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, गाडरवाला	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, नारोनी	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, बैरखेड़ी	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, अजरौड़ा	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, विजयपुर	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, पाडरखेड़ी	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत, डोंगर	सदस्य
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत, बाबड़ीखेड़ा	सदस्य
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत, कोलुआ मैदानी	सदस्य
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत, भूमराखेड़ी	सदस्य
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत, अल्लीपुरा	सदस्य
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत, चैनपुरा	सदस्य
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत, गोपालपुरा	सदस्य
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत, हुसैनपुर	सदस्य
	19. सरपंच	ग्राम पंचायत, अहमदापुर	सदस्य
	20. सरपंच	ग्राम पंचायत, खिरिया	सदस्य
	21. सरपंच	ग्राम पंचायत, भरसूला	सदस्य
	22. सरपंच	ग्राम पंचायत, रसरामपुरा	सदस्य
	23. सरपंच	ग्राम पंचायत, बहादुरगढ़	सदस्य
	24. सरपंच	ग्राम पंचायत, नूरपुरा	सदस्य
	25. सरपंच	ग्राम पंचायत, लाडपुरा	सदस्य
	26. सरपंच	ग्राम पंचायत, करमाखेड़ी	सदस्य
	27. सरपंच	ग्राम पंचायत, बरखेड़ीमेंवती	सदस्य
	28. सरपंच	ग्राम पंचायत, बागनोलखा	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला गुना	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राघौगढ़-विजयपुर	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राघौगढ़-विजयपुर	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	वन मण्डलाधिकारी, राघौगढ़-विजयपुर	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स इण्डिया	सदस्य
(झ)	समिति	उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला गुना	समिति
	संयोजक		संयोजक

क्र. यूडीएच-3-0076-2024-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत ब्यावरा विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-3-123-2018-अठारह-5 भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018 को निरस्त करते हुये ब्यावरा विकास योजना (प्रारूप) 2041 हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम की धारा 17 क (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था का नाम / पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, ब्यावरा	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, राजगढ़	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य (लोकसभा)	संसदीय क्षेत्र, राजगढ़	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, ब्यावरा	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी / साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, ब्यावरा	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, कचनारिया	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, खुरी (सम्मिलित ग्राम खुरी, मोहनीपुरा)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, जमोन्या घाटा (सम्मिलित ग्राम जमोन्या घाटा, नयापुरा).	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, पडोनिया (सम्मिलित ग्राम तलावड़ा उर्फ चम्पापुर).	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, लोधीपुरा	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, चन्दरपुरा (सम्मिलित ग्राम चन्दरपुरा, उम्मेदपुरा).	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, हबीपुरा	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, नारियावे (सम्मिलित ग्राम नारियावे मोई).	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, मोया (सम्मिलित ग्राम मोया, चामारी)	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, खानपुरा (सम्मिलित ग्राम खानपुरा, अरनिया).	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत, बहादुरपुरा (सम्मिलित ग्राम बहादुरपुरा, मोतीपुरा, बालापुरा, सिडीघाट).	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला राजगढ़	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राजगढ़	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
	3. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजगढ़	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया, नई दिल्ली	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इन्स्टीट्यूट आफ इंजिनियर्स इण्डिया, कोलकाता	सदस्य
(इ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय-भोपाल.	संयोजक

क्र. यूडीएच-5-1-0003-2024-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत पांडुर्ना निवेश क्षेत्र की सीमाओं में वृद्धि कर संशोधित निवेश क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित करता है, पूर्व गठित पांडुर्ना निवेश क्षेत्र में नवीन 15 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की गई है:—

अनुसूची

पांडुर्ना निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में.—	मोहगांव, भंदागोंदी, बोरखेड़ी, गोदरीखापा, कामठीखुर्द, नीलकंठ ग्राम की उत्तरी सीमा तक
पूर्व में.—	नीलकंठ, मोरडोंगरी, पारडी ग्राम की पूर्वी सीमा तक
दक्षिणी में.—	पारडी, अम्बाड़ाखुर्द, मगजगांव, अम्बाखापा, कलमगांव ग्राम की दक्षिणी सीमा तक
पश्चिम में.—	कमलगांव, आजनगांव, वरजली, मोहगांव ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र. एफ-12-1-रा. स.-यू. ए.-5-2016.—जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 की उपधारा (1) के कंडिका (दस) के अंतर्गत भारतीय अनुसंधान परिषद्, दिल्ली द्वारा डॉ. एस. पी. दत्ता, डायरेक्टर, आई. सी. ए. आर.-आई.आई.एस.एस. भोपाल को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रमण्डल में सदस्य नामांकित किया गया है. अतः विश्वविद्यालय परिनिियम 22(अ)(1) के तहत नामांकन अधिसूचित किया जाता है.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्र.-सामान्य-1-2025-27.—सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004, संशोधित ज्ञाप दिनांक 1 सितम्बर 2018 एवं दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरुषों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरुषों एवं स्थानीय सम्माननीय नागरिकों, सेना, अर्द्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौंपे गये हैं।

जिलास्तरीय समिति द्वारा दिनांक 9 दिसम्बर 2024 को आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से शासकीय महाविद्यालय, गुलाना का नामकरण "भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय गुलाना" किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शासकीय महाविद्यालय गुलाना का नाम "भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय गुलाना" पढ़ा / लिखा जावे।

ऋजु बाफना, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 3 जनवरी 2025

क्र. 93-स्थापना-2024-25.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 की कंडिका चार के नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, संपूर्ण जिला हरदा की सीमा अन्तर्गत वर्ष 2025 के लिये निम्न 03 स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं:—

क्र.	दिनांक	दिन	त्यौहार जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित
(1)	(2)	(3)	(4)
1	19 मार्च 2025	बुधवार	रंगपंचमी
2	30 सितम्बर 2025	मंगलवार	महाष्टमी
3	23 अक्टूबर 2025	गुरुवार	भाईदूज

2. उपर्युक्त स्थानीय अवकाश बैंकों / कोषालयों / उप-कोषालयों पर लागू नहीं होगा।

आदित्य सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 9 जनवरी 2025

क्र. क-स.व.लि.-2025-4738.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के पालन में, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर, दमोह वर्ष 2025 के लिए निम्नलिखित दिनांकों के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र.	जिला	अवकाश दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दमोह	3 फरवरी 2025	सोमवार	बसंत पंचमी
2	दमोह	19 मार्च 2025	बुधवार	रंगपंचमी
3	दमोह	30 सितम्बर 2025	मंगलवार	दुर्गाष्टमी

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों / उप-कोषागारों एवं बैंकों को छोड़कर जिले में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों / संस्थाओं में लागू होंगे।

सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 14 जनवरी 2025

क्र. 32-सा.-2-2025.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास (म. प्र.) वर्ष 2025 के लिए देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शायी गई तिथियों के लिए निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

अ. क्र.	त्यौहार / स्थानीय अवकाश का नाम	स्थानीय अवकाश का दिनांक एवं वार	स्थानीय अवकाश का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	माँ नर्मदा जयंती पर्व (माँ नर्मदा जन्मोत्सव)	4 फरवरी, 2025 मंगलवार	खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
2	रंगपंचमी	19 मार्च, 2025 बुधवार	देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, बागली सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
3	नागपंचमी	29 जुलाई, 2025 मंगलवार	सतवास सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र
4	डोलग्यारस	3 सितम्बर, 2025 बुधवार	बागली, कनौद सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
5	दशहरा (महाष्टमी)	30 सितम्बर, 2025 मंगलवार	खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र एवं कनौद सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र.
6	महानवमी (दुर्गा नवमी)	1 अक्टूबर, 2025 बुधवार	टोंकखुर्द, बागली सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
7	दशहरे का दूसरा दिन	3 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार	देवास, सोनकच्छ सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
8	भाईदूज	23 अक्टूबर, 2025 गुरुवार	देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, कनौद, खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र.

उपरोक्त घोषित स्थानीय अवकाश कोषागारों / उप-कोषागारों पर लागू नहीं होंगे.

ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 7 जनवरी 2025

क्र. 04-एस. सी. 1-2025.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है.

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक-4 की कण्डिका-8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, पार्थ जैसवाल, कलेक्टर, छतरपुर वर्ष 2025 के लिये छतरपुर जिला अंतर्गत निम्न त्यौहारों पर उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

स. क्र.	त्यौहार / पर्व	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मकर संक्रांति/पोंगल	14 जनवरी 2025	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला
2	दशहरा (महानवमी)	1 अक्टूबर 2025	बुधवार	सम्पूर्ण जिला
3	भाई दोज (दीपावली)	23 अक्टूबर 2025	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला

पार्थ जैसवाल, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 24 जनवरी 2025

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र.-199-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) शिवपुर	(4) 0.5740	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग सतना (म. प्र.)	(6) छींदा, शिवपुर, निपनिया, उजरींथा, सेमरी, व्हाया, रैगाँव मार्ग (माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा) हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 फरवरी 2025

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0014-अ-82-2024-25-2232.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	लाड़नपुर	2.4871	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0014-अ-82-2024-25-2233.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 24 दिसम्बर 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम लाड़नपुर, पटवारी हल्का नं. 94, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 2.4871 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	94	लाड़नपुर	2.4871	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0018-अ-82-2024-25-2235.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 14 अगस्त 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम जीरवन, पटवारी हल्का नं. 115, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.7250 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	115	जीरवन	1.7250	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0017-अ-82-2024-25-2236.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 14 अगस्त 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम पांचबैड़ी, पटवारी हल्का नं. 114, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.1500 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	114	पांचबैड़ी	0.1500	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0017-अ-82-2024-25-2237.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	पांचबैड़ी	0.1500	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0012-अ-82-2024-25-2238.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 16 अगस्त 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम फतेहपुर, पटवारी हल्का नं. 94, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.1090 हेक्टर. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निर्माकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	94	फतेहपुर	0.1090	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0012-अ-82-2024-25-2239.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	फतेहपुर	0.1090	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0018-अ-82-2024-25-2234.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	जीरवन	1.7250	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0016-अ-82-2024-25-2240.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 14 अगस्त 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम सिंगोट, पटवारी हल्का नं. 116, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.1000 हेक्टर. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	116	सिंगोट	0.1000	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0016-अ-82-2024-25-2241.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खण्डवा	खण्डवा	सिंगोट	0.1000	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.
				अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0011-अ-82-2024-25-2246.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 24 दिसम्बर 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी, पटवारी हल्का नं. 80, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.2600 हेक्टर. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	80	खण्डवा तरफ कुन्बी	0.2600	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0006-अ-82-2024-25-2242.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 23 नवम्बर 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम पिपलोदखास, पटवारी हल्का नं. 126, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.8670 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक प्रयोजना के निर्मांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	126	पिपलोदखास	1.8670	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0006-अ-82-2024-25-2243.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	पिपलोदखास	1.8670	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0013-अ-82-2024-25-2244.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 16 अगस्त 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम भीलखेड़ी मुरार, पटवारी हल्का नं. 94, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.6570 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	94	भीलखेड़ी मुरार	0.6570	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0013-अ-82-2024-25-2245.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	भीलखेड़ी मुरार	0.6570	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0015-अ-82-2024-25-2248.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 14 अगस्त 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम दीपला, पटवारी हल्का नं. 104, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.6470 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	104	दीपला	1.6470	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0015-अ-82-2024-25-2249.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	दीपला	1.6470	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0007-अ-82-2024-25-2249.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	विश्रामपुर	2.5670	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0009-अ-82-2024-25-2251.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	भुतनी रैयत	2.8540	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0007-अ-82-2024-25-2250.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 23 नवम्बर 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम विश्रामपुर, पटवारी हल्का नं. 135, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 2.5670 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	135	विश्रामपुर	2.5670	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0009-अ-82-2024-25-2252.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 23 नवम्बर 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम भुतनी रैयत, पटवारी हल्का नं. 142, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 2.8540 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निर्मांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	142	भुतनी रैयत	2.8540	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0008-अ-82-2024-25-2253.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	गुड़ीखेड़ा	0.8425	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-2254-भू-अर्जन प्र. क्र.-0008-अ-82-2024-25.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 23 नवम्बर 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम गुड़ीखेड़ा, पटवारी हल्का नं. 141, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.8425 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निर्माकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	141	गुड़ीखेड़ा	0.8425	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन-प्र. क्र.-0010-अ-82-2024-25-2255.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	गुजरीखेड़ा	0.2880	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2024-भू-अर्जन प्र. क्र.-0010-अ-82-2024-25-2256.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर से पत्र क्रमांक Dy-CE-AK-AMX-Knw-land-khandwa दिनांक 23 नवम्बर 2023 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम गुजरीखेड़ा, पटवारी हल्का नं. 145, तहसील खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.2880 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	145	गुजरीखेड़ा	0.2880	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2024

प्र. क्र. 0051-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. एम. सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	भितरियां	91.7890	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर.	अवनी परिधि मांनिंग एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. हैवलॉक रोड, लखनऊ (उ. प्र.) पिन-226001 (एम सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना).

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0052-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. एम. सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
छतरपुर	लवकुशनगर	भड़ार	48.975	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर.	अवनी परिधि मॉनिग एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. हैव्लॉक रोड, लखनऊ (उ. प्र.) पिन-226001 (एम सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना).

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पार्थ जैसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 जनवरी 2025

प्र. क्र. 22-अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	पन्ना	भवानीपुर	निजी भूमि रकबा 19.798 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 24.1135 हे. कुल रकबा 43.9115	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जमुनिया सेहा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण डूब एवं नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम भवानीपुर तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

क्र. 23-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	इटहाई	0.001	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 26-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	पाईकन गाँव	0.008	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 29-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	बरहा	0.001	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.)	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 32-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	मझिगंवा	0.003	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.)	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 35-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	दुबगंवा 2	0.002	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 41-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	दुबगंवा 1	0.001	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 38-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	गहिरा	0.003	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 47-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	मझिगंवा	0.003	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 44-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	चिल्ल	0.007	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 50-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	सरई सेंगर	0.008	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 53-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	सेनुआ	0.007	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 56-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	संधी	0.003	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 59-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	जोरौट	0.015	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 62-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	नईगढ़ी	बैजला	0.007	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 65-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	डिघौल	0.005	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 68-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	चन्द्रमहली	0.006	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 71-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	पिपरा	0.008	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 74-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	पन्नी	0.010	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 77-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	बैराठपुर	0.001	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 80-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	शिवपुरा नेबुहा	0.003	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 83-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	चितई पुरवा	0.001	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 86-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	सेमरिया मु.गो.	0.001	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 89-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	रीठी	0.002	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 92-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा (1) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	सेमरिया	0.002	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 95-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मरुगंज	मरुगंज	बेलहाई	0.002	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मरुगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मरुगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 98-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग	धारा (1) 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मरुगंज	मरुगंज	डगडौवा	0.005	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र.).	डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मरुगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मरुगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-15-1-2021-सात-शा.7

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (7) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित पूर्व वन ग्राम के अनुसूची कालम नंबर (5) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निर्वनीकरण कर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की गई है अतः राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (ब-5) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित हस्तान्तरित वन ग्राम को कालम क्रमांक (4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करती है :-

अनुसूची
जिला- नर्मदापुरम

क मां क	पूर्व वनग्राम का नाम /वन परिक्षेत्र	तहसील	नवीन राजस्व ग्राम का नाम	वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तान्तरित क्षेत्रफल (हे०) में	वनग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाएं				वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी म०प्र० शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	
1	2	3	4	5	6				7
1	पोडार (घोघरा)	इटारसी	नया पोडार	240.000	सहेली	कास्दा रैयत	हिरण चापडा	कास्दा रैयत	क्रमांक 15-11/2020/10-2 दिनांक 27.5.2021
2	मल्लपुरा (कास्दा)	इटारसी	नया मल्लपुरा	40.000	साकई	बैतूल	एन. एच.69	रेल्वे एवं कालाआ खर की जमीन	क्रमांक 15-11/2021/10-2 दिनांक 21.9.2021
3	खामदा भाग-1 (पहनतला)	माखन नगर	नया खामदा भाग-1	41.600	नया जाम	जंगल सरकार	कांकड ीएवं जाम की भूमि	कांसिया का मेढा	क्रमांक 15-11/2021/10-2 दिनांक 16.9.2021
4	मालनी भाग-5 (पहनतला)	माखन नगर	नया मालनी भाग-5	58.400	डोल रिया खुर्द	रोड	अंजन ढाना	कांसिया का मेढा	क्रमांक 15-11/2021/10-2 दिनांक 16.9.2021
5	नया झालई भाग-1 (नीलगढ़)	इटारसी	नया झालई भाग-1	67.000	साकई	जमानी	मांदी खोह	झालई गांव	क्रमांक /2503/829168/2022 /10-3 दिनांक 26.12. 2022
6	सुपलई भाग-3	माखन नगर	नया सुपलई भाग-3	100.000	मोहगा व	जंगल (शास.)	माना	जंगल (शास.)	क्रमांक /2503/829168/2022 /10-3 दिनांक 26.12. 2022
7	मल्लपुरा भाग-3 (बागड़ा)	माखन नगर	नया मल्लपुरा भाग-3	66.000	नया धाई	वन कक्ष क० 193	धमनि या	डोभ	क्रमांक /2503/829168/2022 /10-3 दिनांक 26.12. 2022

क मां क	पूर्व वनग्राम का नाम/वन परिक्षेत्र	तहसील	नवीन राजस्व ग्राम का नाम	वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तान्तरि रत क्षेत्रफल (हे०) में	वनग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाएं				वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी म०प्र० शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	
1	4	3	6	5	6				8
8	सुपलई भाग-1 (खोरी)	इटारसी	नया सुपलई भाग-1	50.000	महेन्द्र वाडी	पी०एफ ०/179 वनक्षेत्र	पी०एफ ०/179 वनक्षेत्र	टांगना	कमांक /2503/829168/2022 /10-3 दिनांक 26.12. 2022
9	सुपलई भाग-2 (खोरी)	इटारसी	नया सुपलई भाग-2	110.000	पारछा	पी०एफ ०/174 वनक्षेत्र	टांगना	हथेड़ नदी	कमांक /2503/829168/2022 /10-3 दिनांक 26.12. 2022
10	खामदा भाग - 3 (खोरी)	इटारसी	नया खामदा भाग - 3	87.000	अमाड़ा	टांगना	खटामा	महेन्द्र वाडी	कमांक /2503/829168/2022 /10-3 दिनांक 26.12. 2022
11	माना भाग-2 (खोरी)	इटारसी	नया माना भाग-2	270.000	जमानी	जमानी	जमानी	जमानी	कमांक एफ-15-13-2020-दस-2 दिनांक 08.7.2022
12	मालनी भाग - 2 (खोरी)	इटारसी	नया मालनी भाग - 2	285.700	अमाड़ा	टांगना	खटामा	महेन्द्र वाडी	कमांक /2503/829168/2022 /10-3 दिनांक 26.12. 2022
13	सुपलई भाग - 4	इटारसी	नया सुपलई	79.800	अमाड़ा	टांगना	खटामा	महेन्द्र वाडी	कमांक /2503/829168/2022 /10-3 दिनांक 26.12. 2022

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौतम सिंह, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-0105-अ-82-2023-24

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि/भवन/परिसंपत्तियों के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित आबादी भूमि पर स्थित भवन/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त पर स्थित भवन/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि/भवन/परिसंपत्तियों का वर्णन

(क) जिला- छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम-सुकवाहा

(ख) तहसील- सटई
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 34042.301 वर्ग मी. में

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
1	ऊदल सिंह तनय गनपत सिंह	550/1	कच्चा कवेलू	48.62	-
			कच्चा कवेलू	40.04	-
			कच्चा कवेलू	49.44	-
			पक्का RCC	32	-
2	डिलन सिंह तनय ऊदल सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	22.2	-
3	गनपत सिंह तनय मूरत सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/आम-2	4	-
			कच्चा कवेलू	15	-
			कच्चा कवेलू	18	-
			पक्का RCC	32	-
4	ज्ञान सिंह तनय गनपत सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	36	-
5	रणधीर सिंह तनय हनुमत सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल/पलाश-1, नीम-1	31.5	-
			पक्का RCC	32.39	-
			कच्चा कवेलू	13.68	-
			कच्चा कवेलू	6	-
			कच्चा कवेलू	10.58	-
6	ठाकुर सिंह तनय हनुमत सिंह	550/1	कच्चा कवेलू/सागौन-3, केथी-1	43.71	-
			पक्का RCC	32	-
			कच्चा कवेलू	12.928	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलु/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
7	माहिप सिंह तनय हनुमत सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु/मुनगा-1	13.68	-
			पक्का RCC	32	-
8	मोहन सिंह तनय हनुमत सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु/मुनगा-1	45	-
			कच्चा कवेलु	20.8	-
			कच्चा कवेलु	33.6	-
9	मकुद सिंह तनय आनंद सिंह	500	पक्का RCC/बेर-2	32.39	-
			कच्चा कवेलु	23.7	-
10	गुलाब सिंह तनय मुकुद सिंह	500/3	कच्चा कवेलु	28.6	-
			कच्चा कवेलु	17.1	-
11	धनू सिंह तनय मुकुद सिंह	500/3	कच्चा कवेलु	16.5	-
			कच्चा कवेलु	13.75	-
12	प्रीतम सिंह तनय मुकुद सिंह	500/3	कच्चा कवेलु	22	-
13	विजय सिंह गांड तनय रणधीर सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	37	-
			कच्चा कवेलु	23.68	-
			पक्का RCC	32	-
14	इंदल सिंह गांड तनय अनरत सिंह	502	कच्चा कवेलु/बेर-1	48.6	-
			कच्चा कवेलु	32.68	-
15	नेपाल सिंह तनय अनरत सिंह	502	कच्चा कवेलु	30.485	-
16	शान सिंह गांड तनय अनरत सिंह	502	कच्चा कवेलु	13	-
			टीनशेड	33.215	-
			टीनशेड	10.66	-
17	नत्यू सिंह तनय सुम्भर सिंह	502	पक्का RCC/आम-1, बबूल-1, मुनगा-1	38	-
			कच्चा कवेलु	20	-
			कच्चा कवेलु	24	-
18	रविन्द्र तनय नत्यू सिंह	502	कच्चा कवेलु	57.6	-
			कच्चा कवेलु	19.2	-
19	हुकम सिंह तनय नत्यू सिंह	502	कच्चा कवेलु	33.75	-
20	अमान सिंह तनय जालम सिंह	502/3	कच्चा कवेलु दो मंजिल	36	-
			सीटिक टेक	14	-
			टीनशेड	23.76	-
21	मान सिंह तनय राम सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	29.44	-
			कच्चा कवेलु	7.77	-
			पक्का RCC	32	-
22	सुजान सिंह तनय सोवत सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु दो मंजिल	62.1	-
23	वीरेंद्र सिंह तनय मान सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	59.28	-
24	रघुनाथ सिंह तनय मान सिंह	404/1/1/1/1	पक्का RCC/नाम-1	24.5	-
25	खुमान सिंह तनय मान सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु/जंगल जलेबी-1	36.45	-
			कच्चा कवेलु दो मंजिल	26	-
26	देवी सिंह गांड तनय करन सिंह गांड	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	104.37	-
			कच्चा कवेलु	15.08	-
27	गाोविन्द सिंह गांड तनय सरदार सिंह	475	पक्का RCC/नाम-1, सिरसा-1, सागौन-1	75.64	-
			कच्चा कवेलु	29.25	-
28	लालू सिंह गांड तनय गाोविन्द सिंह	477	पक्का RCC/आम-1, अमरुद-1	38.13	-
			कच्चा कवेलु	46.2	-
29	वीर सिंह तनय गाोविन्द सिंह	552/7	कच्चा कवेलु	45.5	-
			कच्चा कवेलु	4	-
30	हीरा अहिंरवार तनय महदवा अहिंरवार	477	कच्चा कवेलु	20	-
31	पुत्रा अहिंरवार तनय दलपतिया	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	41.6	-
			कच्चा कवेलु	6.9	-
			पक्का RCC	33.6	-
32	दरयार सिंह गांड तनय सरदार सिंह	477	कच्चा कवेलु/अमरुद-3, मुनगा-2, आम-1	36	-
			कच्चा कवेलु दो मंजिल	98.8	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
33	दीना पाल तनय परसदवा	378	कच्चा कवेलू	23.76	-
			पक्का RCC	42.57	-
34	राजेंद्र सिंह गौड तनय माहिप सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	29.7	-
			कच्चा कवेलू	31.24	-
35	रामहेत तनय बेजनाथ पाल	382	कच्चा कवेलू	24.6	-
			पक्का RCC	36.9	-
36	भीला पाल तनय बाबूलाल पाल	378	टीनशेड	74	-
			कच्चा कवेलू	23.6	-
37	बाबूलाल पाल तनय छिंदिया पाल	378	कच्चा कवेलू	47.5	-
			सीटिक टैंक	14	-
			टीनशेड	74	-
38	कामल तनय बाबूलाल पाल	382	कच्चा कवेलू	37.5	-
			टीनशेड	37	-
39	बालाकेशन तनय बाबूलाल पाल	378	कच्चा कवेलू दो मंजिल	25.6	-
			कच्चा कवेलू	15.34	-
40	मदधू यादव तनय नथुवा, वीरेंद्र तनय मदधू यादव, प्रभु तनय मदधू यादव, राजेश तनय मदधू यादव	382	कच्चा कवेलू	52	-
			कच्चा कवेलू	52	-
			पक्का RCC	48	-
41	मातीलाल पटेल तनय नत्थू पटेल, नरेंद्र पिता मातीलाल पटेल	382	टीनशेड	35.1	गैर रिहाशायी
			कच्चा कवेलू	21	-
42	आशाराम पटेल तनय प्यारेलाल	382	टीनशेड	35.1	गैर रिहाशायी
			कच्चा कवेलू	21	-
43	भूपत सिंह तनय देव सिंह	475	कच्चा कवेलू	30.4	-
			कच्चा कवेलू	22.02	-
44	बिहारी पाल तनय दीना पाल, जगदीश पाल तनय बिहारी पाल	382	कच्चा कवेलू दो मंजिल	49.5	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	52.5	-
			कच्चा कवेलू	28	-
			कच्चा कवेलू	28.6	-
45	महेश तनय अनंत सिंह	475	कच्चा कवेलू	16	-
			कच्चा कवेलू	22.02	-
46	अजुन पाल तनय बिहारी पाल	382	कच्चा कवेलू	75.21	-
			कच्चा कवेलू	40	-
47	दयाराम पाल तनय परमलाल पाल	382	कच्चा कवेलू/बरगद-1	40.47	-
			पक्का RCC	27	-
			कच्चा कवेलू	56.8	-
48	श्यामलिया तनय रामदीन अहिरवार	404/1/1/1/1	पक्का RCC	47.068	-
49	संजु तनय नोनी अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	40.18	-
50	शिवदयाल अहिरवार तनय रमदीना	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	24.79	-
			कच्चा कवेलू	68	-
51	मूलचंद तनय शिवदयाल अहिरवार	382	कच्चा कवेलू	25.85	-
52	राजू तनय शिवदयाल अहिरवार	382	कच्चा कवेलू	13.63	-
53	रामलाल तनय अमना अहिरवार, राहुल तनय रामलाल अहिरवार	404/1/1/1/1	पक्का RCC	40.455	-
54	अरविन्द सौर तनय दीनदयाल सौर	480	कच्चा कवेलू	45.15	-
			कच्चा कवेलू	21	-
55	शंकरू तनय अमना अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	31.68	-
			पक्का RCC	42.8475	-
56	मातीलाल अहिरवार तनय जमना	404/1/1/1/1	टीनशेड/बर-1	25.48	-
57	मोहनलाल तनय हरिया अहिरवार	382	कच्चा कवेलू	19.35	-
58	ब्रजेश तनय जमना अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	23.03	-
			कच्चा कवेलू	21.5	-
59	कामल तनय सरमन अहिरवार	404/1/1/1/1	टीनशेड/बर-1	44.2	-
			टीनशेड	15.37	-
60	काशीराम सौर तनय गनपत सौर	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	33.75	-
			कच्चा कवेलू	25.74	-
			कच्चा कवेलू	25.2	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलु/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
61	मथुरा तनय बल्ला अहिरवार, मुकेश तनय मथुरा अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु दो मंजिल/ नीम-1	36	-
			कच्चा कवेलु	36	-
62	भागचन्द तनय नयू यादव	382	कच्चा कवेलु/नीम-1	58.88	-
			कच्चा कवेलु	40	-
			पक्का RCC	40.85	-
63	कल्लू तनय अजुदया पाल, रामोतार पाल तनय कल्लू, आशापाल पिता कल्लू, उषा पाल पिता कल्लू, नेहा पाल पिता कल्लू	475	कच्चा कवेलु दो मंजिल	49.72	-
			कच्चा कवेलु	17.2	-
			कच्चा कवेलु	48.51	-
			कच्चा कवेलु	29.52	-
64	मिलन पाल तनय विष्णु पाल	477	पक्का RCC	36.12	-
			पक्का RCC	33.97	-
			कच्चा कवेलु	40.5	-
			कच्चा कवेलु	49.2	-
65	खुंकिया पाल तनय विष्णु पाल	382	कच्चा कवेलु दो मंजिल	26.84	-
			सीटिक टैक	14	-
			कच्चा कवेलु	56	-
66	कमलेश तनय मुन्नी लाल बंसल	288	कच्चा कवेलु	44.73	-
67	स्वामी तनय छिंदिया पाल	477	पक्का RCC	30.97	-
			टीनशेड	24.45	-
			कच्चा कवेलु	20.375	-
68	बदूलाल तनय चौटा पाल, पुजारी तनय बदूलाल पाल, सीताराम तनय बदूलाल पाल	475	कच्चा कवेलु/नीम-1, चिरोल-1	32	-
			कच्चा कवेलु	32	-
			पक्का RCC	41.2	-
69	रामसवक तनय बदूलाल पाल	475	पक्का RCC	41.2	-
70	रमेश तनय पुन्ना अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	30	-
			कच्चा कवेलु	10.5	-
			कच्चा कवेलु	10.5	-
71	बुनाबाई पाते बखत सिंह	475	कच्चा कवेलु	20.74	-
			कच्चा कवेलु	39.13	-
			कच्चा कवेलु	6	-
72	शंकर पाल तनय छिंदिया पाल, गोवर्दी तनय शंकर पाल	382	पक्का RCC	34.8	-
			कच्चा कवेलु	41.28	-
			कच्चा कवेलु	31.39	-
			कच्चा कवेलु	23.73	-
73	विद्रावन पाल तनय शंकर पाल	382	कच्चा कवेलु	22.8	-
			कच्चा कवेलु	31.05	-
			कच्चा कवेलु	46.8	-
74	नोनी अहिरवार तनय रामदोन	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	24.2	-
			कच्चा कवेलु	14.85	-
			कच्चा कवेलु	2	-
			कच्चा कवेलु	42.66	-
75	सरजू पाल तनय स्वामी पाल	382	पक्का RCC	68.89	-
			कच्चा कवेलु	13	-
76	आशाराम पाल तनय स्वामी पाल	382	कच्चा कवेलु	48.4	-
			कच्चा कवेलु	26	-
77	राजाराम पाल तनय स्वामी पाल	382	कच्चा कवेलु	50.75	-
			कच्चा कवेलु	27.6	-
78	हीरालाल तनय स्वामी पाल	382	कच्चा कवेलु	50.75	-
			कच्चा कवेलु	37.05	-
79	सुनीता पाते मकुन्दी पाल	382	कच्चा कवेलु	37.05	-
80	हीरा रकवार पाते महादेव रकवार	382	कच्चा कवेलु/बैर-1	39.15	-
			कच्चा कवेलु	75	-
81	करण तनय भागीरथ रकवार	382	टीनशेड	39	-
82	बैजनाथ तनय गनपातिया पाल, शगुन पाल तनय बैजनाथ	382	कच्चा कवेलु/चिरोल-1	37.05	-
			कच्चा कवेलु	22.1	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
83	मुल्लू पाल तनय गनपतिया पाल, सपना पति कमलेश पाल	378	कच्चा कवेलू	49.53	-
			टीनशेड	32.85	-
			पक्का RCC	32.8	-
			कच्चा कवेलू	12	-
84	लल्लू पाल तनय गनपतिया पाल, भुमानीदीन तनय लल्लू पाल, बाबूलाल तनय लल्लू पाल, देवीदीन पाल तनय लल्लू पाल, राकेश तनय लल्लू पाल	382	कच्चा कवेलू	28.8	-
85	अच्छलाल तनय नथुआ यादव	475	कच्चा कवेलू दा मोजिल	70.4	-
			कच्चा कवेलू	39.2	-
86	ब्रजेश तनय अच्छलाल यादव	475	कच्चा कवेलू	53	-
87	काशी प्रसाद तनय अच्छलाल यादव	475	कच्चा कवेलू	8.8	-
			कच्चा कवेलू	38.5	-
88	हौरा यादव बेवा हेकलाल, छाट्टू यादव तनय हेकलाल	475	पक्का RCC	36	-
			कच्चा कवेलू	31.5	-
			कच्चा कवेलू दा मोजिल	25.11	-
89	राघवन्द्र यादव तनय हेकलाल	475	पक्का RCC	22.5	-
			कच्चा कवेलू	29.25	-
			कच्चा कवेलू	18.6	-
90	कल्लू तनय नल्लू यादव	382	कच्चा कवेलू दा मोजिल	41.5	-
91	धमन्द्र यादव तनय कल्लू	382	कच्चा कवेलू दा मोजिल	27.9	-
			कच्चा कवेलू	27	-
92	दलीप सिंह तनय गुमान सिंह	382	कच्चा कवेलू दा मोजिल/जामुन-1, सिरसा-1, जंगल जलेबी-1, सुरजना-1	48.41	-
			कच्चा कवेलू	23.49	-
93	नारायण सिंह तनय छुट्टन सिंह	382	कच्चा कवेलू दा मोजिल	36	-
			कच्चा कवेलू	27	-
94	लीला उर्फ भूरी पति भूरा सौर	967	कच्चा कवेलू/आम-1	36	-
			कच्चा कवेलू	60	-
			कच्चा कवेलू	36	-
			कच्चा कवेलू	15	-
95	दीपक सेन तनय नन्नू सेन	382	कच्चा कवेलू	48.3	-
96	पूरण सिंह तनय गुमान सिंह	475	कच्चा कवेलू/मूनगा-2, बेल-1	23.01	-
			कच्चा कवेलू	22.02	-
97	उर्मेश प्रताप तनय जुझार सिंह	382	पक्का RCC/बबूल-1, चिरोल-1	31.2	-
			कच्चा कवेलू	57.4	-
			सीटिक टैक	14	-
			शीचालय	4	-
98	प्राण सिंह गौड तनय गुमान सिंह	475	पक्का RCC	32	-
99	राजाराम पटेल तनय कच्छेदी, वीरन्द्र पटेल तनय कच्छेदी पटेल	475	कच्चा कवेलू	36	गैर रिहाशयी
			टीनशेड	20	-
100	उत्तम सिंह गौड तनय गुमान सिंह, तोड़न सिंह गौड तनय उत्तम सिंह, रघुनाथ सिंह गौड तनय उत्तम सिंह	475	पक्का RCC/सीताफल-3	32	-
			कच्चा कवेलू	35.52	-
			कच्चा कवेलू	25.62	-
101	मुन्ना बसौर तनय सुन्दर बसौर	967	कच्चा कवेलू	5.25	-
			कच्चा कवेलू	12	-
			टीनशेड	40	-
102	मोहन सिंह तनय शिव सिंह	475	कच्चा कवेलू	16.65	गैर रिहाशयी
103	वीरन्द्र सिंह तनय प्राण सिंह	475	पक्का RCC	12	-
			कच्चा कवेलू	14.52	-
			कच्चा कवेलू	24.84	-
			कच्चा कवेलू	43.24	-
104	पप्पू सिंह तनय लल्लू सिंह	475	कच्चा कवेलू	25	-
105	छुट्टन सिंह तनय गुमान सिंह	475	पक्का RCC	30.8	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
106	श्रीबाई सेन पति नन्नू सेन, आशा सेन तनय नन्नू सेन, हजारीलाल सेन तनय नन्नू सेन	382	कच्चा कवेलू/नीबू-2, सतरा-1, नीम-1, सिरसा-1, अमरुद-1	48.3	-
			टीनशेड	11.61	-
			कच्चा कवेलू	44.52	-
107	अमान सिंह तनय नेपाल सिंह, मुलायम सिंह तनय नेपाल सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/सिरसा-1	53.25	-
108	पुष्पेन्द्र सिंह तनय रतन सिंह	408	टीनशेड	35.36	गैर रिहाशायी
109	प्रदीप सेन तनय मनोराम सेन, अंगूरी सेन पत्नी प्रदीप सेन	382	कच्चा कवेलू	31.5	गैर रिहाशायी
110	अजय सेन तनय मुन्ना सेन, द्रोपती सेन पत्नी अजय सेन	382	कच्चा कवेलू	20	गैर रिहाशायी
111	यमनेश सेन तनय कल्लू सेन, मन्नी सेन पत्नी यमनेश सेन	382	कच्चा कवेलू	20	गैर रिहाशायी
112	श्यामा सिंह पति जूझार सिंह	382	कच्चा कवेलू दो मंजिल	36.9	-
113	अवधेश प्रताप सिंह जूझार सिंह	382	कच्चा कवेलू	21.6	-
114	लोकेश सिंह तनय प्राण सिंह	382	कच्चा कवेलू	38.5	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	24.75	-
115	तिलक सिंह तनय प्राण सिंह	382	कच्चा कवेलू	13.16	-
116	हरी सिंह तनय दलीप सिंह	382	कच्चा कवेलू	38.5	-
117	धार्ऊ पाल तनय परसाद पाल, हक्काई पाल तनय धार्ऊ पाल	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल/बर-1, अमरुद-1	53.6	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	53.6	-
			कच्चा कवेलू	52.8	-
118	दशरथ पाल तनय धार्ऊ पाल	475	टीनशेड/बर-1	41.82	-
			कच्चा कवेलू	38.5	-
119	पुष्पेन्द्र तनय नोने सिंह	408	टीनशेड	34.45	गैर रिहाशायी
120	भगवानदास तनय मोहन पाल	382	कच्चा कवेलू दो मंजिल	38.95	-
121	मुन्ना पाल तनय मोहन पाल	382	कच्चा कवेलू/नीबू-1, बबूल-1, आम-1, सीताफल-3, कटहल-2	22.8	-
			कच्चा कवेलू	16.82	-
			कच्चा कवेलू	40	-
122	प्रमी तनय मोहन पाल	382	कच्चा कवेलू	12	-
			टीनशेड	17.05	-
123	सुन्दन पति मोहन पाल	382	कच्चा कवेलू दो मंजिल/कटहल-1	33.6	-
			कच्चा कवेलू	13.6	-
124	जीवन तनय दयाराम पाल	382	कच्चा कवेलू	40.5	-
125	धनईया तनय बीरा रजक	382	कच्चा कवेलू/सुरजना-1, बेल-1	49.5	-
			टीनशेड	11.1	-
			पक्का RCC	18.5	-
126	धन्नु रजक तनय तंतु रजक	382	कच्चा कवेलू	46.2	-
127	अजुददी तनय महादेव अहिरवार	382	कच्चा कवेलू	18.5	-
128	मैना बेवा विजय अहिरवार	382	कच्चा कवेलू	18.5	-
129	अजय गोस्वामी तनय ब्रजबिहारी	382	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहाशायी
130	अमित सिंह तनय भारत सिंह	408	टीनशेड	35.75	गैर रिहाशायी
131	जागवेंद्र प्रताप तनय कृष्ण प्रताप सिंह	408	टीनशेड	36.54	गैर रिहाशायी
132	रघुवीर सिंह तनय हनुमत सिंह	477	टीनशेड	35.75	-
133	गणेशी बाई पति दीनदयाल गौड़	917	कच्चा कवेलू	45.24	-
134	धम्मा अहिरवार तनय दलपतिया	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/जामुन-1, बबूल-1, बेल-1	32.12	-
			कच्चा कवेलू	14	-
			कच्चा कवेलू	42.23	-
135	नोने अहिरवार तनय रमदीना	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	20	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
136	कालीचरण तनय शिवदयाल अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	24.2	-
137	अरुण सोर तनय लल्लू	967	कच्चा कवेलू	13.32	-
138	घंसू तनय दलापतिया अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	22.8	-
			कच्चा कवेलू	26.65	-
139	उमरोआ सोर पिता फूलन सोर	404/1/1/1/1	टीनशेड	34.45	-
140	सरूप अहिरवार तनय छाटा	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/नीम-1	27.52	-
141	सुनैया अहिरवार पाते मलथुवा, हिसाबी तनय मलथुआ अहिरवार	404/1/1/1/1	पक्का RCC	32	-
			पक्का RCC	32	-
142	सरजू तनय कल्ला अहिरवार	382	कच्चा कवेलू	32.34	-
143	बबलू तनय कल्ला अहिरवार	382	कच्चा कवेलू	19.35	-
			कच्चा कवेलू	21.6	-
144	कल्ला तनय हरिया अहिरवार	382	कच्चा कवेलू/नीम-1	19.35	-
145	पन्नू अहिरवार तनय छाटा	404/1/1/1/1	टीनशेड	22	-
146	दुर्जना तनय लल्लूआ अहिरवार	382	कच्चा कवेलू	9	-
147	आमप्रकाश तनय छोटलाल अहिरवार	404/1/1/1/1	टीनशेड	18	-
148	पावती बेवा जमना अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	30.1	-
			कच्चा कवेलू	8.4	-
149	लटकन अहिरवार तनय मलथुवा	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	62	-
			कच्चा कवेलू	42	-
150	दमरू तनय सरमन अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	28.56	-
			कच्चा कवेलू	14.28	-
151	राधाबाई पाते राजू रेकवार	382	टीनशेड	35.36	-
152	पारवती अहिरवार पाते महादेव, भागोरथ तनय महादेव अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/बेर-1, सुरजना-1	35.6	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	39.16	-
			कच्चा कवेलू	32.93	-
153	मातादीन तनय मथुरा अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	22.68	-
154	गुन्दा तनय टुल्ला रेकवार	382	कच्चा कवेलू	7.5	-
155	कालीचरण तनय अमना अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	56.25	-
			कच्चा कवेलू	47.58	-
156	अमना अहिरवार तनय बल्ला, संतोष अहिरवार तनय अमना	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/नीम-1	42.5	-
			कच्चा कवेलू	40.7	-
157	संतोष अहिरवार तनय रामलाल	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	12	-
158	मंगल सिंह तनय जालम सिंह	502/3	पक्का RCC/आम-1, बेर-2	96.2	-
159	राम बहादुर सिंह गौड तनय नरेन्द्र सिंह गौड	404/1/1/1/1	टीनशेड	34.615	-
			कच्चा कवेलू	20.6	-
			पक्का RCC	16.5	-
160	चतुर सिंह तनय नरेन्द्र सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	36	-
			टीनशेड	34.4	-
			पक्का RCC	16.5	-
161	हाकिम सिंह तनय नरेन्द्र सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	60.3	-
			कच्चा कवेलू	5	-
162	पवत सिंह तनय नरेन्द्र सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	57.6	-
			साएक टक	14	-
			कच्चा कवेलू	5.75	-
163	हल्की रानी गौड पाते गजन सिंह	475	कच्चा कवेलू/सुरजना-1	10.395	-
164	विश्वनाथ सिंह तनय हीरा सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/नीम-1, महुआ-1	34.5	-
			कच्चा कवेलू	77	-
			कच्चा कवेलू	12.8	-
			पक्का RCC	58.1	-
165	अनरस सिंह तनय रनमत सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/बबूल-1, नीम-1	33.75	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलु/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
166	सूरज सिंह गांड तनय बखत सिंह	475	पक्का RCC/मुनगा-2	36	-
			पक्का RCC	35.67	-
			कच्चा कवेलु	19.68	-
167	बुद्ध सिंह गांड तनय दशरथ सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु/नीम-1	32	-
			कच्चा कवेलु	24	-
			पक्का RCC	32	-
168	राजेंद्र सिंह तनय सुम्मेर सिंह	477	कच्चा कवेलु	39.04	-
			कच्चा कवेलु	17.5	-
			कच्चा कवेलु	6	-
169	महाराज सिंह तनय दरवारी सिंह, संत रानी पाते दरवारी सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु/जामुन-1	40	-
			कच्चा कवेलु	35	-
			कच्चा कवेलु	48	-
			कच्चा कवेलु	35	-
170	बना बाई पत्नी सरदार सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	20	-
171	गजराज सिंह तनय सुम्मेर सिंह	475	कच्चा कवेलु	63	-
172	गणेश सिंह गांड तनय मुकुंद सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	16.96	-
			कच्चा कवेलु	29.2	-
			कच्चा कवेलु	36	-
			पक्का RCC	32	-
173	गणेश सिंह तनय गजन सिंह	475	कच्चा कवेलु/बर-1, बबूल-1	10.395	-
174	जीवन सिंह गांड तनय गोकल सिंह	502/3	कच्चा कवेलु	25.5	-
175	मुन्ना सिंह तनय गोकल सिंह	502/3	कच्चा कवेलु	25.5	-
176	जय सिंह तनय गनपत सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	26.04	-
			कच्चा कवेलु	11.76	-
			पक्का RCC	34.03	-
177	शिवम अहिरवार तनय चन्नू, सिमी पिता चन्नू अहिरवार, शिवशम पिता चन्नू अहिरवार	404/1/1/1/1	टीनशेड	22	-
178	बहादुर सिंह तनय लक्ष्मण सिंह	550/1	कच्चा कवेलु	36.26	-
179	सावत सिंह तनय पूरन सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु/आम-1	62.1	-
180	दशरथ सिंह तनय बबबू सिंह, रंजित सिंह तनय बबबू सिंह	500/1/1	टीनशेड/नीम-1	31.5	-
181	निपत सिंह तनय हीरा सिंह	500/1/1	कच्चा कवेलु	20	-
182	कपूरी बाई वेवा नारायण आदिवासी	404/1/1/1/1	टीनशेड/नीम-1, बबूल-1	36.54	-
183	पुष्पेन्द्र सिंह तनय लाखन सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	15	-
			सैटिक टैंक	14	-
			टीनशेड	40.59	-
184	बद्री तनय गजई सोर, सोमवती सोर पाते गजई	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	47.7	-
			कच्चा कवेलु	45.05	-
			कच्चा कवेलु	24.48	-
185	वीरन तनय निंजो सोर	408	कच्चा कवेलु	42.16	-
186	कामल सोर तनय गुकला	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु दो माजिल	23.69	-
			कच्चा कवेलु	30.8	-
187	सुम्मेरा तनय मुन्ना सोर	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	12.36	-
			पक्का RCC	9.9	-
188	हीरालाल तनय दुर्जना सोर, मंगू तनय हीरालाल आदिवासी	382	टीनशेड	32.76	गैर रिहाशयी
			टीनशेड	39.75	
189	कल्लू बाई वेवा तिजवा सोर	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	39.69	-
			सैटिक टैंक	14	-
			कच्चा कवेलु	40.95	-
190	मलखान आदिवासी तनय तिजवा	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	17.1	-
			शौचालय	4	-
191	रामिया सोर पाते लालता सोर	480	कच्चा कवेलु	20.3	-
			पक्का RCC	21.96	-
192	रामोतार तनय चंद्रभान पाठक, मुकेश तनय रामोतार पाठक	404/1/1/1/1	टीनशेड	34.8	गैर रिहाशयी
193	बालाकेशन सोर तनय स्वामीप्रसाद	480	कच्चा कवेलु	48.3	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलु/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
			कच्चा कवेलु	27.39	-
194	केशकली सौर पाते स्व.मीप्रसाद, बालदीन सौर तनय स्वामीप्रसाद, राजेश सौर तनय स्वामीप्रसाद	480	कच्चा कवेलु	21	-
			कच्चा कवेलु	21	-
			कच्चा कवेलु	30	-
195	नल्लू सौर तनय दीनदयाल सौर	477	कच्चा कवेलु	29.24	-
196	बालाप्रसाद तनय रामा सौर	477	कच्चा कवेलु	20	-
197	जानकी सौर तनय गोरिलाल	502/3	कच्चा कवेलु	60.45	-
198	सुखरानी आदिवासी पाते कमोदा, हरी सौर तनय कमोदा सौर	502/3	कच्चा कवेलु/बबूल-2, गुंजा-1	34	-
			कच्चा कवेलु	15.05	-
199	कमला तनय मुन्ना सौर	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु दो मंजिल	23.69	-
			पक्का RCC	9.9	-
200	जलमा सौर तनय मकुन्दा सौर, बोरा सौर तनय जलमा सौर	477	कच्चा कवेलु/मुन्गा-1, नीम-1	47.45	-
			मादर	1	-
201	पप्पू तनय पुन्ना अहिरवार	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	10.5	-
202	शांति पत्नी कल्लू सौर	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	21	-
203	गिरजा तनय मकुन्दा सौर	477	कच्चा कवेलु दो मंजिल	27.5	-
204	बसंती सौर पाते कल्लू सौर, धनीराम पिता मकुन्दा सौर	480	कच्चा कवेलु/नीम-1, बरगद-1	26	-
			कच्चा कवेलु	95.22	-
			पक्का RCC	34.76	-
205	लालबाई पत्नी रमसू सौर	480	कच्चा कवेलु	20	-
206	रामरती सौर पाते बालिया सौर, पावती पिता बालिया सौर	480	कच्चा कवेलु/बर-1	57.6	-
			पक्का RCC	33.6	-
207	सुरज तनय मंगल सिंह	502/3	कच्चा कवेलु दो मंजिल	26.4	-
208	बिहारी तनय रामचरण सौर	288	कच्चा कवेलु	21.6	-
			कच्चा कवेलु	36.96	-
209	जगना सौर तनय बारेलाल, अमर सौर तनय जगना सौर	480	कच्चा कवेलु/नीम-1	39.6	-
			कच्चा कवेलु	18.4	-
			कच्चा कवेलु	39.6	-
210	भगवत सिंह तनय विश्वनाथ सिंह	408	टीन शेड	36.4	-
211	राहुल तनय नल्लू सौर	408	पक्का RCC	12	-
212	मंगल सिंह तनय विश्वनाथ सिंह	408	टीन शेड	35.36	-
213	मझली पाते श्यामलाल सौर	475	कच्चा कवेलु/अमरुद-1, नीम-1, बेल-1	29.6	-
			कच्चा कवेलु	18.4	-
			शीचालय	2.25	-
214	काशी बाई पाते अच्छलाल सौर	475	कच्चा कवेलु	45	-
215	पावती सौर पाते कल्ला, जीवन तनय कल्ला सौर, दशरथ तनय कल्ला सौर, फूलचंद तनय कल्ला सौर	475	पक्का RCC	30.24	-
			कच्चा कवेलु	46.4	-
			कच्चा कवेलु	11.2	-
216	कलन सौर तनय लालता सौर	480	टीन शेड	36.66	-
217	उमेश सौर तनय लालता सौर	480	टीन शेड	36.66	-
218	अखिलेश तनय बेटू कुडेरिया	404/1/1/1/1	टीन शेड	35.88	गैर रिहाशयो
219	रामकृपाल सौर तनय जानकी सौर	477	कच्चा कवेलु	45.51	-
220	राजकुमार सौर तनय जानकी सौर	480	कच्चा कवेलु	24.15	-
221	हल्काई सौर तनय प्यार लाल	475	पक्का RCC	31.2	-
222	भूरा तनय हल्काई सौर	475	कच्चा कवेलु	33.15	-
223	लच्छी सौर तनय लल्ला सौर, अखिलेश तनय लच्छी सौर	480	कच्चा कवेलु	31.8	-
			कच्चा कवेलु	35.75	-
			शीचालय	2.25	-
224	गुलाब बाई सौर पाते झलुआ	480	कच्चा कवेलु	26.6	-
			पक्का RCC	25.3125	-
			शीचालय	2.25	-
225	लालू उर्फ ठलू तनय मूलवा सौर	480	कच्चा कवेलु	46.4	-
226	तिजिया सौर तनय ललता सौर	475	कच्चा कवेलु	16.1	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
227	महेश आदिवासी तनय झड़वा, बल्ली आदिवासी तनय महेश	475	कच्चा कवेलू	35.7	-
			कच्चा कवेलू	12.65	-
228	प्यारी बाई पुत्री बसंता पाल	475	कच्चा कवेलू	36.72	गेर रिहाशायी
229	दलीप सौर तनय किशोरी सौर	477	कच्चा कवेलू	53.76	-
230	गुरुवा तनय कलुवा आदिवासी, दलीप तनय गुरुवा आदिवासी	477	कच्चा कवेलू/इमली-1	28.81	-
			कच्चा कवेलू	15.64	-
231	सुदिया उर्फ बसुदिया पांते चोटा पाल, रामनिवास तनय बालू पाल	382	कच्चा कवेलू	36.72	-
232	दीनदयाल सौर तनय हल्का सौर	477	पक्का RCC/नीम-1, बबूल-2	48.144	-
			सीएक टैंक	14	-
			शीचालय	2.25	-
233	तुलसिया तनय कर्मादा सौर	477	कच्चा कवेलू/बबूल-6	39.6	-
			कच्चा कवेलू	22	-
234	भयालाल तनय कर्मादा सौर	477	टीनशेड/नीम-2, बबूल-1	32.68	-
			कच्चा कवेलू	5.4	-
235	चनुआ आदिवासी तनय कर्मादा, शिवपाल सौर तनय चनुआ	477	कच्चा कवेलू/बबूल-1, आम-1	51.6	-
			कच्चा कवेलू	14.26	-
236	रामप्रसाद तनय बसंता पाल	382	कच्चा कवेलू	46.2	-
237	बहादुर सौर तनय नन्नाइया सौर	501	कच्चा कवेलू/नीम-1, बबूल-2	59.64	-
			कच्चा कवेलू	26.91	-
			कच्चा कवेलू	12.71	-
238	भदरू आदिवासी तनय नन्नाइया, सोनू तनय भदरू आदिवासी	501	कच्चा कवेलू/अमरुद-1	56.42	-
			कच्चा कवेलू	35.19	-
239	धनीराम पाल तनय बसंता पाल	382	कच्चा कवेलू	22.8	-
240	हक्कू सौर तनय नन्नाइया सौर	501	कच्चा कवेलू/बबूल-1	25.9	-
			कच्चा कवेलू	50.82	-
241	कनई आदिवासी तनय नन्नाइया	501	कच्चा कवेलू/बबूल-5	23.14	-
242	चत्ती बाई सौर पांते नन्नाइया सौर	501	कच्चा कवेलू/बेर-1	56.43	-
243	लक्ष्मण सिंह तनय हीरा सिंह	550/1	कच्चा कवेलू/नीम-2	93.5	-
			कच्चा कवेलू	4	-
244	भारत सिंह गोंड तनय लक्ष्मण सिंह	500/3	कच्चा कवेलू दां मांजल	30.1	-
			कच्चा कवेलू	14	-
245	देव सिंह गोंड तनय लक्ष्मण सिंह	500/3	कच्चा कवेलू दां मांजल/अमरुद-1	30.1	-
			कच्चा कवेलू दां मांजल	14	-
246	कोमल सिंह तनय बबू सिंह	500/1/1	कच्चा कवेलू	31.5	-
247	गोकल सिंह तनय जालम सिंह	502/3	टीनशेड/आम-1, बेर-2, नीम-1, खजूर-1	32.1	-
			कच्चा कवेलू	34.24	-
			पक्का RCC	10.8	-
			पक्का RCC	32	-
248	चंद्रू तनय हरदयाल सौर	477	कच्चा कवेलू/बबूल-1	37.4	-
			पक्का RCC	27	-
			मांदिर	1	-
249	प्रेमलाल तनय किंतुआ सौर	480	कच्चा कवेलू	15.2	-
250	मंगू सौर तनय मुन्ना सौर	480	कच्चा कवेलू	10.26	-
			पक्का RCC	9.9	-
251	सुरेश तनय गुरुवा सौर	480	पक्का RCC	10.26	-
252	रामकली आदिवासी पांते प्यारेलाल, बालाप्रसाद तनय प्यारेलाल सौर	480	पक्का RCC	32.76	-
			कच्चा कवेलू	32	-
253	चुन्टाई सौर तनय प्यारेलाल सौर	480	कच्चा कवेलू	26	-
254	ग्यासी तनय गोकुल सौर	408	कच्चा कवेलू	18.6	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलु/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
255	बच्चूबाई पति गुल्लू उर्फ गुलाब आदिवासी	382	कच्चा कवेलु	26	-
			कच्चा कवेलु	27	-
256	सन्तु तनय राजाराम आदिवासी	477	पक्का RCC	27.3	-
			कच्चा कवेलु	10.8	-
257	कल्लो बेवा राजाराम सौर	480	पक्का RCC	18.91	-
			कच्चा कवेलु	17.69	-
258	करादी सौर पाते नानेनलाल सौर	477	पक्का RCC	27.36	-
259	मल्लोप्रसाद तनय नानेनलाल सौर	477	कच्चा कवेलु	23.75	-
260	विमलेश पाठक तनय चंद्रभान, प्रिंस तनय विमलेश पाठक	404/1/1/1/1	टीनशेड	34.45	गैर रिहाशयी
261	कदई कारी तनय किशोरी कारी	445	कच्चा कवेलु दो मंजिल	62.4	-
262	मुकेश बंसल तनय मोती	445	कच्चा कवेलु	27.2	-
			पक्का RCC	32	-
263	पम्पू बंशकार तनय मोती	445	कच्चा कवेलु	26.4	-
264	शांति उर्फ पानबाई बेबा सरमन बसौर, सुखलाल बसौर तनय सरमन बसौर, तुलसी बसौर तनय सरमन बसौर, नीरज बसौर तनय सरमन	445	टीनशेड	45	-
			कच्चा कवेलु	18	-
			कच्चा कवेलु	22.5	-
			कच्चा कवेलु	4	-
265	मोती तनय गुदा बसौर, संजू बंशकार तनय मोती	382	कच्चा कवेलु	45.6	-
			कच्चा कवेलु	27.2	-
			कच्चा कवेलु	6.8	-
266	बसता पाल तनय चोटा पाल	382	कच्चा कवेलु	40.5	-
267	दस्सू बसौर तनय छत्रो	445	कच्चा कवेलु	18.36	-
268	गोपाल कारी तनय किशोरी कारी	502/3	कच्चा कवेलु/बबूल-1	36	-
269	जगदीश तनय किशोरी कारी	445	कच्चा कवेलु	56.35	-
270	हब्बू वेवा किशोरी कारी	502/3	कच्चा कवेलु/सुरजना-1	16.8	-
271	कमलेश चढार तनय जबरा, छोदू तनय कमलेश चढार	445	कच्चा कवेलु	44.46	-
272	पुत्रा गौड तनय मंगला गौड, अददु गौड तनय पुत्रा गौड, हक्के गौड तनय पुत्रा गौड	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु/घिल्ला-1	29.25	-
			कच्चा कवेलु	29.25	-
			कच्चा कवेलु	29.25	-
273	माधव कारी तनय बिहारी कारी	445	कच्चा कवेलु	18.585	-
			कच्चा कवेलु	9.024	-
			कच्चा कवेलु	16.984	-
274	लली कारी तनय मजुआ कारी	445	पक्का RCC	35.235	-
			कच्चा कवेलु	13.78	-
			कच्चा कवेलु	23.085	-
275	कल्लू कारी तनय लली कारी	445	कच्चा कवेलु	63.94	-
			कच्चा कवेलु	26	-
			कच्चा कवेलु	27.3	-
276	छिमान बुनकर तनय मजुआ बुनकर	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	23.75	-
			कच्चा कवेलु	39.9	-
277	दयाराम तनय छिमान बुनकर	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	17.76	-
278	गजराज तनय छिमान बुनकर	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	53.28	-
279	गोकल कारी तनय छिमान कारी	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु	21.46	-
280	हरी कारी तनय बिहारी कारी	445	कच्चा कवेलु/बेर-1	18.585	-
			कच्चा कवेलु	9.024	-
			कच्चा कवेलु	16.984	-
281	हल्लू कारी तनय बिहारी कारी	445	कच्चा कवेलु	18.585	-
			कच्चा कवेलु	9.024	-
282	रामसेवक कुड़रिया तनय लक्ष्मीप्रसाद	445	दुकान	25.175	-
			पक्का RCC	34.2	-
			शौचालय	7.29	-
283	रामवेशाल तनय जमनाप्रसाद कुड़रिया	404/1/1/1/1	टीनशेड	41.25	गैर रिहाशयी
284	कृष्णा पाल सिंह तनय कामल सिंह	477	कच्चा कवेलु	15.75	-
285	प्रवेश तनय नंदकिशोर कुड़रिया	404/1/1/1/1	टीनशेड	41.25	गैर रिहाशयी

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
286	आत्माराम विश्वकर्मा तनय जुगल किशोर	404/1/1/1/1	टीनशेड	6.46	गैर रिहाशायी
287	सुजान सिंह तनय करन सिंह, दोलत सिंह तनय करन सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	51.48	-
288	परमलाल तनय छोटलाल पटेल	475	टीनशेड	36.04	गैर रिहाशायी
289	दीप चन्द्र तनय रामेश्वर प्रसाद राय	404/1/1/1/1	टीनशेड	33.6	गैर रिहाशायी
290	करन सिंह तनय शिवराज सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	97.9	-
			पक्का RCC	33.6	-
291	साहन सिंह तनय साहब सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	45	-
292	मूलायम सिंह तनय गोकल सिंह	502/3	कच्चा कवेलू/बेर-1	19.27	-
293	बाबु सिंह तनय गोकल सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	26.56	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल/ बेर-1	19.27	-
294	भीकम सिंह गाँड तनय गोकल सिंह	502/3	कच्चा कवेलू	10.24	-
295	बसंत लाल तनय दोलत कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा तनय बसंतलाल	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	51	गैर रिहाशायी
296	कोशल्या रानी गाँड पाते लक्ष्मण सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	35	-
297	सुरेन्द्र सिंह गाँड तनय दरयार सिंह	477	कच्चा कवेलू /आम-3	34.65	-
298	ईश्वर सिंह तनय सरदार सिंह, शिवम सिंह तनय ईश्वर सिंह, इन्द्रजीत सिंह तनय ईश्वर सिंह ममता सिंह तनय ईश्वर सिंह	477	पक्का RCC	38.4	-
			शांचालय	9	-
			सीएक टैक	14	-
			पक्का RCC	48	-
299	कमलेश सिंह तनय ईश्वर सिंह	477	पक्का RCC/ अमरुद-4, आम-2	9.6	-
			पक्का RCC	12.64	-
			कच्चा कवेलू	21.09	-
			शांचालय	9	-
300	शकर सिंह तनय अमान सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल	40	-
			कच्चा कवेलू	30	-
301	प्रकाश सिंह तनय लक्ष्मण सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	47.84	-
			कच्चा कवेलू	163.52	-
302	जीतेंद्र सिंह तनय साहब सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	20.58	-
			कच्चा कवेलू	16.56	-
303	अशोक तनय नंदाकिशोर कुड़ेरिया	404/1/1/1/1	टीनशेड	41.25	गैर रिहाशायी
304	माधव प्रताप सिंह तनय लाखन सिंह	404/1/1/1/1	पक्का RCC	19.25	-
			चबूतरा	9	-
305	लाखनसिंह तनय भान सिंह	404/1/1/1/1	टीनशेड/चिरोल-2, मूनगा-1	46	-
			टीनशेड	22.5	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	38.25	-
306	साधना पाते हरिश्चंद्र सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	12	गैर रिहाशायी
307	रंजार सिंह तनय गाँविन्द सिंह	552/7	कच्चा कवेलू	24	-
308	कुंजल सिंह गाँड तनय गाँविन्द सिंह	475	कच्चा कवेलू	29.25	-
309	साहब सिंह तनय कल्याण सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	82.5	-
			कच्चा कवेलू	26.5	-
310	जगदीश रानी पाते कल्याण सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	20.58	-
311	सुनील कुमार तनय रामकिशोर पाठक, लक्ष्मीकांत पाठक तनय रामकिशोर	404/1/1/1/1	टीनशेड	45	गैर रिहाशायी
			कच्चा कवेलू	40	-
312	चंद्रभान पाठक तनय भगवान दास	404/1/1/1/1	टीनशेड	40.8	गैर रिहाशायी
313	विवेक कुमार तनय उमा प्रसाद पाठक	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	51.84	गैर रिहाशायी
314	अजय पाठक तनय रविशंकर पाठक, अवधेश कुमार पाठक तनय रविप्रसाद, शकुंतला पाठक पाते रवि प्रसाद	404/1/1/1/1	टीनशेड	21.42	गैर रिहाशायी
315	लक्ष्मी प्रसाद कुड़ेरिया तनय हीरालाल	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/इमली-1, मोठी नीम-1, पीपल-1, सागौन-1	54.12	-
			शांचालय	12.9575	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
316	सतोष कुड़ेरिया तनय लक्ष्मीप्रसाद	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ बर-2, नीबू-2	52.8	-
			टीनशेड	42	-
			कच्चा कवेलू	24.9	-
			कच्चा कवेलू	19.27	-
317	सुभाष कुड़ेरिया तनय लक्ष्मीप्रसाद	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/ अमरुद-2	41.36	-
			कच्चा कवेलू	19.36	-
			पक्का RCC	29.5	-
			टीनशेड	66.25	-
318	मनोराम तनय बाबूलाल बसौर, प्रमलाल तनय बाबूलाल बसौर	404/1/1/1/1	टीनशेड	10	-
319	राममोहन तनय रामसहाय कुड़ेरिया	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	8.82	गैर रिहाश्यायी
320	पुत्तोलाल बसौर तनय सुंदर	288	पक्का RCC	23.78	-
			पक्का RCC	9.99	-
321	श्यामलाल तनय सुंदर बसौर	288	पक्का RCC	12	-
322	कमलेश तनय दुर्गा बसौर	288	टीनशेड	12	-
323	देशराज तनय अवधलाल बसौर	288	कच्चा कवेलू	20	-
324	हल्काई बसौर तनय भुजबल बसौर	288	कच्चा कवेलू	71.78	-
			कच्चा कवेलू	21.6	-
325	रामस्वरूप तनय हल्काई बसौर	288	टीनशेड	28.8	-
			कच्चा कवेलू	16.8	-
326	किस्सू बसौर तनय हल्काई बसौर	288	टीनशेड	22.4	-
			कच्चा कवेलू	48.98	-
327	शंकर तनय भुजबल बसौर, बबलू तनय शंकर बसौर	288	कच्चा कवेलू	26.4	-
			कच्चा कवेलू	25.6	-
328	हरगोविन्द तनय रामसहाय कुड़ेरिया	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/ बर-2	8.82	गैर रिहाश्यायी
329	बीरन तनय मुलई गौड, सुमन पिता मुलई गौड	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	44	-
330	भागीरथ बसौर तनय हल्काई बसौर	288	टीनशेड	23.68	-
331	बंदू बसौर तनय अवधलाल	288	टीनशेड	36.75	-
			टीनशेड	32.55	-
332	सतोष बसौर तनय अवधलाल	288	टीनशेड	35	-
			टीनशेड	31	-
333	प्रम बसौर बेवा अवधलाल	288	पक्का RCC	29.75	-
			कच्चा कवेलू	33.6	-
			कच्चा कवेलू	26.35	-
334	अशोक बसौर तनय अवधलाल	288	पक्का RCC	25.62	-
			कच्चा कवेलू	18.3	-
335	चिरोजी लाल सौर तनय बोरा सौर	408	कच्चा कवेलू	35.04	-
336	हीरा लाल सौर तनय बोरा सौर	445	पक्का RCC	24.3	-
			कच्चा कवेलू	16.984	-
337	पंचम तनय बोरा सौर	445	कच्चा कवेलू	19.8	-
338	घ्यारीबाई सौर पति बोरा सौर, श्रीपत सौर तनय बोरा सौर	408	कच्चा कवेलू	14.56	-
			कच्चा कवेलू	24.7	-
339	श्यामलाल सौर तनय मुकेश सौर	408	कच्चा कवेलू	22.32	-
340	बहादुर तनय मुकेश सौर	408	कच्चा कवेलू	30.6	-
341	मुकेश सौर तनय अजुन सौर	408	कच्चा कवेलू	64.68	-
342	परमलाल सौर तनय चना सौर	408	कच्चा कवेलू/ चिरोल-1	22.4	-
			कच्चा कवेलू	44.46	-
343	बबलू सौर तनय परमलाल सौर	408	पक्का RCC	28.8	-
			कच्चा कवेलू	23.4	-
344	बलवीर सौर तनय परमलाल सौर	408	कच्चा कवेलू	40.42	-
345	सुनील सौर तनय पहाड़ी सौर	408	कच्चा कवेलू	63.21	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
346	रमेश कोरी तनय किशोरी कोरी, धर्मन्द्र तनय रमेश कोरी	477	कच्चा कवेलू/ नीम-1	46.86	-
			कच्चा कवेलू	24.12	-
			कच्चा कवेलू	24.12	-
			टीनशेड	32.76	-
			चबूतरा	70.67	-
			मादर	1	-
347	निलेश सिंह तनय दरयार सिंह	477	पक्का RCC	63.84	-
348	बसंती सोर बेवा पन्ना लाल सोर	408	पक्का RCC	36	-
			कच्चा कवेलू	34.235	-
349	भुमानीदोन तनय पन्ना लाल सोर	408	कच्चा कवेलू/नीम-1	34.235	-
			कच्चा कवेलू	32	-
350	गुलखईया आदिवासी तनय लम्पुआ, सरजू तनय गुलखईया आदिवासी	288	कच्चा कवेलू	46.44	-
			कच्चा कवेलू	12.9	-
351	सुम्मेर सिंह तनय दरयार सिंह	477	कच्चा कवेलू/अनार-3	34.65	-
352	बलुआ सोर तनय गनपातेया सोर	288	कच्चा कवेलू दा माजल/ नीम-2	44	-
353	मुलिया सोर तनय गनपातेया सोर	288	कच्चा कवेलू	26.23	-
			कच्चा कवेलू	22.56	-
			पक्का RCC	28	-
354	नथू सोर तनय उमरोआ, रतन तनय नथू सोर	477	टीनशेड	44.8	-
			कच्चा कवेलू	25.2	-
355	गिरबल सिंह तनय दरयार सिंह	477	पक्का RCC/सीताफल-5	29.25	-
356	राकेश सोर तनय नथू सोर	477	कच्चा कवेलू	23.76	-
357	सरजू तनय अजुना आदिवासी, अजुदा तनय सरजू आदिवासी, हरिश्चंद्र तनय सरजू	408	कच्चा कवेलू/जगल जलबी-1	37.6	-
			टीनशेड	38.22	-
358	त्रिलोक सिंह तनय दरयार सिंह	477	पक्का RCC/कटहल-1	29.25	-
359	बसंत प्रताप तनय जोधन सिंह	502/3	कच्चा कवेलू	24.75	-
360	जोधन सिंह तनय जालम सिंह	502/3	कच्चा कवेलू	37.5	-
361	मनाज आदिवासी तनय गुकला	477	टीनशेड/नीम-1, कथा-1	34.76	-
362	रामस्वरूप सोर तनय लालता सोर	408	कच्चा कवेलू	30.66	-
363	चंद्र बंसल तनय अवधलाल	288	कच्चा कवेलू	31.5	-
364	धनीराम कोरी तनय मूल कोरी	382	टीनशेड	37.5	गेर रिहाशयी
365	आशाराम तनय हनुमत यादव, शिबू तनय आशाराम यादव , प्रदीप तनय आशाराम यादव	408	टीनशेड	14	-
366	जगमोहन तनय सरमन लाल प्रजापति	408	टीनशेड	48	गेर रिहाशयी
367	शेख शकील तनय चाँद खाँ	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	14.28	गेर रिहाशयी
368	नथू उर्फ नाथूराम तनय हरदास कोरी	408	टीनशेड	36.4	-
			कच्चा कवेलू	20	-
369	भगवान सिंह गोड तनय अजुन सिंह	408	पक्का RCC/आम-27, नीम-4, जामून-1, शीशम-3	85	-
			पक्का RCC	9.6	-
		404/1/1/1/1	टीनशेड	36	-
			कच्चा कवेलू	97.9	-
370	खिलावन सिंह ठाकुर तनय भगवान सिंह	408	पक्का RCC/नींबू-20, अमरुद-80	38.4	-
			बाउड़ी वाल RBC	28	-
			कच्चा कवेलू	12	-
371	महेंद्र सिंह गोड तनय भगवान सिंह	408	टीनशेड/आम-10, कटहल-2, सीताफल-2	58.5	-
			टीनशेड	36	-
		404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू दा माजल	34.3	-
372	वीरेंद्र प्रताप सिंह तनय भगवान सिंह	408	पक्का RCC/ मून्गा-2, बेल-4	38.4	-
			बाउड़ी वाल RBC	33.6	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलु/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
373	अजय प्रताप सिंह तनय भगवान सिंह	408	पक्का RCC/सुरजना-5	51	-
			कच्चा कवेलु	36.4	-
374	रवि प्रताप सिंह गौड तनय भगवान सिंह	408	पक्का RCC/अनार-2	60	-
			पक्का RCC	39.6	-
375	सुमन सिंह बेवा राजकुमार सिंह गौड	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु/ नींबू-4	67.2	-
			कच्चा कवेलु	32.3	-
			शौचालय	4	-
376	मनोहर सिंह ठाकुर तनय तरुवर सिंह, अंकित सिंह तनय तरुवर सिंह, संदीप सिंह तनय तरुवर सिंह	408	टीनशेड	36.1	गैर रिहाशयी
			कच्चा कवेलु	31.2	
377	माधव सिंह तनय विश्वनाथ सिंह	408	पक्का RCC	32	-
			कच्चा कवेलु	12	-
378	करण सिंह तनय छत्तर सिंह	408	पक्का RCC	32	-
			कच्चा कवेलु	12	-
379	बंदा सिंह तनय बार सिंह	408	टीनशेड/आम-1	36	-
			कच्चा कवेलु दा मंजिल	28	-
380	रामप्रकाश तनय सरनाम शर्मा, सोनू तनय सरनाम शर्मा	408	टीनशेड	12	गैर रिहाशयी
381	ब्रजेश तनय नरथु पाल	408	टीनशेड	12	-
382	तेजलाल तनय निज्जी आदिवासी	408	कच्चा कवेलु	41.6	-
383	बेटालाल तनय निज्जी आदिवासी	408	कच्चा कवेलु	38.4	-
			कच्चा कवेलु	35.75	-
			कच्चा कवेलु	33	-
384	गुल्ली तनय विन्दा गौड, गिरजा तनय गुल्ली गौड, दशरथ कुमार तनय गुल्ली गौड	408	कच्चा कवेलु	36.3	-
		408	कच्चा कवेलु	33	-
385	मिथुन तनय भूरा सौर	408	टीनशेड/आम-1	36.75	-
			कच्चा कवेलु	22.5	-
386	भावना सिंह पाते भोषम सिंह	408	टीनशेड	6	गैर रिहाशयी
387	गोतम सिंह तनय इंदल सिंह	404/1/1/1/1	टीनशेड	34	गैर रिहाशयी
			कच्चा कवेलु	45.5	-
388	परशुराम शिवहरे तनय रामस्वरुप	404/1/1/1/1	टीनशेड	37.5	गैर रिहाशयी
389	बिहारी तनय गन्जुआ कोरी	404/1/1/1/1	पक्का RCC	32	-
390	उमाशंकर तनय हल्लु यादव	382	कच्चा कवेलु	9	-
391	माया सौर बेवा चुनुआ, भग्गू तनय चुनुआ सौर	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु/आम-2	36.55	-
			कच्चा कवेलु	6	-
392	स्वामी सौर तनय गुरुवा	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलु/बबूल-1, कटहल-1	32.3	-
			कच्चा कवेलु	4	-
393	रगुन्ता तनय बिरजू आदिवासी	917	कच्चा कवेलु/आम-1, जामून-1	58.2	-
			शौचालय	2.25	-
394	मन्सू सौर तनय रगुन्ता	917	कच्चा कवेलु/नीम-1, कंधी-1	61.44	-
			कच्चा कवेलु	12.76	-
395	संगीता सौर बेवा भागीरथ सौर	917	कच्चा कवेलु	32.4	-
			कच्चा कवेलु	9.3	-
			कच्चा कवेलु	8.1	-
396	घण्टू आदिवासी तनय बिरजू आदिवासी	917	कच्चा कवेलु	30.5	-
397	दरजन आदिवासी तनय घण्टू आदिवासी	917	कच्चा कवेलु/नीम-2, बबूल-1	56.56	-
398	गोवन्दी सौर तनय मिलन सौर, शायद तनय गोवन्दी सौर	552/7	कच्चा कवेलु	21.42	-
			कच्चा कवेलु	37.7	-
			कच्चा कवेलु दा मंजिल	8	-
			कच्चा कवेलु दा मंजिल	52	-
399	सेवक सिंह गौड तनय मिलन सिंह	917	कच्चा कवेलु दा मंजिल/अमरुद-1	38.25	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
400	रामबाई सिंह बेवा मिलन सिंह	917	कच्चा कवेलू दो मंजिल/अमरुद-1	35.7	-
401	रजू आदिवासी तनय रगुन्ता	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल	43.52	-
402	मोनू तनय भूरा सोर	967	कच्चा कवेलू	44	-
403	भागवती गौड तनय मुलई गौड	967	कच्चा कवेलू	49	-
			कच्चा कवेलू	40	-
404	राजू गौड तनय मुलई गौड	967	कच्चा कवेलू	28	-
405	मुलई गौड तनय पुत्रा गौड	967	कच्चा कवेलू/नीम-2, सागौन-2	60	-
406	छक्कू लाल तनय कल्लू सोर	967	कच्चा कवेलू	15	-
407	रामकेश तनय जगमोहन केवट	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू/बैर-1	40.5	-
			टीनशेड	30	-
408	विन्दकुमार केवट तनय जगमोहन	382	कच्चा कवेलू	24.3	-
			पक्का RCC	39	-
409	रामकरन केवट तनय जगमोहन	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल	27	-
			कच्चा कवेलू	24.75	-
			मादिर	1	-
410	रामचरण सोर तनय अच्छेलाल, विजय सोर तनय अच्छेलाल	967	कच्चा कवेलू	28	-
411	सुंदर बसौर तनय भुजबल बसौर	288	कच्चा कवेलू	52.7	-
			कच्चा कवेलू	12	-
			कच्चा कवेलू	13.44	-
			पक्का RCC	25.42	-
412	कमलेश बाई पाते कमलेश पराहा	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	10.12	गैर रिहाशयी
413	प्यारीबाई सिंह पिता करण सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	42.92	-
414	घनश्याम सिंह तनय मोहन सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	42.9	गैर रिहाशयी
415	छलिया सोर तनय नोनलाल	477	कच्चा कवेलू	23.75	-
416	अमर सिंह तनय भोपाल सिंह	502	कच्चा कवेलू	42	-
417	हृदय सिंह तनय अनंत सिंह	502	कच्चा कवेलू	29.7	-
			कच्चा कवेलू	40.95	-
			कच्चा कवेलू	28.8	-
418	जयराम सिंह तनय सम्मर सिंह	550/1	कच्चा कवेलू	34.02	-
419	परमलाल तनय बरेलाल गौड	480	कच्चा कवेलू	42	-
420	बोबी सिंह तनय जवाहर सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	43.52	गैर रिहाशयी
421	सुशीला बसौर बेटा मोती	445	कच्चा कवेलू	22.44	-
422	निरपत सिंह तनय भरत सिंह, एम पी सिंह तनय निरपत सिंह, मुन्ना राजा तनय निरपत सिंह	382	टीनशेड	24	गैर रिहाशयी
423	मुन्ना सिंह तनय नोने सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	20	-
			कच्चा कवेलू	24.79	-
424	सावंत सिंह तनय जालम सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	20	-
425	शशीकरन तनय फेरन पाण्डेय	382	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहाशयी
426	नवल सिंह तनय सनतान सिंह	475	कच्चा कवेलू	40	गैर रिहाशयी
427	भानासिंह तनय हरनाम सिंह गौड	475	कच्चा कवेलू	29.89	गैर रिहाशयी
428	सतीश तनय मोहन यादव	475	कच्चा कवेलू	39	गैर रिहाशयी
429	मिथलेश सिंह तनय जगत सिंह	475	कच्चा कवेलू	7.2	-
430	किशन लाल तनय गुलखइयां सोर	488	कच्चा कवेलू	24.5	-
431	अयोध्याप्रसाद तनय लोकनाथ शुक्ला	288	पक्का RCC	34.475	गैर रिहाशयी
432	राधाबाई पाते रमेश आदिवासी	480	टीनशेड	39	-
433	सुमित्रा पाते देवीदीन बसौर	382	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहाशयी
434	काजल बंसल पुत्री देशराज बंसल	288	कच्चा कवेलू	32.8	-
			कच्चा कवेलू	21.6	-
			शांभालय	3.4	-
435	अनीता सिंह पाते लाखन सिंह	408	कच्चा कवेलू	41.6	गैर रिहाशयी
436	मन्कू तनय धरम पाल	502/3	कच्चा कवेलू	29.5	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टॉनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
437	रवि पाल तनय खिल्लू पाल	378	टॉनशेड	37	-
438	सुखलाल तनय नलू अहिरवार	382	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहाशायी
439	राजू यादव तनय जगन्नाथ यादव	382	टॉनशेड	12.48	-
440	ललनसिंह तनय प्रीतम सिंह	382	कच्चा कवेलू दो मंजिल	34	-
441	देवेन्द्र तनय कल्लू यादव	382	कच्चा कवेलू	32.4	-
			कच्चा कवेलू	40	-
			सीप्टिक टैंक	14	-
			शांचालय	2.25	-
442	अमान सिंह तनय नेपाल सिंह	382	कच्चा कवेलू	42	-
443	मूलायम सिंह तनय नेपाल सिंह	382	कच्चा कवेलू	42	-
444	अरविन्द सिंह तनय हक्कू सिंह	382	कच्चा कवेलू	11.96	-
445	जीवन सिंह तनय चून्टाई सिंह	382	कच्चा कवेलू	15.75	गैर रिहाशायी
446	भागवती आदिवासी पाते सरजू	917	कच्चा कवेलू	36.75	-
447	बसंत गुप्ता तनय छिकोडी गुप्ता	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	8.575	गैर रिहाशायी
448	संध्या पटेल पाते शिवराज	404/1/1/1/1	टॉनशेड	6.46	गैर रिहाशायी
449	परमा तनय गुल्लू आदिवासी, पन्नलाल तनय गुल्लू आदिवासी	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल	28.8	-
450	क्रांति बाई वेवा मंगल सिंह, जगत सिंह तनय मंगल सिंह	382	कच्चा कवेलू	9	-
451	सरोज कुशवाहा तनय छोट लाल	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	10.375	गैर रिहाशायी
452	पुष्पेन्द्र तिवारी तनय ईश्वर	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	18.6	गैर रिहाशायी
453	बाबूलाल रजक तनय गोरी लाल, जुगलकिशोर रजक तनय बाबूलाल	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	15.3	गैर रिहाशायी
454	राजकुमार तनय गुल्लू आदिवासी, संतकुमार तनय गुल्लू आदिवासी	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल	28.8	-
455	रमाकांत पाठक तनय राम किशोर	404/1/1/1/1	टॉनशेड	42	गैर रिहाशायी
456	रामकिशोर पाठक तनय भगवानदास	404/1/1/1/1	टॉनशेड	6.65	गैर रिहाशायी
457	देवेन्द्र सिंह तनय परसाद सिंह, हाकिम सिंह तनय परसाद सिंह	382	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहाशायी
458	अनिल तनय राम दयाल साहू	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	10.375	गैर रिहाशायी
459	बसंत लाल तनय दौलत कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा तनय बसंतलाल	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	51	गैर रिहाशायी
460	विनोद कुमार तनय सीताराम चौरासिया	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	8.575	गैर रिहाशायी
461	धान सिंह तनय कल्याण सिंह	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	40.8	गैर रिहाशायी
462	ब्रजेश पाल तनय किशोरी पाल	404/1/1/1/1	कच्चा कवेलू	10.6	गैर रिहाशायी
463	महेंद्र सिंह तनय उधम सिंह गोड	382	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहाशायी
464	पीयूष तनय अनिल कुमार अवस्थी	404/1/1/1/1	टॉनशेड	39	गैर रिहाशायी
465	शैलेन्द्र कुमार तनय हरदेव सिंह	408	कच्चा कवेलू	21	गैर रिहाशायी
466	गनी खान तनय नईम खान, इस्माइल खान तनय खुमान	408	कच्चा कवेलू	24	गैर रिहाशायी
467	रामरती पाते बलराम कोरी,	382	कच्चा कवेलू दो मंजिल	25	-
468	नरेन्द्र तनय इंदल सिंह	404/1/1/1/1	टॉनशेड	35.36	गैर रिहाशायी
469	परमलाल तनय बलराम कोरी	382	कच्चा कवेलू दो मंजिल	27.3	-
470	रामचरण तनय बलराम कोरी	382	कच्चा कवेलू	39	-
471	इंदल सिंह तनय बहादुर सिंह	404/1/1/1/1	टॉनशेड	35.36	गैर रिहाशायी
472	राजू तनय बलराम कोरी	382	कच्चा कवेलू दो मंजिल	27.3	-
473	ब्रजेश तनय बलराम कोरी	382	कच्चा कवेलू	39	-
474	गिरबर सिंह तनय इंदल सिंह	404/1/1/1/1	टॉनशेड	35.36	गैर रिहाशायी
475	राजकुमारी पाते भागीरथ रेकवार, रिया उर्फ मुन्नी पिता भागीरथ रेकवार, ज्योति पिता भागीरथ रेकवार	382	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.5	गैर रिहाशायी
476	रामसनेही तनय राजा भैया नायक, क्रिस तनय रामसनेही नायक	382	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहाशायी
477	कुटल सीर तनय सुक्का सीर	757	कच्चा कवेलू	40.5	-
478	अशोक आदिवासी तनय कुटल सीर	757	कच्चा कवेलू	40.5	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवैलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
479	राकेश तनय कुटल सौर	757	कच्चा कवैलू	48	-
480	कुटुवा सौर तनय मोहनलाल सौर	757	कच्चा कवैलू/आम-1	33.6	-
			कच्चा कवैलू	37.5	-
481	रामनारायण तनय कुटुवा सौर	757	कच्चा कवैलू	33.6	-
482	जानकी बेवा बंदी सौर	725	कच्चा कवैलू	27.2	-
483	मूलचंद सौर तनय बंदी सौर	725	टीनशेड/आम-2, बर-3, नीम-2, कनेर-1	17.6	-
			पक्का RCC	60.5	-
484	भागीरथ सौर तनय बंदी सौर	725	पक्का RCC/आम-1, बर-1, बल-1	33.2	-
			कच्चा कवैलू	41.5	-
485	मानिकलाल सौर तनय बंदी सौर	725	कच्चा कवैलू दां मांजल	21	-
486	हरप्रसाद सौर तनय कल्ला सौर	757	कच्चा कवैलू	48	-
487	सुरेश सौर तनय हरप्रसाद	757	कच्चा कवैलू	34	-
488	मुन्नू सौर तनय लबुआ सौर	757	कच्चा कवैलू/बर-5, नीम-1, सिरसा-1	10.5	-
489	जगन्नाथ तनय मुन्नू सौर	757	कच्चा कवैलू	13.2	-
490	गंगाराम सौर तनय मुन्नू	757	कच्चा कवैलू	21	-
491	हरिराम सौर तनय मुन्नू सौर	724	कच्चा कवैलू	12.8	-
492	मथुराप्रसाद गुप्ता तनय मिठाईलाल	725	कच्चा कवैलू	37.8	-
			कच्चा कवैलू	21	-
493	हक्की बाई सौर पुत्री मुन्नू	757	कच्चा कवैलू	10.5	-
494	दशादा सौर पुत्री मुन्नू	757	कच्चा कवैलू	10.5	-
495	राकेश आदिवासी तनय जानकी	757	टीनशेड/आम-1, सिरसा-1, अमरुद-1, नीबू-1	12.8	-
496	रूपा सौर तनय भगवानदास	725	कच्चा कवैलू	31.5	-
497	भगवानदास तनय प्यारेलाल आदिवासी	757	कच्चा कवैलू	44.1	-
498	नानलाल आदिवासी तनय मिजाजी	757	कच्चा कवैलू	22.5	-
499	देशराज आदिवासी तनय कच्छदी	757	टीनशेड/आम-2, सीताफल-1, अमरुद-1	18	-
500	पप्पू तनय रमेश सौर	725	कच्चा कवैलू दां मांजल	48	-
501	गोवधन केवट तनय जगखडी, मुकेश तनय गोवधन केवट	757	कच्चा कवैलू	42	-
			कच्चा कवैलू	36.4	-
			कच्चा कवैलू	6	-
502	जानकी सौर वेवा फेकू	725	पक्का RCC	41.6	-
503	रमेश तनय जगखडी केवट, दुर्गावती पुत्री रमेश केवट	757	कच्चा कवैलू/अमरुद-6	31.5	-
			कच्चा कवैलू	24.75	-
			कच्चा कवैलू	51	-
504	बब्बू यादव तनय हनुमत यादव	725	टीनशेड	9.6	-
505	हीरालाल यादव तनय हीतोलाल	725	पक्का RCC	36	-
			कच्चा कवैलू	54	-
506	लखन यादव तनय हीतोलाल	725	टीनशेड/बर-2	27	-
507	विन्द्रावन यादव तनय हीतोलाल	725	कच्चा कवैलू	56	-
508	माजा यादव वेवा गोविन्द यादव	725	कच्चा कवैलू	56	-
509	गोरीशंकर यादव तनय हीतोलाल	725	कच्चा कवैलू/नीम-1, सागौन-1	24.5	-
510	रामसेवक यादव तनय हीतोलाल	725	कच्चा कवैलू दां मांजल	38	-
511	दिलीप यादव तनय रामसेवक	725	कच्चा कवैलू	19	-
512	बाबूलाल यादव तनय शिवदयाल	725	टीनशेड/नीम-1	13.3	-
			कच्चा कवैलू	20	-
513	धनश्याम यादव तनय बाबूलाल	725	टीनशेड	24.5	-
514	देवीदेन यादव तनय बाबूलाल	725	कच्चा कवैलू	25.2	-
515	सजा यादव पुत्री बाबूलाल	725	टीनशेड	13.3	-
516	लोकेंद्र यादव तनय बाबूलाल	725	कच्चा कवैलू	25.2	-
517	कोमल पिता बाबूलाल यादव	725	कच्चा कवैलू	20	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टिनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
518	रामदयाल यादव तनय शिवदयाल	725	टिनशेड/नीम-1	58.32	-
			कच्चा कवेलू	58.32	-
519	बसंतलाल तनय शिवदयाल यादव	725	कच्चा कवेलू/नीम-1, श्यामर-1	63.45	-
			टिनशेड	12.32	-
520	चैनुबाई यादव वेवा शिवदयाल यादव	725	कच्चा कवेलू	63.75	-
521	रामा यादव तनय हनुमत यादव	725	टिनशेड	9.6	-
522	शिवरतन यादव तनय शिवदयाल, सत्यम तनय शिवरतन यादव	725	कच्चा कवेलू	47.52	-
523	छुट्टी यादव तनय शिवदयाल, प्रियंका यादव पिता छुट्टी, पवन तनय छुट्टी यादव	725	कच्चा कवेलू	63.75	-
524	गुलाब बाई पाल वेवा राम सिपाही	725	टिनशेड	9.6	गेर रिहाशयी
525	रजनी पत्नी हरप्रसाद सौर	757	कच्चा कवेलू	22	-
526	नारायण विश्वारी तनय द्वारकाप्रसाद	724	टिनशेड	63	-
527	राज विश्वारी तनय नारायण विश्वारी	724	टिनशेड	66	-
528	हलकाई सौर तनय बब्बू सौर, वीरन तनय हलकाई सौर	725	कच्चा कवेलू	36	-
			कच्चा कवेलू	17.4	-
			कच्चा कवेलू	21	-
529	संतोषी पत्नी हरप्रसाद सौर	757	कच्चा कवेलू	34	-
530	बिनीया वेवा बब्बू सौर	725	कच्चा कवेलू	24	-
531	अजुद्धी सौर तनय बब्बू सौर	725	कच्चा कवेलू/नीम-1, जामून-1	48	-
			कच्चा कवेलू	6	-
532	दीपक तनय अजुद्धी सौर	725	कच्चा कवेलू	47.5	-
533	हल्की बाई आदिवासी वेवा सुतेया	725	कच्चा कवेलू	32.4	-
534	पन्नू आदिवासी तनय मोतीलाल	724	कच्चा कवेलू	20.46	-
535	दशरथ सौर तनय मोतीलाल	724	कच्चा कवेलू	20.46	-
536	श्यामलाल आदिवासी तनय मोतीलाल	724	कच्चा कवेलू	19.2	-
537	पाना सौर वेवा दसइया	725	कच्चा कवेलू	18	-
538	देशराज तनय दसइया सौर	725	कच्चा कवेलू	12	-
539	सुम्मरा तनय दसइया सौर	725	टिनशेड	55	-
540	गोरीशंकर तनय बिन्द्रावन सौर	725	कच्चा कवेलू	18	-
541	बिन्द्रावन सौर तनय बलुआ	725	कच्चा कवेलू	25.2	-
			कच्चा कवेलू	28.35	-
542	राजलाल सौर तनय बिन्द्रावन सौर	725	कच्चा कवेलू	25.2	-
543	कालीचरण सौर तनय बिन्द्रावन	725	कच्चा कवेलू	34.65	-
544	आफत सौर तनय संतु सौर	725	पक्का RCC	46	-
			टिनशेड	34.5	-
545	रमेश आदिवासी तनय आफत सौर	725	कच्चा कवेलू	23.1	-
			कच्चा कवेलू	34.65	-
546	कल्लू बाई सौर पीते संतु	725	कच्चा कवेलू	24	-
547	रामरतन आदिवासी तनय संतु	725	कच्चा कवेलू	38.4	-
548	भगवानदास तनय दसइया सौर	725	कच्चा कवेलू	9	-
549	रामलाल सौर तनय संतु	725	कच्चा कवेलू	39.6	-
			पक्का RCC	34	-
550	विषाल तनय दुर्जना सौर	725	कच्चा कवेलू	24.96	-
551	प्रेमराज तनय विषाल सौर	725	कच्चा कवेलू	14.82	-
552	हरिराम तनय विषाल सौर	725	कच्चा कवेलू	14.82	-
553	संतोष आदिवासी तनय अलमा	725	कच्चा कवेलू/आम-2, जामून-1	12.6	-
			कच्चा कवेलू	17.02	-
554	हल्की बाई आदिवासी वेवा जगदीश	725	कच्चा कवेलू	17.85	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
555	मुन्ना सोर तनय लूला सोर	725	कच्चा कवेलू	22.68	-
			कच्चा कवेलू	21.6	-
556	राजाराम सोर तनय लूला सोर	725	कच्चा कवेलू	17.01	-
557	मन्नू सोर तनय कलुआ	725	कच्चा कवेलू	28	-
558	भागवती सोर तनय कलुआ	725	कच्चा कवेलू	12.8	-
559	कलुआ सोर तनय हजारीया	725	कच्चा कवेलू	12.8	-
			कच्चा कवेलू	7.59	-
560	उदयभान सोर तनय कलुआ	725	कच्चा कवेलू	28	-
561	हीरालाल सोर तनय कलुआ सोर	725	कच्चा कवेलू	15	-
562	रामनरेश तनय कलुआ सोर	725	कच्चा कवेलू	25.2	-
563	जगन्नाथ सोर तनय कलुआ सोर	725	कच्चा कवेलू	24	-
564	भगवानदास सोर तनय प्यारेलाल, अरविन्द तनय भगवानदास सोर	725	पक्का RCC	32	-
			टीनशेड	15	-
565	नंदू यादव तनय भुल्लन यादव	724	कच्चा कवेलू/सुरजना-2, नीम-3	12.5	-
566	नोनेलाल आदिवासी तनय मिजाजी	725	पक्का RCC	32	-
567	बुधिया बाई सोर वंवा मेमार सोर	725	कच्चा कवेलू	45.15	-
			कच्चा कवेलू	19.5	-
568	गणेश सोर तनय मेमार सोर	725	कच्चा कवेलू	52	-
569	गणपत तनय मेमार सोर	725	कच्चा कवेलू	24	-
570	रामचरण सोर तनय प्यारेलाल सोर	725	कच्चा कवेलू	27	-
			कच्चा कवेलू	38	-
571	वीरन सोर तनय रामचरण	725	टीनशेड	19.5	-
			कच्चा कवेलू	24	-
572	उमा पुत्री रामचरण सोर	725	कच्चा कवेलू	29.14	गेर रिहायशी
573	प्यारेलाल सोर तनय लबुआ सोर	725	कच्चा कवेलू	24.5	-
			कच्चा कवेलू	13.5	-
574	रामसेवक सोर तनय प्यारेलाल सोर	725	कच्चा कवेलू	42.3	-
			कच्चा कवेलू	17.6	-
575	बसती बेवा कन्नू सोर	725	कच्चा कवेलू	25.4	-
			कच्चा कवेलू	20.1	-
576	भुमानीदीन तनय कन्नू सोर	725	कच्चा कवेलू	25.2	-
			कच्चा कवेलू	10.5	-
577	सताष सोर तनय कन्नू	725	कच्चा कवेलू	25.4	-
578	प्रेमलाल आदिवासी तनय लबुआ	725	टीनशेड	10.2	-
579	सरजू सोर तनय लबुआ सोर	725	कच्चा कवेलू	36.54	-
			कच्चा कवेलू	7.56	-
580	नन्दाकिशोर यादव तनय नंदू यादव	724	कच्चा कवेलू	12.5	-
581	नंदलाल सोर तनय तिजइया	725	कच्चा कवेलू दो मंजिल	29.25	-
582	सुकन बाई वंवा तिजइया आदिवासी	725	कच्चा कवेलू	31.2	-
583	राजकुमार सोर तनय तिजइया, श्रीराम तनय तिजइया सोर	725	कच्चा कवेलू	48.75	-
584	हरगीविंद सोर तनय तिजइया	725	कच्चा कवेलू दो मंजिल	24	-
585	शांतीबाई आदि वंवा कुनतती	725	कच्चा कवेलू	24.8	-
586	दशरथ सोर तनय कुनतती	725	टीनशेड	40.74	-
587	परमलाल तनय बारेलाल सोर	725	कच्चा कवेलू दो मंजिल	40.5	-
588	लखन लाल तनय बारेलाल सोर	725	कच्चा कवेलू	28	-
589	गौरी बाई सोर वंवा बारेलाल	725	कच्चा कवेलू	32	-
590	भागचंद तनय बारेलाल सोर	725	कच्चा कवेलू	24	-
591	अजुद्धी सोर तनय दुर्जना	725	कच्चा कवेलू	32	-
			कच्चा कवेलू	8	-
592	भुमानीदीन सोर तनय अजुद्धी सोर	725	टीनशेड	69	-
593	मती सोर तनय हिरवा सोर	725	कच्चा कवेलू	30	-
			कच्चा कवेलू	21	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
594	बिहारी आदिवासी तनय हिरवा	725	कच्चा कवेलू दो मंजिल	33	-
595	विनेई सौर वेवा अलमा सौर	725	कच्चा कवेलू	3.78	-
596	रामसेवक आदिवासी तनय अलमा	725	कच्चा कवेलू	30.4	-
597	गिजू सौर तनय अलमा सौर	725	कच्चा कवेलू	13.02	-
598	मल्हा सौर वेवा हीरा सौर	725	कच्चा कवेलू	20	-
599	बलदेव प्रसाद सौर तनय आनंदी सौर	725	कच्चा कवेलू	46.9	-
600	हक्का सौर तनय दुर्जना सौर, शंकर सौर तनय हक्का सौर	725	पक्का RCC	16.81	-
601	रामसिंह यादव तनय नंदू यादव	724	कच्चा कवेलू	49.7	-
602	अजुना तनय दुर्जना सौर	725	कच्चा कवेलू	12.5	-
			कच्चा कवेलू	55.1	-
			कच्चा कवेलू	39.2	-
603	रामगोपाल सौर तनय खन्जु	725	कच्चा कवेलू	70	-
604	कमलिया सौर वेवा खंजु	725	कच्चा कवेलू	15.75	-
605	काशीबाई पत्नी श्यामलाल सौर	725	कच्चा कवेलू	15.75	-
606	नानलाल सौर तनय कर्दी सौर	725	कच्चा कवेलू	26.6	-
			कच्चा कवेलू	13.68	-
607	गणेश आदिवासी तनय फेकू	725	कच्चा कवेलू	23	-
608	लाल्ले आदिवासी तनय पुलवा	725	कच्चा कवेलू/नोम-1, आम-1	56	-
609	हरदयाल तनय लाल्ले सौर	725	कच्चा कवेलू	18	-
610	रोवि आदिवासी तनय लाल्ले सौर	725	कच्चा कवेलू	18	-
611	फईी सौर तनय खुमना सौर	725	कच्चा कवेलू/नोम-2	25.2	-
			कच्चा कवेलू	39.6	-
			कच्चा कवेलू	22	-
612	जसुदेया सौर वेवा खुमना	725	कच्चा कवेलू	56.4	-
			कच्चा कवेलू	37.8	-
613	रामचरण सौर तनय खुमना	725	कच्चा कवेलू	32.4	-
614	संतोष सौर तनय भुन्दु सौर	725	कच्चा कवेलू/नोम-1, जामुन-2	63	-
			कच्चा कवेलू	48	-
615	दरवारी सौर तनय भुन्दु सौर	725	टीनशेड	55	-
616	गुवर्दी सौर तनय दरवारी	725	टीनशेड	19.25	-
617	वीरेंद्र सौर तनय दरवारी	725	टीनशेड	19.25	-
618	मुकेश सौर तनय गोरलाल	725	कच्चा कवेलू	38.7	-
			टीनशेड	3.96	-
619	परमलाल सौर तनय धनुवा	725	टीनशेड	17.22	-
620	राजू सौर तनय मुन्हु आदिवासी	725	कच्चा कवेलू/अमरुद-1, आम-2	35.38	-
			कच्चा कवेलू	14.4	-
621	प्रेमलाल आदिवासी तनय हल्के	725	कच्चा कवेलू	21.2	-
622	कन्छेदी आदिवासी तनय कल्ला	725	कच्चा कवेलू	20.79	-
			कच्चा कवेलू	28.6	-
623	चंदा सौर वेवा हिन्नु	725	कच्चा कवेलू	21.84	-
624	रामकिशोर सौर तनय कल्ला	725	पक्का RCC	34.86	-
			कच्चा कवेलू	63	-
625	गन्नपत सौर तनय खिल्लन सौर, भारती पुत्री गन्नपत सौर	725	कच्चा कवेलू	28.7	-
			कच्चा कवेलू	34	-
			टीनशेड	18.9	-
626	द्वारका प्रसाद यादव तनय नंदू यादव	724	कच्चा कवेलू	12.5	-
627	राममिलन गौड तनय खिल्लन गौड	725	कच्चा कवेलू	32	-
			कच्चा कवेलू	18	-
			कच्चा कवेलू	29.75	-
628	बबलू आदिवासी तनय राममिलन	725	टीनशेड	29.75	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टैनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
629	भूरा सौर तनय फूलन सौर	725	टैनशेड/जामुन-1	25.5	-
630	भगवानदास सौर तनय भूरा सौर	725	टैनशेड	19.5	-
631	शांति सौर वेवा रमशु सौर	725	कच्चा कवेलू दा मांजिल/ नीबू-1	48	-
632	गंगाराम सौर तनय मुन्नू सौर	725	कच्चा कवेलू	31.5	-
633	पारवती सौर वेवा बबलू	725	कच्चा कवेलू	31.5	-
634	श्यामलाल सौर तनय कुटुआ, मेन्सी पुत्री श्यामलाल सौर	725	टैनशेड/ बांस-12, बेल-1, तेंदू- 1, चिरोल-1, सेजा-1	38	-
635	प्रेमकुमार रेकवार तनय जमुनाप्रसाद	725	कच्चा कवेलू	19.76	गैर रिहाशयी
636	देवकीनंदन विश्वकर्मा तनय मानकलाल	725	कच्चा कवेलू	13.44	गैर रिहाशयी
637	नन्दाकिशोर तनय धनुष राम	725	कच्चा कवेलू	16.83	-
638	देवीचरण केवट तनय सुमेश कवट	757	कच्चा कवेलू	12.6	गैर रिहाशयी
639	राजेश तनय धनुआ सौर	725	कच्चा कवेलू	14.7	-
640	प्रियका पिता खिलान सिंह	725	कच्चा कवेलू दो मांजिल	26	-
641	रमेश तनय दयाराम आदिवासी	725	कच्चा कवेलू/बेल-1, जामुन-1	44.1	-
642	गोरिलाल आदिवासी तनय हल्का	725	कच्चा कवेलू/आम-1, जामुन-1, बेल-2 सीताफल-1	36.48	-
643	भगताराम आदिवासी तनय गोरिलाल	725	कच्चा कवेलू	30.1	-
644	हीरालाल आदिवासी तनय हल्का, रामस्वरूप तनय हीरालाल आदिवासी	725	कच्चा कवेलू	49.98	-
645	चंद्र तनय हिरुवा सौर	725	कच्चा कवेलू	66.6	-
646	परमलाल सौर तनय हल्का सौर	725	कच्चा कवेलू	28.5	-
647	बृजलाल सौर तनय परमलाल	725	पक्का RCC/बेर-5	45.6	-
648	बसंतलाल सौर तनय परमलाल	725	कच्चा कवेलू/सिरसा-2	18	-
649	तुलसिया सौर वेवा हल्का सौर	725	कच्चा कवेलू/नाम-1	18	-
650	गुना बाई पाते चंद्र सौर, श्री राम सौर तनय चंद्र	725	कच्चा कवेलू	45	-
651	बाबुलाल आदिवासी तनय हल्के	725	कच्चा कवेलू	42	-
652	गुमान सिंह यादव तनय नंदू	724	कच्चा कवेलू दो मांजिल	30	-
653	बाबुलाल आदिवासी तनय हल्के	725	टैनशेड	14.26	-
654	माहनलाल तनय बाबुलाल आदिवासी	725	टैनशेड	14.26	-
655	खिलान आदिवासी तनय गोपी	725	टैनशेड	11.44	-
656	तारापत तनय दयाराम सौर	725	कच्चा कवेलू	12	-
657	चंचल कुमार चौरसिया तनय परमानन्द	724	टैनशेड	22.5	गैर रिहाशयी
658	दिनेश बरई तनय बहारी बरई	724	टैनशेड	25	गैर रिहाशयी
659	हरगावेंद चौरसिया तनय बहारीलाल	724	टैनशेड	22.5	गैर रिहाशयी
660	मानिकचंद तनय मुन्नीलाल यादव	724	कच्चा कवेलू	44.2	-
661	गुमान सिंह यादव तनय नंदू	724	टैनशेड	30	-
662	गोरीशंकर यादव तनय रामचरण	725	टैनशेड	30	-
663	गुमान सिंह यादव तनय नंदू	724	कच्चा कवेलू	12.5	-
664	गोरीशंकर यादव तनय रामचरण	725	पक्का RCC/बेर-1, नाम-3, बेल- 3	62	-
665	नानी बाई यादव वेवा रामचरण	725	कच्चा कवेलू	32	-
666	भागोरथ यादव तनय गोरीशंकर	725	कच्चा कवेलू	82.5	-
667	राजू यादव तनय पंचम	725	कच्चा कवेलू	27.95	-
668	कन्हैया यादव तनय रामचरण	725	कच्चा कवेलू/नाम-2, आंवला-2	29.4	-
669	उमाशंकर यादव तनय कन्हैया	725	कच्चा कवेलू	53.2	-
670	उमाशंकर यादव तनय कन्हैया	725	कच्चा कवेलू	29.4	-

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/तनय का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
666	काशीराम यादव तनय कन्हैया	725	कच्चा कवेलू	29.4	-
667	अरविन्द यादव तनय गौरीशंकर	725	कच्चा कवेलू	43	-
668	हीरा यादव वेवा शिबू यादव	725	पक्का RCC/नीम-7, अमरुद-3, कनेर-2	40	-
669	परसुराम यादव तनय विषलु	725	कच्चा कवेलू	27.2	-
670	रामरतन यादव तनय गनशा यादव	724	कच्चा कवेलू	32	-
671	स्याना बाई यादव वेवा गनशा यादव	724	कच्चा कवेलू	75.6	-
672	मुन्नालाल यादव तनय भुदु	724	कच्चा कवेलू/आम-1, नीम-1, बेल-1, आंवला-1	13.5	-
673	अमजद खान तनय नईम खान, अरबाग खान तनय अजमत खान	725	टीनशेड	21	गैर रिहायशी
674	डम खान तनय हलक खान	725	टीनशेड	9.6	गैर रिहायशी
675	दीपू सुल्तान तनय इमाम खान	725	कच्चा कवेलू	13.2	गैर रिहायशी
676	बदू आदिवासी तनय खंडिया	725	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.2	-
677	फज्जू तनय अब्दुल गनी खान, वारिस तनय फज्जू खान	724	कच्चा कवेलू	35	गैर रिहायशी
678	दोलतराम तनय चंद्र सौर	725	कच्चा कवेलू	48	-
679	बब्बू यादव तनय निज्जी, नंदू तनय बब्बू यादव, कुजा पुत्री बब्बू यादव	724	टीनशेड / नीम-1, बेल-1	76.5	-
680	रामनिवास यादव तनय बब्बू यादव	724	कच्चा कवेलू	38.5	-
681	शंकर तनय चंद्र सौर	724	कच्चा कवेलू	42.35	-
682	छोटू तनय चंद्र सौर	725	कच्चा कवेलू	48	-
683	गौरिया वेवा निज्जी यादव	724	कच्चा कवेलू	15	-
684	महेंद्र यादव तनय वीरन यादव	724	कच्चा कवेलू	70	-
685	दिनेश यादव तनय राजाराम यादव	724	कच्चा कवेलू दो मंजिल	39	-
686	वीरन यादव तनय निज्जी यादव, कुमकुम पुत्री वीरन यादव	724	कच्चा कवेलू दो मंजिल	33	-
687	कृष्णकांत तनय वीरन यादव	724	कच्चा कवेलू	20	-
688	अजय सौर तनय तिजइया	725	कच्चा कवेलू	29.25	-
689	लखनलाल यादव तनय मुन्नालाल	724	कच्चा कवेलू	18	-
690	मुन्ना लाल यादव तनय निज्जी	724	कच्चा कवेलू	46.75	-
691	रामाकेशन यादव तनय मुन्नालाल	724	टीनशेड	28	-
692	पुष्पेन्द्र तनय मुन्नालाल यादव	724	कच्चा कवेलू	44.2	-
693	जगन्नाथ सौर तनय मुन्ना सौर	725	कच्चा कवेलू	51	-
694	प्रहलाद यादव तनय प्रकाश यादव	724	कच्चा कवेलू	80	-
695	बलराम यादव तनय निज्जी यादव	724	कच्चा कवेलू	56	-
696	पूरनचंद चौरासिया तनय बहारीलाल	724	कच्चा कवेलू/बेर-4, नीम-2	12	-
697	राजकुमार तनय कुटल सौर	724	टीनशेड	42.35	-
698	चुख्खी यादव पुत्री हांतीलाल	724	कच्चा कवेलू/बेर-4, नीम-2	29.25	-
699	मुकेश यादव तनय रामसेवक यादव	725	टीनशेड	18	-
700	जमील खान तनय मुन्ना खान	725	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहायशी
701	बलदेव प्रसाद सौर तनय बंदी सौर	757	कच्चा कवेलू	14	-
702	रसी बाई पति खंडिया सौर	725	कच्चा कवेलू दो मंजिल	56	-
703	कमलेश सौर तनय कन्हेदी	757	कच्चा कवेलू	44.1	-
			कच्चा कवेलू	34.8	-

- सार्वजनिक प्रयोजन दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-115-अ-82-2023-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि/भवन/परिसंपत्तियों के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित आबादी भूमि पर स्थित भवन/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त पर स्थित भवन/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि/भवन/परिसंपत्तियों का वर्णन

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- सटई

(ग) नगर/ग्राम-पलकोहां

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 35136.821 वर्ग मी. में

क्रं	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			प्रकार मकान का विवरण/ परिसंपत्तियों का विवरण	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी. में)	
01	02	03	04	05	06
1	भइयन कोंदर तनय गुमना	351	कच्चा कवेलू/केथा-1	27	-
			पक्का RCC	48	-
2	भइयालाल तनय भइयन कोंदर	351	पक्का RCC	32	-
			शौचालय	4	-
3	जगना तनय भइयन कोंदर	403	पक्का RCC/शीशम-1	29.6	-
			शौचालय	2	-
4	गोंदा बाई कोंदर बेवा दीना कोंदर	403	पक्का RCC	24.5	-
5	राजकुमार तनय दीना कोंदर	403	कच्चा कवेलू	45	-
6	भुन्नी आदिवासी तनय गबडू	403	पक्का RCC/ सागौन-2, नीम-1	13.32	-
			कच्चा कवेलू	34	-
7	बिहारी कोंदर तनय भुन्नी आदिवासी	403	R.B.C. WALL	60	-
8	परमलाल आदिवासी तनय टेडा	403	पक्का RCC/ शीशम-1, कंजी-1, सागौन-1	25.55	-
9	किशन कोंदर तनय टेडा	403	कच्चा कवेलू	24	-
10	देशराज पाल तनय भुमानीदीन	403	डबल कच्चा कवेलू	32	-
11	रामचरण शिवहरे तनय देवीदीन	403	टीनशेड	31.8	-
12	भूरी बाई कोंदर वेवा जीवन आदिवासी	403	पक्का RCC	28	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
13	बिहारी आदिवासी तनय रजुआ	403	कच्चा कवेलू/ कज्जी-1, सागौन-2	52	-
			पक्का RCC	28	-
			कच्चा कवेलू	79.2	-
14	धर्मदास कलार तनय राजाराम	403	टीनशेड	18.5	-
15	राकेश आदिवासी तनय चंदा	403	कच्चा कवेलू	32	-
			कच्चा कवेलू	24	-
16	हरदू आदिवासी तनय भंता	403	पक्का RCC	30.4	-
			कच्चा कवेलू	19	-
17	लल्ली आदिवासी तनय भंता	403	पक्का RCC	25.9	-
			कच्चा कवेलू	9.45	-
			कच्चा कवेलू	21	-
			कच्चा कवेलू	30.66	-
			कच्चा कवेलू	18.25	-
18	कमलेश आदिवासी तनय हरदू	403	पक्का RCC	12.47	-
19	हरीदास आदिवासी तनय हरदू	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	22.2	-
20	रामप्रसाद आदिवासी तनय हरदू	403	कच्चा कवेलू/मूंगा-1	20.4	-
21	तुलसी आदिवासी तनय चंदा	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	28.86	-
22	राजेश आदिवासी तनय चंदा	403	पक्का RCC	21.09	-
23	रामस्वरूप आदिवासी तनय छिकोडिया	403	पक्का RCC/ सागौन-1	33.15	-
			कच्चा कवेलू	25.52	-
			कच्चा कवेलू	20	-
24	स्वामी आदिवासी तनय रामस्वरूप	403	कच्चा कवेलू	31.82	-
25	रवि आदिवासी तनय रामस्वरूप	403	कच्चा कवेलू	31.82	-
26	कमलेश आदिवासी तनय रामस्वरूप	403	कच्चा कवेलू	37.52	-
27	महेश तनय बब्बू कौंदर, हलकाई तनय बब्बू कौंदर	403	पक्का RCC	24.455	-
28	नुत्री आदिवासी तनय नन्ना	403	कच्चा कवेलू/ सिरसा-5, सागौन-1, नीम-1	51.06	-
29	जीवन आदिवासी तनय नुत्री	403	कच्चा कवेलू	54	-
			कच्चा कवेलू	41.25	-
			कच्चा कवेलू	11.22	-
30	हक्कू कौंदर तनय नन्ना कौंदर	403	कच्चा कवेलू/ सिरसा-3	13.5	-
			कच्चा कवेलू	13.8	-
			कच्चा कवेलू	34	-
31	बाबु आदिवासी तनय हक्कू	403	कच्चा कवेलू	34.65	-
32	ग्यासी आदिवासी तनय हक्कू	403	कच्चा कवेलू	34.65	-
33	रामसहाय आदिवासी तनय नन्ना	403	कच्चा कवेलू	19.84	-
			कच्चा कवेलू	51.12	-
34	लखन आदिवासी तनय रामसहाय	403	कच्चा कवेलू	51.12	-
35	खेमचन्द्र आदिवासी तनय रामसहाय	403	पक्का RCC/ सिरसा-1	27.9	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
36	पुरन आदिवासी तनय रामसहाय	403	कच्चा कवेलू	30.6	-
37	मुन्ना आदिवासी तनय गोरेलाल	403	पक्का RCC/ शीशम-1, सिरसा-1	29.4	-
			कच्चा कवेलू	39.06	-
			कच्चा कवेलू	35.34	-
			कच्चा कवेलू	12	-
			कच्चा कवेलू	6	-
38	कृपाल आदिवासी तनय लक्ष्मीप्रसाद	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ नीम-1, चिल्ला-1	46.08	-
			कच्चा कवेलू	8.06	-
			कच्चा कवेलू	8.84	-
			टीनशेड	16.12	-
			कच्चा कवेलू	5.98	-
39	नीरज आदिवासी तनय कृपाल	403	कच्चा कवेलू	11.9	-
40	लक्ष्मीप्रसाद आदिवासी तनय करनजु	403	पक्का RCC/ नीम-2, शीशम-1	26.28	-
			कच्चा कवेलू	16.56	-
			कच्चा कवेलू	18.2	-
41	श्यामलाल आदिवासी तनय लुकियान	403	पक्का RCC	33.93	-
			कच्चा कवेलू	24.75	-
42	सुकलाल आदिवासी तनय मनका	403	कच्चा कवेलू/नीम-2	9.89	-
			कच्चा कवेलू	31.39	-
			कच्चा कवेलू	19.71	-
			कच्चा कवेलू	21.5	-
			शौचालय	2.4	-
43	बबलू आदिवासी तनय सुकलाल	403	पक्का RCC	33.93	-
			शौचालय	2.4	-
44	सेवा आदिवासी तनय मनका	403	पक्का RCC	33.15	-
45	भूरा आदिवासी तनय मनका	403	कच्चा कवेलू	19.38	-
			कच्चा कवेलू	9.88	-
46	अवधलाल तनय गोकल आदिवासी	403	कच्चा कवेलू	23.256	-
47	हज्जू तनय गोकल आदिवासी	403	कच्चा कवेलू	23.256	-
48	होती तनय गोकल आदिवासी	403	कच्चा कवेलू	23.256	-
49	गोकल तनय भुलवा आदिवासी	403	पक्का RCC	11.1	-
50	मोहन तनय गोकल आदिवासी	403	कच्चा कवेलू	23.256	-
51	कालू तनय गोकल आदिवासी	403	कच्चा कवेलू	23.256	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
52	रामसेवक कौंदर तनय हक्कू	403	कच्चा कवेलू	24.5	-
			कच्चा कवेलू	5.95	-
53	शान्ति बाई आदिवासी वेवा हक्कू	403	पक्का RCC/जामुन-1	33.6	-
			शौचालय	4	-
			कच्चा कवेलू	40.7	-
54	गिरजा आदिवासी तनय हक्कू	403	कच्चा कवेलू	17.42	-
			कच्चा कवेलू	32.16	-
55	ओमप्रकाश तनय हक्कू आदिवासी	475	कच्चा कवेलू/ नीम-1	21.35	-
56	सुरेश तनय गिरजा आदिवासी	475	कच्चा कवेलू	24.5	-
			कच्चा कवेलू	5.95	-
57	ब्रन्दावन तनय हक्कू आदिवासी	475	कच्चा कवेलू	24.5	-
			कच्चा कवेलू	5.95	-
58	गेंदा आदिवासी पत्नी दुर्जना	475	पक्का RCC/ सागौन-5, नीम-1, चिल्ला-1	31.6	-
			कच्चा कवेलू	24	-
59	बिरजू आदिवासी तनय भंता	475	पक्का RCC	26.95	-
			मंदिर	0.25	-
			टीनशेड	17.98	-
			कच्चा कवेलू	12.95	-
60	सरमन आदिवासी तनय बिरजू	475	कच्चा कवेलू/ आम-1	72.98	-
61	सुरेश आदिवासी तनय बिरजू	475	कच्चा कवेलू	30.36	-
62	बलिया आदिवासी तनय लल्ली	277/1	कच्चा कवेलू	16	-
63	दरबारी आदिवासी तनय अच्छेलाल	247	कच्चा कवेलू	49.4	-
			कच्चा कवेलू	16.8	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.98	-
64	हीरा तनय भइयन आदिवासी	403	कच्चा कवेलू	17.5	-
			कच्चा कवेलू	13	-
65	गोरी बाई पत्नी टेडा आदिवासी	403	कच्चा कवेलू	23.46	-
66	सन्तु आदिवासी तनय प्यारेलाल	446/1	कच्चा कवेलू	21.6	-
			कच्चा कवेलू	11.2	-
67	राजाराम कौंदर तनय किरतइया	265	कच्चा कवेलू	24.12	-
68	जगदीश कौंदर तनय राजाराम कौंदर	265	कच्चा कवेलू	24.12	-
69	भूरी बाई कौंदर पत्नी जीवन कौंदर	277/1	पक्का RCC	32	-
70	अंगद आदिवासी तनय जीवन कौंदर	277/1	कच्चा कवेलू	24	-
71	विष्णु आदिवासी तनय जीवन कौंदर	277/1	कच्चा कवेलू	24	-
72	बारेलाल आदिवासी तनय प्यारेलाल	403	कच्चा कवेलू	19.76	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
73	जुगल आदिवासी तनय पुत्रा	403	कच्चा कवेलू	22	-
			कच्चा कवेलू	47	-
74	नंदू आदिवासी तनय जुगल	403	कच्चा कवेलू	20	-
			पक्का RCC	33.6	-
75	संतोष आदिवासी तनय जुगल	403	टीनशेड	17.7	-
			कच्चा कवेलू	16.32	-
			कच्चा कवेलू	8	-
76	शुगर आदिवासी पत्नी बाबुलाल	403	कच्चा कवेलू/ नीम-1, सागौन-2	50.4	-
			कच्चा कवेलू	17.6	-
77	धनीराम आदिवासी तनय लुखिया	355	कच्चा कवेलू	6.336	-
78	रामकिशोर आदिवासी तनय धनीराम	403	कच्चा कवेलू	6.336	-
79	करन कौंदर तनय श्यामलाल	403	कच्चा कवेलू	6.336	-
80	जीवन आदिवासी तनय प्यरेलाल	403	कच्चा कवेलू	15.2	-
81	विमला आदिवासी तनय सुन्दर	403	कच्चा कवेलू	12	-
82	दुर्जा पत्नी मनोज आदिवासी	403	कच्चा कवेलू	17.5	गैर रिहायशी
83	रूपा आदिवासी पत्नी लल्लू	403	कच्चा कवेलू	25	गैर रिहायशी
84	रानीदेवी आदिवासी पत्नी मुन्ना	403	कच्चा कवेलू	24	गैर रिहायशी
85	रामकली आदिवासी पत्नी तिजवा	247	कच्चा कवेलू	29.4	गैर रिहायशी
86	कुन्ती कौंदर पत्नी रवि कौंदर	247	कच्चा कवेलू	12	गैर रिहायशी
87	जमनाप्रसाद ओमरे तनय राजाराम	403	पक्का RCC दो मंजिल	29.64	-
			दुकान	27.26	-
			पक्का RCC दो मंजिल	31.68	-
			दुकान	32.49	-
88	गनेश ओमरे तनय जमनाप्रसाद	403	पक्का RCC दो मंजिल	28.05	-
			पक्का RCC दो मंजिल	14.28	-
89	केलाश ओमरे तनय जमना ओमरे	403	पक्का RCC	22.5	-
90	नरेन्द्र कुमार ओमरे तनय बट्टीप्रसाद	403	टीनशेड	13.02	-
91	किशोरी तनय काशीराम ओमरे	403	टीनशेड	46.5	-
92	रामकृपाल तनय काशीराम ओमरे	403	टीनशेड	46.5	-
93	करण कृपाल जैसवाल तनय श्याम बिहारी, गजेन्द्र शिवहरे तनय गोरेलाल	403	टीनशेड	13.02	-
94	मोनीलाल ओमरे तनय धर्मदास ओमरे	403	टीनशेड	18.5	-
95	पन्नालाल ओमरे तनय धर्मदास ओमरे	403	टीनशेड	70	-
96	रामसरूप पाल तनय हलकइया	411	कच्चा कवेलू	100	-
			मंदिर	4	-
			कच्चा कवेलू	30	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
97	किशुनिया वेवा नंदीलाल अनुरागी	475	कच्चा कवेलू	32	-
			पक्का RCC	32	-
98	मल्हू अनुरागी तनय नंदीलाल	475	कच्चा कवेलू	16.8	-
			कच्चा कवेलू	10.4	-
			कच्चा कवेलू	65	-
99	नथुवा रैकवार तनय रामलाल	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	20.16	-
			कच्चा कवेलू	28.08	-
100	रमेश रैकवार तनय नथुवा	403	कच्चा कवेलू	13.92	-
101	संतोष रैकवार तनय नथुवा	403	दुकान	7.6	-
			टीनशेड	12	-
102	रजनी रैकवार तनय नथुवा	403	कच्चा कवेलू	9	-
103	ग्यासी रैकवार तनय दोलता	411	कच्चा कवेलू	25.23	-
104	दीना रैकवार तनय दोलता	411	कच्चा कवेलू	25.8	-
105	विन्द्रावन रैकवार तनय दीना	411	कच्चा कवेलू	14.62	-
106	संतोष रैकवार तनय दीना	411	कच्चा कवेलू	14.62	-
107	चेतराम तनय निन्जी पाल	411	कच्चा कवेलू दो मंजिल	29.75	-
108	हलकाई तनय निन्जी पाल	411	कच्चा कवेलू दो मंजिल	29.75	-
109	रामदयाल पाल तनय निन्जी पाल	411	कच्चा कवेलू दो मंजिल	16.34	-
110	गिरजा ओमरे तनय धनीराम	355	कच्चा कवेलू/ बरा-1	44	-
			कच्चा कवेलू	22	-
			कच्चा कवेलू	18.8	-
			टीनशेड	9.6	-
			मंदिर	1	-
111	कलुआ पाल तनय गोटा पाल	355	कच्चा कवेलू	45	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	60	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.25	-
			कच्चा कवेलू	37.5	-
			कच्चा कवेलू	18	-
112	नंदकिशोर पाल तनय कलुआ पाल	355	कच्चा कवेलू	50	-
113	विष्णु विश्वकर्मा तनय मोहनलाल	355	पक्का RCC	12.8	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	8.36	-
			टीनशेड	12.16	-
114	रूपवती विश्वकर्मा पुत्री विष्णु	355	कच्चा कवेलू	15.96	गैर रिहायशी
115	जीतेन्द्र विश्वकर्मा तनय विष्णु	355	कच्चा कवेलू	17.64	-
116	अनिल तनय विष्णु विश्वकर्मा	355	कच्चा कवेलू	20	-
117	हरसेवक तनय विष्णु विश्वकर्मा	355	पक्का RCC	32	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
118	प्रकाश तनय नोनेलाल विश्वकर्मा, रोशनी पुत्री नोनेलाल विश्वकर्मा, चांदनी पुत्री नोनेलाल विश्वकर्मा	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	20	-
119	राजकुमारी पुत्री सुदामा पटेल	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32	-
120	कृष्णा विश्वकर्मा तनय किशोरी	355	टीनशेड	24	-
121	सियाराम तनय मोहन विश्वकर्मा	355	कच्चा कवेलू	20	-
122	विककी विश्वकर्मा तनय हनुमत	355	कच्चा कवेलू	6.142	-
123	रोहित विश्वकर्मा तनय हनुमत	355	कच्चा कवेलू	6.142	-
124	हनुमत विश्वकर्मा तनय रामविशाल	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	14.8	-
125	रामकली पत्नी बाबूलाल विश्वकर्मा	355	कच्चा कवेलू	20.8	
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.2	-
			कच्चा कवेलू	6	-
126	महेश विश्वकर्मा तनय बाबूलाल	355	कच्चा कवेलू	18.576	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.76	-
127	रामकुमार विश्वकर्मा तनय गोरेलाल	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ नीम-1, सगौन-4	26	-
			कच्चा कवेलू	6	-
128	लक्ष्मीप्रसाद विश्वकर्मा तनय मुलुवा	475	कच्चा कवेलू	91.98	-
			कच्चा कवेलू	4.86	-
129	खडिया रैकवार तनय खरगा	355	कच्चा कवेलू	41.4	-
			कच्चा कवेलू	21.6	-
			शौचालय	4	-
130	रामप्रसाद रैकवार तनय खडिया	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	54	-
131	भरत रैकवार तनय खडिया	355	कच्चा कवेलू	40	-
			कच्चा कवेलू	13.5	-
			कच्चा कवेलू	20	-
132	मुन्ना रैकवार तनय बलदुआ	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	56	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	48	-
			कच्चा कवेलू	56	-
133	राजेश रैकवार तनय मुन्ना रैकवार	355	कच्चा कवेलू	15	-
134	भागीरथ रैकवार तनय गिरधारी	355	टीनशेड	28.8	-
135	रामलाल रैकवार तनय भागीरथ	355	टीनशेड	12.04	-
136	गुमान रैकवार तनय भागीरथ	355	टीनशेड	12.04	-
137	पट्टू रैकवार तनय भागीरथ	355	टीनशेड	12.04	-
138	कल्लू रैकवार तनय राम आसरे	355	कच्चा कवेलू	29.05	-
139	कलाबाई रैकवार पत्नी हल्के भैया	355	टीनशेड	29.7	गैर रिहायशी
140	सरोज रैकवार पत्नी भैयादीन	355	कच्चा कवेलू	41.4	गैर रिहायशी

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
141	अंकित मिश्रा तनय रामवतार	475	कच्चा कवेलू	41.25	-
			टीनशेड	31.5	-
142	नन्नेलाल तनय कंदी रैकवार	355	कच्चा कवेलू	22.5	-
143	पार्वती रैकवार पत्नी कंदी	355	कच्चा कवेलू	11.1	-
144	मुन्नालाल तनय कंदी रैकवार	355	कच्चा कवेलू	30	-
145	रामकृपाल रैकवार तनय कंदी	355	कच्चा कवेलू	22.5	-
146	पप्पू रैकवार तनय दरइया	355	टीनशेड	36	-
147	दशरथ रैकवार तनय दरइया	355	कच्चा कवेलू	21.6	-
148	धरमदास रैकवार तनय चन्नू	355	पक्का RCC	32	-
			कच्चा कवेलू	22.8	-
149	कमलेश रैकवार तनय धरमदास	355	कच्चा कवेलू	25.2	-
150	मुकेश रैकवार तनय धरमदास	355	कच्चा कवेलू	20	-
151	शिवदयाल तनय सुकरता अनुरागी	475	कच्चा कवेलू	11.78	-
			कच्चा कवेलू	45.75	-
152	कन्हेदी अनुरागी तनय शिवदयाल	475	कच्चा कवेलू	11.34	-
153	लाडकुवर अनुरागी पत्नी बाबूलाल	475	कच्चा कवेलू	13.3	-
154	सुनील कुमार अनुरागी तनय बाबूलाल	475	कच्चा कवेलू	14	-
155	ठल्लू अनुरागी तनय सुकरता	475	कच्चा कवेलू	5.6	-
156	लक्ष्मन अनुरागी तनय ठल्लू	475	कच्चा कवेलू	5.32	-
157	गोवर्धन अनुरागी तनय ठल्लू	475	कच्चा कवेलू	5.32	-
158	जगन्नाथ अनुरागी तनय नंदी	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	24	-
159	टइया कोरी तनय गुलजारी	475	कच्चा कवेलू	45.54	-
160	महेश कोरी तनय भूरा कोरी	475	कच्चा कवेलू	11.375	-
			कच्चा कवेलू	4.6	-
161	भूरा कोरी तनय प्यारेलाल	475	कच्चा कवेलू	11.375	-
			कच्चा कवेलू	4.6	-
162	प्रेमवती वेवा नथुराम अनुरागी	475	कच्चा कवेलू	9.8	-
163	नीरज अनुरागी तनय नथुराम	475	कच्चा कवेलू	17.28	-
			कच्चा कवेलू	17.28	-
164	गोरीबाई कोरी पत्नी छिकोडिया	475	कच्चा कवेलू	12.96	-
			कच्चा कवेलू	4.8	-
165	छिददी अनुरागी तनय छिकोडिया	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	16.64	-
			कच्चा कवेलू	28	-
166	हरबाई कोरी पत्नी मनीराम	475	पक्का RCC	32	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
167	संतोष तनय मनीराम कोरी	475	कच्चा कवेलू	41.76	-
			कच्चा कवेलू	6.6	-
168	परमलाल कोरी तनय गोरेलाल	475	पक्का RCC	32	-
			कच्चा कवेलू	12	-
			शौचालय	3	-
169	कल्लू अनुरागी तनय परमलाल	475	कच्चा कवेलू	10	-
170	कृपाल अनुरागी तनय परमलाल	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	9.84	-
171	राजकुमार कोरी तनय परमलाल	475	पक्का RCC	32	-
172	हरिप्रसाद कोरी तनय परमलाल	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	9.84	-
173	मुकेश तनय परमलाल कोरी	475	कच्चा कवेलू	4	-
174	संतोष कोरी तनय परमलाल	475	कच्चा कवेलू	17.68	-
175	अखलेश कोरी तनय परमलाल	475	कच्चा कवेलू	10.4	-
176	राकेश अनुरागी तनय पकुवा	475	टीनशेड/ नीम-1, चिल्ला-1	12	-
177	भूरा अनुरागी तनय गुलजारी	475	कच्चा कवेलू	40.5	-
178	धनीराम कोरी तनय नंदी कोरी	475	कच्चा कवेलू	12.07	-
179	स्वेता अनुरागी पुत्री धनीराम कोरी	475	कच्चा कवेलू	12.07	-
180	प्यारेलाल अनुरागी तनय परमलाल	475	कच्चा कवेलू	18.7	-
181	भीष्म सिंह तनय जीवन सिंह	265	टीनशेड	22	-
182	महेंद्र पटेल तनय मोहन पटेल	265	टीनशेड	15	-
183	कृपाल रैकवार तनय मोतीलाल	416	पक्का RCC	16	-
184	कल्लू रैकवार तनय कृपाल	416	पक्का RCC दो मंजिल	22	-
185	सहोदरा रैकवार पुत्री कृपाल	416	कच्चा कवेलू	50	गैर रिहायशी
186	इल्लू रैकवार तनय कृपाल	416	पक्का RCC दो मंजिल	22	-
187	सुनीता रैकवार पुत्री कृपाल	416	कच्चा कवेलू	44	गैर रिहायशी
188	कमला तनय गनेश रैकवार	506	कच्चा कवेलू	24	-
			टीनशेड	31.28	-
189	नंदराम रैकवार तनय करिया	403	कच्चा कवेलू	12.24	-
			कच्चा कवेलू	26.24	-
190	स्वामीदीन पाल तनय गनुआ पाल	256	पक्का RCC	66.5	-
			कच्चा कवेलू	31.35	-
			कच्चा कवेलू	26.5	-
			टीनशेड	9.6	-
191	उमेश पाल तनय स्वामीदीन पाल	256	कच्चा कवेलू दो मंजिल	43.8	-
			कच्चा कवेलू	18	-
			कच्चा कवेलू	14.7	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
192	दिनेश पाल तनय स्वामीदीन पाल	256	कच्चा कवेलू दो मंजिल	43.8	-
			कच्चा कवेलू	18	-
193	सुकडू पाल तनय दुर्गा पाल	256	कच्चा कवेलू	27.6	-
194	चित्रीबाई पत्नी पकुवा पाल	256	कच्चा कवेलू	24	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.2	-
195	भगुन्ता पाल तनय परमा पाल	256	कच्चा कवेलू	24.38	-
			कच्चा कवेलू	11.4	-
			कच्चा कवेलू	44	-
			कच्चा कवेलू	22.62	-
196	गनुवा तनय भग्गा पाल	256	कच्चा कवेलू	21.2	-
197	प्रभुदयाल पाल तनय भगुन्ता पाल	256	कच्चा कवेलू दो मंजिल	35	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	18	-
198	दशरथ पाल तनय भगुन्ता पाल	256	कच्चा कवेलू दो मंजिल	35	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	18	-
199	मथरा पाल तनय सुकडू	403	कच्चा कवेलू	17.82	-
			पक्का RCC	33.21	-
			कच्चा कवेलू	18.72	-
200	राहुल तनय खिल्लन पाल	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.5	-
201	नेहा पाल पुत्री खिल्लन पाल	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.5	-
202	वर्षा पुत्री बबली रैकवार	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.5	-
203	बिट्टा रैकवार पत्नी आशाराम	425	कच्चा कवेलू	29.76	-
			कच्चा कवेलू	13.02	-
			कच्चा कवेलू	29.88	-
204	सुकडू रैकवार तनय गनेशा	403	कच्चा कवेलू	24.48	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	42.48	-
205	मनोज रैकवार तनय बब्बू	403	कच्चा कवेलू	21.96	-
206	लखन रैकवार तनय किप्पु	403	कच्चा कवेलू	12	-
207	राहुल रैकवार पुत्र लखन	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.25	-
208	अनिल रैकवार पुत्र लखन	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.25	-
209	अनू पुत्री लखन रैकवार	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.25	-
210	दशरथ रैकवार तनय किप्पु	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	24	-
211	शिवानी रैकवार पुत्री बबली	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	33.48	-
212	खनू रैकवार तनय सरू	425	कच्चा कवेलू	7.568	-
213	सूरज रैकवार तनय खनू	425	कच्चा कवेलू	7.568	-
214	अजय रैकवार तनय खनू	425	कच्चा कवेलू	7.568	-
215	संतोष रैकवार तनय नरू	416	टीनशेड	45	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
216	धनिया रैकवार पुत्री नसू	416	टीनशेड	45	-
217	खुमना अहिरवार तनय धंजू	446/1	पक्का RCC	37.23	-
			कच्चा कवेलू	35.42	-
			टीनशेड	23.46	-
218	राजेश कुमार अहिरवार तनय खुमना	446/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल	26.8	-
			कच्चा कवेलू	15.41	-
219	रवि तनय खुमना अहिरवार	446/1	कच्चा कवेलू	32	-
			कच्चा कवेलू	15	-
220	पप्पू तनय नथुवा अहिरवार	446/1	टीनशेड	15.6	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	24.08	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	21.32	-
221	दरबारी अहिरवार तनय नथुवा	446/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल	24.08	-
222	मानिक अहिरवार तनय रतना	446/1	कच्चा कवेलू	37.4	-
			कच्चा कवेलू	15.4	-
223	सकेश अहिरवार तनय रतना	446/1	कच्चा कवेलू	38.08	-
			कच्चा कवेलू	12.6	-
			कच्चा कवेलू	7.84	-
224	धनीराम तनय पुसुआ अहिरवार	446/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ नीम-1, सिरसा-1	25.08	-
			कच्चा कवेलू	9.66	-
			शौचालय	4	-
225	विनोद अहिरवार तनय धनीराम	446/1	टीनशेड	21.32	-
226	रामकरन अहिरवार तनय धनीराम	446/1	कच्चा कवेलू	37.5	-
227	भगवानदास अहिरवार तनय मुलुआ	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	62.1	-
			कच्चा कवेलू	6.75	-
			कच्चा कवेलू	16.9	-
			कच्चा कवेलू	3.38	-
228	हनमत अहिरवार तनय भगवानदास	475	कच्चा कवेलू/ जंगल जलेबी-1	24.75	-
			चबूतरा	18.72	-
			टीनशेड	23.4	-
229	सुरेश अहिरवार तनय भगवानदास	475	कच्चा कवेलू/ नीम-2	24.75	-
			चबूतरा	18.72	-
			टीनशेड	23.4	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
230	भगुन्ता अहिरवार तनय पुसुआ	475	पक्का RCC	35.26	-
			टीनशेड	22.4	-
			कच्चा कवेलू	20.7	-
			कच्चा कवेलू	27.84	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	23.6	-
			कच्चा कवेलू	11.8	-
			कच्चा कवेलू	7.48	-
231	अजुध्या तनय गोरेलाल अहिरवार	446/1	पक्का RCC	18.13	-
			पक्का RCC	30.71	-
			पक्का RCC	14.52	-
232	लखन अहिरवार तनय अजुध्या	446/1	कच्चा कवेलू	16.65	-
			कच्चा कवेलू	33.37	-
			शौचालय	4.2	-
			कच्चा कवेलू	68.64	-
			कच्चा कवेलू	13	-
			कच्चा कवेलू	9.6	-
233	श्यामलाल अहिरवार तनय अजुध्या	446/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल	26.4	-
			पक्का RCC	17.4	-
			पक्का RCC	18.8	-
234	कालू तनय कंदी अहिरवार	446/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ नीम-1	17.22	-
			कच्चा कवेलू	11.48	-
235	रम्मू अहिरवार तनय मनमोहन	446/1	पक्का RCC	24.9	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	33.2	-
			पक्का RCC	16.92	-
			शौचालय	2	-
236	हरदयाल तनय मनमोहन अहिरवार	446/1	कच्चा कवेलू/ नीम-1	37.4	-
			कच्चा कवेलू	18.2	-
			टीनशेड	48.1	-
237	कन्दी अहिरवार तनय मनमोहन	446/1	कच्चा कवेलू/ सागौन-8, नीम-2, पीपल-3	16	-
238	जगदीश अहिरवार तनय कंदी	446/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ नीम-1	17.22	-
			कच्चा कवेलू	11.48	-
239	मंजू अहिरवार तनय पुत्रा	446/1	कच्चा कवेलू/ नीम-1, बेल-1	19.78	-
			कच्चा कवेलू	25.37	-
			कच्चा कवेलू	16.52	-
			टीनशेड	22.88	-
			कच्चा कवेलू	14	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
240	दशरथ तनय पुत्रा अहिरवार	446/1	कच्चा कवेलू/सिरसा-10	70	-
			कच्चा कवेलू	13.12	-
			कच्चा कवेलू	54	-
			कच्चा कवेलू	15	-
			कच्चा कवेलू	40.8	-
	शौचालय	4	-		
241	अमनी पत्नी पुत्रा अहिरवार	446/1	पक्का RCC	27.75	-
242	हरगोविन्द अहिरवार तनय हीरालाल	446/1	कच्चा कवेलू	25.6	-
			कच्चा कवेलू	5.6	-
243	रामदास रैकवार तनय परमलाल	403	टीनशेड	25.83	-
			कच्चा कवेलू	6.8	-
244	राजकुमारी रैकवार तनय लक्ष्मीप्रसाद	403	कच्चा कवेलू	22	-
			कच्चा कवेलू	12.1	-
245	राजू रैकवार तनय रामदास	403	कच्चा कवेलू	20	-
			कच्चा कवेलू	13.86	-
246	दीनदयाल रैकवार तनय परमलाल	411	कच्चा कवेलू	11.2	-
			कच्चा कवेलू	6.8	-
247	राममिलन रैकवार तनय रामदास	403	पक्का RCC	31.6	-
			कच्चा कवेलू	9.89	-
248	सददू रैकवार तनय मोतीलाल	416	पक्का RCC	32	-
			दुकान	8	-
			कच्चा कवेलू	24	-
			कच्चा कवेलू	24	-
249	रीना रैकवार पुत्री सददू रैकवार	416	कच्चा कवेलू दो मंजिल	30.55	गैर रिहायशी
250	रानू रैकवार पुत्र सददू रैकवार	416	टीनशेड	45.6	-
251	वीना पुत्री सददू रैकवार	416	टीनशेड	45.6	गैर रिहायशी
252	कमलेश रैकवार तनय हूला	416	कच्चा कवेलू दो मंजिल	29.25	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	30	-
253	रुक्मी रैकवार पत्नी हूला	416	कच्चा कवेलू दो मंजिल	17.5	-
254	दरबारी रैकवार तनय शंकू	416	कच्चा कवेलू दो मंजिल	20	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	5	-
			कच्चा कवेलू	13.32	-
255	नयू रैकवार तनय मोती रैकवार	416	कच्चा कवेलू दो मंजिल	49.3	-
			सेप्टिक टैंक	14.96	-
			टीनशेड	14.8	-
			टीनशेड	14.8	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
256	मुकेश रैकवार तनय मनीराम	355	कच्चा कवेलू	9.9	-
257	दीपा पुत्री सददू रैकवार	355	कच्चा कवेलू	49.41	-
258	सुरेश पुत्र सददू रैकवार	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.8	-
259	आनंदी लाल तनय वलदेवप्रसाद साहू	416	कच्चा कवेलू	23.68	गैर रिहायशी
			कच्चा कवेलू	8.4	
260	मनोजकुमार साहू तनय वलदेवप्रसाद साहू	416	कच्चा कवेलू	32.8	गैर रिहायशी
261	दौलत साहू तनय देवीप्रसाद साहू	416	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.76	गैर रिहायशी
262	पन्ना लाल साहू तनय देवीप्रसाद साहू	416	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.8	गैर रिहायशी
263	राजकुमार खरे तनय हरीशंकर	425	कच्चा कवेलू/ अमरुद 2, नीम्बू 01	34	-
			कच्चा कवेलू	32	
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	9.6	
			शौचालय	4	
			Water Tank	16	
264	प्रार्थना खरे पुत्री राजकुमार खरे	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.2	-
265	प्रेमदेवी खरे पत्नी हरीशंकर	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	48.14	-
266	संजय खरे तनय हरीशंकर	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	41.25	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	30.6	
267	ममता चन्द्रपुरिया पत्नी रामेश्वर	425	कच्चा कवेलू	13.104	-
268	रामप्रसाद चन्द्रपुरिया तनय रामेश्वर	425	कच्चा कवेलू	13.104	-
269	महेश प्रसाद चन्द्रपुरिया तनय रामेश्वर	425	कच्चा कवेलू	13.104	-
270	नेहा पुत्री घनश्याम कुशवाह	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.62	-
271	सन्तु रैकवार तनय मुल्ली	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	42.5	-
272	जमुनाप्रसाद चन्द्रपुरिया तनय जगन्नाथ	425	कच्चा कवेलू	19.68	-
			कच्चा कवेलू	8	
273	विन्दावन चन्द्रपुरिया तनय जमुनाप्रसाद, सरमन चन्द्रपुरिया तनय जमुनाप्रसाद, कमलेश चन्द्रपुरिया तनय जमुनाप्रसाद	425	टीनशेड	24	-
274	नंदराम पंडित तनय जगन्नाथ	425	कच्चा कवेलू	26.208	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	60.032	
			पक्का RCC	32	
			कच्चा कवेलू	19.68	
275	राजकुमार चन्द्रपुरिया तनय जगन्नाथ	425	कच्चा कवेलू	52.2	-
			कच्चा कवेलू	6	
276	घनश्याम कुशवाह तनय रामस्वरूप	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	40.8	-
277	अरविन्द कुशवाह तनय घनश्याम	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	37.4	-
278	क्रांति पुत्री घनश्याम कुशवाह	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	37.4	-
279	खुशबु शर्मा पुत्री राजकुमार चन्द्रपुरिया	425	कच्चा कवेलू	20	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
280	छोटेलाल अहिरवार तनय मुलुवा	475	कच्चा कवेलू	30.1	-
			पक्का RCC	17.63	-
281	राजाराम अहिरवार तनय मुलुवा	425	कच्चा कवेलू	44	-
282	रतना तनय मुलुआ अहिरवार	355	कच्चा कवेलू	40	-
			कच्चा कवेलू	12	-
			कच्चा कवेलू	50	-
283	किशोरी तनय उदेता अहिरवार	475	पक्का RCC	32	-
284	जीवनलाल अहिरवार तनय किशोरी	475	पक्का RCC	16	-
			शौचालय	6	-
285	सन्तु अहिरवार तनय किशोरी	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	28	-
			कच्चा कवेलू	36	-
286	बिन्नू अहिरवार पत्नी किशोरी	475	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहायशी
287	दिनेश अहिरवार तनय किशोरी	475	कच्चा कवेलू	29.48	-
			कच्चा कवेलू	17.42	-
288	अच्छेलाल अहिरवार तनय भूरा	475	पक्का RCC	32	-
			कच्चा कवेलू	24	-
			शौचालय	4	-
289	ओमप्रकाश तनय अच्छेलाल अहिरवार, मुकेश तनय अच्छेलाल अहिरवार	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	12.16	-
		475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	12.16	-
290	अजुध्या अहिरवार तनय गोकल	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	24	-
291	हरबाई पत्नी झल्लू अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	35.2	-
292	कालीचरण अहिरवार तनय अच्छेलाल	475	पक्का RCC	21.76	-
293	सोमवती अहिरवार पुत्री अच्छेलाल	475	कच्चा कवेलू	43.2	-
			कच्चा कवेलू	13.5	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
294	कुंजीलाल अहिरवार तनय हल्कू	475	कच्चा कवेलू	6.96	-
			कच्चा कवेलू	4.5	-
			कच्चा कवेलू	8.7	-
			कच्चा कवेलू	9	-
			कच्चा कवेलू	18	-
295	रामप्रसाद अहिरवार तनय कुंजीलाल	355	कच्चा कवेलू	60.2	-
296	लक्ष्मण अहिरवार तनय कुंजीलाल	355	कच्चा कवेलू	19.2	-
297	अजय अहिरवार तनय लक्ष्मण	355	कच्चा कवेलू	27.52	-
298	सुनील अहिरवार तनय लक्ष्मण	355	कच्चा कवेलू	36.12	-
299	हल्कीबाई अहिरवार पत्नी फाटा	475	कच्चा कवेलू	22.32	-
300	कालू तनय फाटा अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	15.3	-
			कच्चा कवेलू	10.2	-
301	रामप्रसाद अहिरवार तनय फाटा	475	कच्चा कवेलू	15.3	-
			कच्चा कवेलू	10.2	-
302	चन्नू अहिरवार तनय घसीटा	475	पक्का RCC	27.72	-
			कच्चा कवेलू	36	-
303	दीना तनय दुर्जना अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	12.4	-
304	छलिया तनय दुर्जना अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	12	-
305	गिदिया पत्नी रघुनाथ अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	6	-
306	राजकुमार तनय अच्छेलाल अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	26	-
307	रमथू अहिरवार तनय दुर्जना	475	कच्चा कवेलू	19.22	-
308	धनीराम अहिरवार तनय रघुनाथ	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	36	-
			पक्का RCC	28.8	-
			Water Tank	15.3	-
			कच्चा कवेलू	12.48	-
309	रमन तनय ज्ञानी अहिरवार, राहुल तनय ज्ञानी अहिरवार	475	टीनशेड	34.56	-
310	साहिल तनय द्वारका अहिरवार, आनंद तनय द्वारका अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	23.04	-
311	प्यारेलाल तनय भूरा अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	22	-
			कच्चा कवेलू	16.5	-
			कच्चा कवेलू	24.79	-
312	सुनीलकुमार अहिरवार तनय प्यारेलाल	475	पक्का RCC	32	-
			पक्का RCC	28.8	-
			टीनशेड	19	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	30.4	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
313	अनिल तनय प्यारेलाल अहिरवार	475	टीनशेड	19	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	30.4	-
314	गोला अहिरवार तनय अमना	475	पक्का RCC/ नीम-1	16	
			बरामदा RCC	8	
			कच्चा कवेलू	28.2	
315	रमेश अहिरवार तनय गोला	475	कच्चा कवेलू	28	-
316	पन्नालाल अहिरवार तनय गोला	475	कच्चा कवेलू	28	-
			पक्का RCC	16	-
			बरामदा RCC	8	-
317	टिकोला अहिरवार तनय अमना	475	कच्चा कवेलू	27.2	-
			कच्चा कवेलू	3	-
			कच्चा कवेलू	14.08	-
318	हक्कू तनय भयलाल अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	22.325	-
319	गंगाप्रसाद तनय नोनेलाल अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	22.4	-
			कच्चा कवेलू	19.76	-
320	जमना अहिरवार तनय जगना	475	पक्का RCC	32	-
			बरामदा RCC	17.6	-
321	हीरालाल अहिरवार तनय जमना	475	कच्चा कवेलू	27.6	-
			कच्चा कवेलू	20.7	-
322	रमेश अहिरवार तनय जमना	475	कच्चा कवेलू	34.71	-
			पक्का RCC/ सिरसा-1	32	-
323	रमेश अहिरवार तनय राजाराम	475	पक्का RCC	22.5	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	30	-
324	चुरा तनय उदेता अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	24	-
			कच्चा कवेलू	24	-
325	अरविन्द तनय चुरा अहिरवार	475	पक्का RCC	26	-
			पक्का RCC/ सिरसा-1	32	-
326	स्वामीदीन अहिरवार तनय चुरा	475	पक्का RCC	16	-
			कच्चा कवेलू	80	-
327	कुमारीलाल अहिरवार तनय चुरा	475	कच्चा कवेलू	36	-
			पक्का RCC	26	-
328	मदनलाल तनय भगुन्ता अहिरवार	425	कच्चा कवेलू	6.75	-
329	देवेन्द्र अहिरवार तनय मदनलाल	425	कच्चा कवेलू	6.75	-
330	भगुन्ता अहिरवार तनय हजरिया	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	67.5	-
331	अखलेश अहिरवार तनय भगुन्ता	425	कच्चा कवेलू	60	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
332	नीरज तनय भगुन्ता अहिरवार	425	कच्चा कवेलू	30	-
			कच्चा कवेलू	9	-
333	काशीबाई अहिरवार पत्नी परमलाल	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	18	-
			कच्चा कवेलू	18	-
334	हीरालाल अहिरवार तनय परमलाल	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	23.1	-
			शौचालय	4	-
335	कविता अहिरवार पुत्री हीरालाल	355	कच्चा कवेलू	7.7	-
336	संगीता अहिरवार पुत्री हीरालाल	355	कच्चा कवेलू	7.7	गैर रिहायशी
337	श्री अहिरवार तनय परमलाल	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	23.1	-
			कच्चा कवेलू	15.4	-
			शौचालय	4	-
338	माया पत्नी किपू अहिरवार	355	कच्चा कवेलू	20	-
339	मथुरा तनय अजुध्या अहिरवार	475	पक्का RCC	28.35	-
			कच्चा कवेलू	18	-
			कच्चा कवेलू	19.8	-
340	गंशु अहिरवार तनय अजुध्या	475	पक्का RCC	28.35	-
			कच्चा कवेलू	35.75	-
341	छिदिया तनय अजुध्या अहिरवार	475	टीनशेड	18	-
			कच्चा कवेलू	15	-
342	सरमन अहिरवार तनय छिदिया	475	टीनशेड	14	-
			शौचालय	2.25	-
343	चंदू अहिरवार तनय चिरपरिया	475	कच्चा कवेलू/ सिरसा-1	34.44	-
344	भुन्नू अहिरवार तनय चिरपरिया	475	पक्का RCC	77.25	-
			Water Tank	18.45	-
			शौचालय	4	-
			पक्का RCC	25.5	-
345	किल्कोटी तनय सुल्ला अहिरवार	446/1	पक्का RCC	32	-
			पक्का RCC	15.2	-
			बरामदा RCC	35.4	-
346	सुमित्रा अहिरवार पुत्री किल्कोटी	446/1	कच्चा कवेलू	49	-
347	संजू अहिरवार तनय किल्कोटी	446/1	कच्चा कवेलू	29.6	-
			कच्चा कवेलू	20.72	-
348	किशोरीलाल अहिरवार तनय सुल्ला	475	पक्का RCC	32	-
349	सोमवती पुत्री किशोरीलाल अहिरवार	475	बरामदा RCC	24	गैर रिहायशी
350	प्रमोदकुमार तनय किशोरीलाल अहिरवार	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	25.2	-
			कच्चा कवेलू	18	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
351	मनोज तनय किशोरीलाल अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	33.6	-
			कच्चा कवेलू	14	-
			कच्चा कवेलू	8.4	-
352	रामबाई अहिरवार पत्नी सुल्ला	475	टीनशेड	18	-
353	ताराबाई अहिरवार पत्नी मुन्नीलाल	475	पक्का RCC	32	-
354	भोला अहिरवार तनय मुन्नीलाल	475	कच्चा कवेलू	15.75	-
355	तुलसी अहिरवार तनय मुन्नीलाल	475	कच्चा कवेलू	15.75	-
356	भारत अहिरवार तनय मुन्नीलाल	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	40.3	-
357	प्रभु तनय मुन्नीलाल अहिरवार	475	पक्का RCC	20	-
			शौचालय	4	-
358	खडिया अहिरवार तनय पुसुवा	475	पक्का RCC	32	-
			बरामदा RCC	24	-
359	छिक्कू अहिरवार तनय खडिया	475	कच्चा कवेलू	36.96	-
360	जीवन अहिरवार तनय खडिया	475	कच्चा कवेलू	36.96	-
361	धर्मा अहिरवार तनय खडिया	475	कच्चा कवेलू	30	-
362	शेखलाल अहिरवार तनय भुलवा	475	पक्का RCC	7.2	-
363	रामपाल अहिरवार तनय शेखलाल	475	पक्का RCC	7.2	-
364	बबलू अहिरवार तनय शेखलाल	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	7.2	-
365	कविता अहिरवार पत्नी शेखलाल	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	7.2	गैर रिहायशी
366	हल्का अहिरवार तनय चिरपड़या	475	कच्चा कवेलू	15.2	-
			शौचालय	4	-
367	मुकेश अहिरवार तनय हल्का	475	कच्चा कवेलू	10.4	-
368	संजू अहिरवार तनय हल्का	475	टीनशेड	9.5	-
369	अजय अहिरवार तनय हल्का	475	टीनशेड	9.5	-
370	रामचरण तनय घसीटा अहिरवार	475	टीनशेड	38.76	-
			टीनशेड	29.58	-
			शौचालय	4	-
			मंदिर	1	-
371	नन्नीबाई अहिरवार पत्नी लीला	446/1	कच्चा कवेलू	33.64	-
			कच्चा कवेलू	21.46	-
372	पंचू तनय जमना अहिरवार	446/1	कच्चा कवेलू	31.2	-
373	मुन्ना अहिरवार तनय जमना	446/1	कच्चा कवेलू	34.32	-
374	पुट्टीबाई अहिरवार पत्नी रज्जन	475	पक्का RCC	32	-
375	अरविन्द तनय रज्जन अहिरवार	475	पक्का RCC	8	-
376	विकाश तनय रज्जन अहिरवार	475	पक्का RCC	8	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
377	करन तनय रज्जन अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	15	-
378	रामपाल तनय रज्जन अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	15	-
379	दुन्ना अहिरवार तनय चीखइया	446/1	पक्का RCC	32	-
			कच्चा कवेलू	36	-
			शौचालय	4	-
380	तुलाराम अहिरवार तनय दुन्ना	446/1	कच्चा कवेलू	25.2	-
			कच्चा कवेलू	15	-
381	मनोज अहिरवार तनय दुन्ना	446/1	कच्चा कवेलू	25.2	-
			कच्चा कवेलू	15	-
382	कडोरा रैकवार तनय मुल्ली	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	42.5	-
383	राजू अहिरवार तनय भगुन्ता	355	टीनशेड	12	-
384	राकेश अहिरवार तनय भगुन्ता	355	टीनशेड	12	-
385	गोरिबाई पत्नी भगुन्ता अहिरवार	355	कच्चा कवेलू	13.5	-
386	बाबा अहिरवार तनय घनुआ	475	पक्का RCC	32	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	20	-
			कच्चा कवेलू	15	-
387	राहुल अहिरवार तनय बाबा	475	कच्चा कवेलू	25	-
388	नरेश अहिरवार तनय छोटेलाल	475	पक्का RCC	17.63	-
389	सुरेन्द्र अहिरवार तनय छोटेलाल	475	कच्चा कवेलू	49.2	-
390	संतोष अहिरवार तनय छोटेलाल	475	कच्चा कवेलू	25.5	-
			शौचालय	4	-
391	अनिशा पटेल तनय भगवानदास	506	कच्चा कवेलू	24	-
392	खजिया तनय मनमोहन अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	33.97	-
			कच्चा कवेलू	19.68	-
			कच्चा कवेलू	12.6	-
393	महेश तनय खजिया अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	11.309	-
394	वीरू तनय खजिया अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	11.309	-
395	संजू तनय खजिया अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	11.309	-
396	अर्जुन तनय खजिया अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	12.6	-
397	मंजा तनय लल्ला अहिरवार	475	टीनशेड	18	-
398	नौनेलाल तनय सल्ला अहिरवार	475	टीनशेड	18	-
399	रवि तनय जगन्नाथ अहिरवार	475	पक्का RCC	51.2	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	22.72	-
400	जगन्नाथ तनय मल्ला अहिरवार	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	12.07	-
			कच्चा कवेलू	8.64	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
401	गुड्डा तनय मलोरा अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	26	-
402	अरुण तनय गुड्डा अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	10.45	-
403	बबलू तनय भईयालाल अहिरवार	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	12.6	-
404	सोनू तनय भईयालाल अहिरवार	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	12.6	-
405	जीवन तनय पिरू अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	6.3875	-
406	कृष्णा तनय पिरू अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	6.3875	-
407	भारती पुत्री पिरू अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	6.3875	-
408	भईयालाल तनय मल्ला अहिरवार	475	पक्का RCC	47.45	-
409	बिहारी ओमरे तनय धनीराम	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	67.98	-
			कच्चा कवेलू	9.61	-
			कच्चा कवेलू	12.6	-
410	रामलखन ओमरे तनय बिहारी	403	कच्चा कवेलू	30	-
			कच्चा कवेलू	55	-
411	सुनीता पत्नी मुल्ली ओमरे	403	कच्चा कवेलू	32.19	-
412	विजय ओमरे तनय मुल्ली	403	कच्चा कवेलू	32.19	-
			टीनशेड	26.55	-
			कच्चा कवेलू	45.78	-
			पक्का RCC	23.22	-
413	अशोक ओमरे तनय धनीराम	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	71.5	-
			कच्चा कवेलू	9	-
			मंदिर	4	-
414	जनता पुत्री अशोक ओमरे	403	कच्चा कवेलू	36.4	-
415	भरत ओमरे तनय अशोक	403	टीनशेड	24.4	-
416	शिवानी पुत्री गंगा ओमरे	403	टीनशेड	45.75	गैर रिहायशी
417	सावित्री कोरी पुत्री मनीराम	475	कच्चा कवेलू	20.88	-
418	बाबूलाल तनय पकुआ पाल	403	कच्चा कवेलू	24	-
			कच्चा कवेलू	24	-
419	कट्टू रैकवार तनय किप्पु	249	टीनशेड	25.145	-
			कच्चा कवेलू	24	-
			टीनशेड	25.145	-
420	सपना वेवा प्रकाश रैकवार	249	कच्चा कवेलू	12	-
421	राजू तनय रामदास रैकवार	403	कच्चा कवेलू	20.1	-
422	राजाबाई पत्नी दीना रैकवार	403	कच्चा कवेलू	20.1	गैर रिहायशी
423	सुम्मी बंसल तनय बन्दी	462	कच्चा कवेलू	13.6	-
424	पुष्पेन्द्र बंसल तनय सुम्मी बंसल, वीरू बंसल तनय सुम्मी	462	टीनशेड	36	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू / टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
425	नीरज बंसल तनय सुम्मी बंसल	462	पक्का RCC	10	-
426	राजकुमारी पत्नी महेश बंसल	462	कच्चा कवेलू	11.2	गैर रिहायशी
			कच्चा कवेलू	12	
427	नोनी पत्नी गनपत बंसल	462	कच्चा कवेलू	11.06	-
428	विदेश बंसल तनय गनपत	462	कच्चा कवेलू	11.06	-
429	कैलाश बंसल तनय गनपत	462	कच्चा कवेलू	11.06	-
430	रामावतार बंसल तनय गनपत	462	कच्चा कवेलू	11.06	-
431	बच्चू हरिजन तनय पंचा	462	कच्चा कवेलू	17.835	-
432	रामपाल हरिजन तनय बच्चू	462	कच्चा कवेलू	17.835	-
433	ललिता हरिजन पत्नी महेन्द्र बंसल	462	कच्चा कवेलू	12	गैर रिहायशी
434	संजय बंसल तनय भवानीदीन	462	कच्चा कवेलू	21.44	-
435	अरविन्द बंसल तनय भवानीदीन	462	कच्चा कवेलू	29.64	-
			शौचालय	2.89	-
436	किलकाइ बंसल तनय पंचा	462	पक्का RCC	34.34	-
			शौचालय	6.6	-
437	सोनू हरिजन तनय किलकाइ बंसल	462	कच्चा कवेलू	34.68	-
438	जीतेन्द्र हरिजन तनय किलकाइ बंसल	462	कच्चा कवेलू	20.58	-
439	मनोज हरिजन तनय पंचा	462	कच्चा कवेलू	14.7	-
			टीनशेड	23.1	-
440	सुरेश हरिजन तनय पंचा	462	कच्चा कवेलू	14.7	-
			टीनशेड	23.1	-
441	संतोष बसोर तनय सुन्दर	351	टीनशेड	11.2	-
442	पार्वती पत्नी बाबु बसोर	351	पक्का RCC	32	-
443	राजेश तनय बाबूलाल बसोर	351	कच्चा कवेलू	20.1	-
444	देवेन्द्र तनय बाबूलाल बसोर	475	कच्चा कवेलू	20.1	-
445	बिंदिया बंसल तनय किशोरी	475	कच्चा कवेलू	17.98	गैर रिहायशी
			टीनशेड	35.7	
446	कमलेश बंसल तनय सुन्दर	475	कच्चा कवेलू	19.38	-
447	हिरवा बंसल तनय भरव	475	पक्का RCC	32	-
			पक्का RCC	18.4	-
			पक्का RCC	15.75	-
			कच्चा कवेलू	4	-
			कच्चा कवेलू	8.64	-
448	काशीराम बंसल तनय गनपत	475	पक्का RCC	32	-
			Water Tank	13.5	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
449	बुद्धा हरिजन तनय बंदी	475	पक्का RCC	32	-
450	जगन्नाथ तनय हरिया बंसल	475	कच्चा कवेलू	39.48	-
451	रोहित तनय जगन्नाथ बंसल	475	कच्चा कवेलू	14.7	-
452	लखन तनय कल्लू बंसल	475	कच्चा कवेलू	30.55	-
453	कल्लू तनय हरिया बंसल	475	पक्का RCC	30.4	-
454	कविता बंसल पुत्री कल्लू	475	पक्का RCC	20.52	-
455	पप्पू बंसल तनय कल्लू	475	कच्चा कवेलू	27	-
456	हरिया बंसल तनय चिन्तु	475	पक्का RCC	33.6	-
457	छन्नू तनय डीलवा अहिरवार	475	पक्का RCC	32	-
			टीनशेड	34.8	-
458	राकेश अहिरवार तनय छन्नू	475	कच्चा कवेलू	20.1	-
			टीनशेड	18.91	-
			कच्चा कवेलू	7.5	-
459	कमल अहिरवार तनय छन्नू	475	कच्चा कवेलू	29.4	-
			कच्चा कवेलू	10.8	-
460	कमली रैकवार पत्नी सुनुवा	355	पक्का RCC	32	-
461	जगन रैकवार तनय सुनुवा	355	कच्चा कवेलू	18.02	-
462	द्रोपती रैकवार पुत्री सुनुवा	355	पक्का RCC	10.4	-
463	मोहनलाल रैकवार तनय सुनुवा	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	18.02	-
464	दशरथ रैकवार तनय सुनुवा	355	टीनशेड	14.26	-
			कच्चा कवेलू	33.58	-
			कच्चा कवेलू	19.6	-
465	सुकिया रैकवार तनय रामचरण	355	पक्का RCC	32	-
			कच्चा कवेलू	22.79	-
			कच्चा कवेलू	7.95	-
			कच्चा कवेलू	36	-
466	कुसुम गुप्ता पत्नी शम्भुनाथ गुप्ता	475	कच्चा कवेलू	53.95	-
467	केलाशकुमार गुप्ता तनय शम्भुनाथ	475	कच्चा कवेलू	26	-
468	शिवकुमार गुप्ता तनय शम्भुनाथ	475	कच्चा कवेलू	27.95	-
469	रमेश चन्द्र गुप्ता तनय वैजनाथ	475	कच्चा कवेलू	20	-
470	नवलकिशोर गुप्ता तनय वैजनाथ	475	पक्का RCC	27.95	-
471	हरिदास अनुरागी तनय पकुवा	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	40.12	-
472	सरमन कुशवाहा तनय मत्ती	475	कच्चा कवेलू/ मूंगा-1	22.96	-
473	रामचरण कुशवाहा तनय मत्ती	475	कच्चा कवेलू	22.96	-
474	प्रभुदयाल कुशवाहा तनय मत्ती	475	टीनशेड	17.01	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
475	रघुवर प्रसाद पांडेय तनय भागीरथ	475	कच्चा कवेलू	121.152	गैर रिहायशी
			कच्चा कवेलू	77.568	
476	राकेश गुप्ता तनय हरसेवक	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	51.3	-
			कच्चा कवेलू	34.08	-
			कच्चा कवेलू	9.4	-
			कच्चा कवेलू	37.5	-
			टीनशेड	14.52	-
477	सुरेश तनय छोटेलाल यादव	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	22	-
			कच्चा कवेलू	18.7	-
			चबूतरा	11	-
			टीनशेड	9.57	-
			कच्चा कवेलू	13.125	-
478	महेंद्र यादव तनय छोटेलाल	355	कच्चा कवेलू दो मंजिल	22	-
			कच्चा कवेलू	18.7	-
			चबूतरा	11	-
			टीनशेड	9.57	-
			कच्चा कवेलू	13.125	-
479	नाथूराम गुप्ता तनय रामसेवक	355	कच्चा कवेलू	48.48	-
480	छोटेलाल यादव तनय भागीरथ	475	टीनशेड	20.35	-
481	लक्ष्मी यादव पुत्री छोटेलाल	475	कच्चा कवेलू	35.64	-
482	राजेश यादव तनय छोटेलाल	475	कच्चा कवेलू	35.64	-
483	सुनीता यादव पत्नी भागीरथ	475	टीनशेड	6.16	-
			कच्चा कवेलू	21.08	-
			कच्चा कवेलू	34.76	-
484	दिलीप कुमार तनय दीनबंधु मलिक	475	पक्का RCC दो मंजिल	13.95	-
485	दिनेश मलिक तनय दीनबंधु मलिक	475	पक्का RCC दो मंजिल	13.95	गैर रिहायशी
486	बल्ला तनय भयालाल यादव	355	टीनशेड	188.5	-
			टीनशेड	71.5	
487	मूलचंद सेन तनय प्यारे लाल	362	कच्चा कवेलू दो मंजिल	43.2	-
			कच्चा कवेलू	34.8	-
488	रामकिशोर तनय मूलचंद सेन	362	कच्चा कवेलू	28.38	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	22.2	-
489	पवन तनय मूलचंद सेन	362	कच्चा कवेलू	28.38	-
			कच्चा कवेलू	39.6	-
490	भागीरथ सेन तनय हीरालाल	362	कच्चा कवेलू	16.8	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
491	उमार्शकर तनय भागीरथ सेन	362	कच्चा कवेलू दो मंजिल	33.5	-
492	रामलखन तनय भागीरथ सेन	362	कच्चा कवेलू दो मंजिल	35.91	-
493	रामरती पत्नी मुन्नी सेन	362	कच्चा कवेलू दो मंजिल	30.71	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	14.95	-
494	नितेश सेन तनय चेताराम	362	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.54	-
495	कल्लू तनय बाबूलाल सेन	362	कच्चा कवेलू	35	गैर रिहायशी
496	सुरेश सेन तनय चेताराम	362	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.54	-
497	कुंजबिहारी शुक्ला तनय नाथूराम	351	टीनशेड	28.125	-
			चबूतरा	14.0625	-
498	अम्बर तनय कुंजबिहारी शुक्ला	351	टीनशेड	28.125	-
			चबूतरा	14.0625	-
499	आयुषी गुप्ता पुत्री विनोद कुमार नगरिया	351	कच्चा कवेलू	8.4	-
500	आयुष गुप्ता तनय विनोद कुमार नगरिया	351	कच्चा कवेलू	8.4	-
501	सुन्दरलाल गुप्ता तनय मुरलीधर	351	कच्चा कवेलू	24.8	-
502	शिवम नगरिया तनय सुन्दरलाल गुप्ता	351	कच्चा कवेलू	40.8	-
503	संतोष कुमार तनय धनीराम गुप्ता	355	कच्चा कवेलू	18	गैर रिहायशी
504	बाबूलाल चौबे तनय नारायणदास	351	कच्चा कवेलू	12.48	-
505	जयप्रकाश चौबे तनय रामकृपाल	351	कच्चा कवेलू	12.48	-
506	रमेश तनय प्यारेलाल चौबे	351	कच्चा कवेलू	10.5	-
507	कृपाल पटेल तनय राजाराम	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.9	-
			कच्चा कवेलू	6	-
			चबूतरा	10	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.2	-
			कच्चा कवेलू	30.1	-
508	भागीरथ पुत्र कृपाल पटेल	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.2	-
509	विन्दावन पटेल तनय राजाराम	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.9	-
			कच्चा कवेलू	6	-
			चबूतरा	10	-
			कच्चा कवेलू	30.1	-
510	कमला पटेल तनय राजाराम	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ जामुन 1, आम 1	42.75	-
			कच्चा कवेलू	17.5	-
			कच्चा कवेलू	17.5	-
			शौचालय	4	-
			दुकान	10.5	-
			कच्चा कवेलू	32.3	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
511	ब्रजेश पुत्र कमला पटेल	351	कच्चा कवेलू	52.2	-
512	गोवर्धन विश्वकर्मा तनय आनंदी	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल	23.5	-
			कच्चा कवेलू	6.75	-
513	पुष्पेन्द्र तनय गोवर्धन विश्वकर्मा	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल	30.38	-
514	संदीप तनय गोवर्धन विश्वकर्मा	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.2	-
515	प्रदीप तनय गोवर्धन विश्वकर्मा	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.2	-
516	रामकुमार विश्वकर्मा पुत्र गौरीशंकर	351	कच्चा कवेलू	13.8	-
			कच्चा कवेलू	6.5	-
			कच्चा कवेलू	11.18	-
517	राखी विश्वकर्मा देवा आनंदी	351	कच्चा कवेलू	56.44	-
			शौचालय	1.5	-
518	सुमित्रा बाई विश्वकर्मा पत्नी गोरी शंकर	492	कच्चा कवेलू दो मंजिल	23.5	-
			कच्चा कवेलू	20.4	-
519	मइयादीन तनय छोटेलाल विश्वकर्मा	462	कच्चा कवेलू	6.97	-
			कच्चा कवेलू	34.03	-
520	नीरज विश्वकर्मा तनय राधाचरण	462	कच्चा कवेलू	31.28	-
			कच्चा कवेलू	21	-
521	जीवन लाल विश्वकर्मा तनय आनंदी	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	18	-
			कच्चा कवेलू	15	-
522	संतोष कुमार विश्वकर्मा तनय धरमादास, सुमित विश्वकर्मा तनय संतोष कुमार, अमित विश्वकर्मा तनय संतोष कुमार, अंकित विश्वकर्मा तनय संतोष कुमार	475	कच्चा कवेलू	26.24	-
523	रामस्वरूप विश्वकर्मा तनय किशोरीलाल	475	कच्चा कवेलू	5.325	-
524	रोहित विश्वकर्मा तनय किशोरीलाल	355	कच्चा कवेलू	5.325	-
525	रामकृपाल बढई तनय धर्मदास	355	कच्चा कवेलू	9.43	-
526	तिजिया विश्वकर्मा पत्नी राधाचरण	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	22.4	-
			कच्चा कवेलू	16.24	-
527	देवेन्द्र विश्वकर्मा तनय राधाचरण	475	कच्चा कवेलू	16.875	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	22.5	-
528	विन्द्रावन विश्वकर्मा तनय आनन्दी	475	कच्चा कवेलू	17.5	-
			कच्चा कवेलू	10	-
529	मुकेश विश्वकर्मा तनय विन्द्रावन	475	टीनशेड	18.48	-
			कच्चा कवेलू	5.25	-
530	राजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा तनय विन्द्रावन	475	टीनशेड	18.48	-
			कच्चा कवेलू	5.25	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
531	जीतेन्द्र विश्वकर्मा तनय विन्द्रावन	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	14.08	-
532	आशीष कुड़ेरिया तनय रामशरण	492	पक्का RCC	30.38	-
533	आदित्य कुड़ेरिया तनय रामशरण	492	पक्का RCC	30.38	-
534	रामशरण कुड़ेरिया तनय हरिशंकर	492	पक्का RCC	30.38	-
535	खुशबू पुत्री रामशरण कुड़ेरिया	492	पक्का RCC	30.38	-
536	सोविन रैकवार पुत्र भगवानदास	492	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.2	-
537	रावेन्द्र पुत्र भगवानदास रैकवार	492	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.2	-
538	हेमराज पटेल तनय सरजू पटेल	492	कच्चा कवेलू	46.55	-
			कच्चा कवेलू	4.41	-
539	बबलू पटेल तनय हेमराज पटेल	492	कच्चा कवेलू	46.55	-
540	भुमानीबाई पटेल वेवा राजाराम	506	कच्चा कवेलू दो मंजिल	29.25	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	20.9	-
541	रामदास शर्मा तनय लक्ष्मीप्रसाद	492	कच्चा कवेलू	21.15	-
			कच्चा कवेलू	32.8	-
			टीनशेड	22.56	-
542	रामस्वरूप तनय ठाकुर प्रसाद शर्मा	492	कच्चा कवेलू दो मंजिल	29.61	-
			टीनशेड	5	-
			कच्चा कवेलू	10.81	-
			कच्चा कवेलू	22.77	-
			कच्चा कवेलू	27.3	-
543	जगदीश शर्मा तनय रामदास शर्मा	492	कच्चा कवेलू दो मंजिल	16.17	-
			कच्चा कवेलू	22.05	-
			कच्चा कवेलू	8.64	-
544	गोलू शर्मा तनय जगदीश शर्मा	492	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.5	-
545	महेंद्र शर्मा तनय जगदीश शर्मा	492	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.5	-
546	आरती पुत्री जगदीश शर्मा	492	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.5	-
547	देवेन्द्र शर्मा तनय जगदीश शर्मा	492	टीनशेड	14.08	-
			कच्चा कवेलू	13	-
548	चेतराम उपाध्याय तनय ठाकुर प्रसाद	492	कच्चा कवेलू	18.98	-
			कच्चा कवेलू	33.12	-
			कच्चा कवेलू	22.77	-
549	दिनेश कुमार शर्मा तनय चेताराम	492	कच्चा कवेलू	39.872	-
550	भागवती गुप्ता पत्नी धरमदास गुप्ता	492	कच्चा कवेलू	69.92	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.86	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
551	अश्वनी गुप्ता तनय धरमदास गुप्ता	492	कच्चा कवेलू/ जामुन-1, सिरसा-1	50.15	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	26	-
			टीनशेड	32.2	-
552	सौम्या गुप्ता पुत्री अश्वनी गुप्ता	492	टीनशेड	45.24	-
553	बिहारीलाल गुप्ता तनय मूलचंद	492	कच्चा कवेलू	34.96	-
554	अम्बिका गुप्ता पुत्री बिहारी	492	टीनशेड	46.02	-
555	कमलेश यादव तनय चुरामन	348	कच्चा कवेलू/ नीम-1, चिल्ला-1	25.56	-
			कच्चा कवेलू	12.87	-
			कच्चा कवेलू	22.77	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	33	-
			शौचालय	4.8	-
556	सावित्री पत्नी धमकन यादव	348	कच्चा कवेलू	16.8	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	27.3	-
557	भानु प्रताप यादव तनय चुरामन	348	कच्चा कवेलू	15.96	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	24.36	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	13.92	-
558	लक्ष्मीप्रसाद गुप्ता तनय मिठू गुप्ता	351	टीनशेड	9.28	-
559	केदारनाथ गुप्ता तनय मटदूलाल	351	टीनशेड	9.28	-
560	अनीश कुमार गुप्ता तनय शंकरदीन, सिया गुप्ता पत्नी शंकरदीन, संतोष गुप्ता तनय शंकरदीन	351	टीनशेड	24	-
561	विजय कुमार गुप्ता तनय रामगोपाल, रज्जन गुप्ता तनय रामप्रसाद	351	टीनशेड	12	-
562	मनोज गुप्ता तनय रज्जन गुप्ता	475	कच्चा कवेलू	33.32	-
563	सोमकुमार तनय पुरषोत्तम तिवारी	351	कच्चा कवेलू	15	गैर रिहायशी
564	परमप्यारी बाई विश्वकर्मा पत्नी भगोला	351	कच्चा कवेलू	40.05	गैर रिहायशी
565	यशोदा देवी कुड़ेरिया पत्नी जगदीश प्रसाद	492	कच्चा कवेलू	24	-
			कच्चा कवेलू	20	-
566	देवेन्द्र कुड़ेरिया तनय हरिशंकर	492	पक्का RCC	21.07	-
567	इन्द्रवती पांडेय पत्नी वैजनाथ	492	कच्चा कवेलू	10.5	-
568	संतोष कुमार पांडेय तनय श्रीराम	351	कच्चा कवेलू	10.5	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
569	गौरीशंकर यादव तनय भागीरथ	514	कच्चा कवेलू	30.6	-
			कच्चा कवेलू	15	-
			कच्चा कवेलू	16	-
			कच्चा कवेलू	15.75	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	20.5	-
			शौचालय	4	-
570	गोरिया वेवा भागीरथ यादव	514	कच्चा कवेलू	30.26	-
571	प्रेमी यादव तनय भागीरथ	514	कच्चा कवेलू	13.5	-
			कच्चा कवेलू	14.4	-
			कच्चा कवेलू	18.76	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	18.45	-
572	चुख्खी यादव वेवा होतीलाल	462	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ आम-1	46.8	गैर रिहायशी
			कच्चा कवेलू	26	
			कच्चा कवेलू	21	
573	बाबुलाल यादव तनय शिवदयाल	475	कच्चा कवेलू/ नीम-1	85.68	गैर रिहायशी
574	श्यानी बाई यादव पत्नी गनेशा	475	कच्चा कवेलू	26.04	गैर रिहायशी
575	किलकाई पटेल तनय तन्सू, लल्ला बाई पटेल तनय बाबूलाल	351	कच्चा कवेलू	24	गैर रिहायशी
576	नस्यू पटेल तनय गोरिलाल	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल	19.8	-
			कच्चा कवेलू	15.4	-
			कच्चा कवेलू	12.3	-
			कच्चा कवेलू	37.6	-
			कच्चा कवेलू	14.85	-
577	धनीराम पटेल तनय महादेव	351	कच्चा कवेलू	22	गैर रिहायशी
578	मुल्लो तनय गोरिलाल यादव	506	कच्चा कवेलू	8.74	-
			दुकान	29.25	-
			कच्चा कवेलू	50	-
			कच्चा कवेलू	32.5	-
			कच्चा कवेलू	43.75	-
			कच्चा कवेलू	12.54	-
579	हक्की वेवा झल्ला यादव	348	कच्चा कवेलू दो मंजिल	37.4	-
			कच्चा कवेलू	26.4	-
			शौचालय	2.72	-
			कच्चा कवेलू	28.08	-
580	विमला पत्नी बबलू यादव	351	कच्चा कवेलू	27	गैर रिहायशी

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
581	पार्वती पत्नी मेवालाल पटेल	351	कच्चा कवेलू	24	गैर रिहायशी
582	अखिलेश यादव तनय झग्गी	351	कच्चा कवेलू	18	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	30	-
			कच्चा कवेलू	32	-
			टीनशेड	18	-
			चबूतरा	4	-
			चबूतरा	4	-
583	मुकेश यादव तनय झग्गी	351	कच्चा कवेलू	14.4	-
			कच्चा कवेलू	34	-
			कच्चा कवेलू	12	-
			टीनशेड	15	-
			चबूतरा	4	-
584	कमलेश कुमार तनय झग्गी यादव	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल	57.4	-
			कच्चा कवेलू	17.2	-
585	अजय यादव तनय कमलेश यादव	351	कच्चा कवेलू	24	-
586	शिवदयाल यादव तनय गोरेलाल	347	कच्चा कवेलू	52.8	-
			कच्चा कवेलू	23.1	-
			Water Tank	9.6	-
			टीनशेड	16.8	-
			शौचालय	4	-
587	द्वारका प्रसाद यादव तनय शिवदयाल	347	कच्चा कवेलू/ नीम-3, सागौन-3	82.8	-
588	प्रियंका पुत्री द्वारकाप्रसाद यादव	347	कच्चा कवेलू	12	-
589	प्रदीप यादव तनय द्वारकाप्रसाद	347	टीनशेड	13.5	-
590	बबलू यादव तनय द्वारकाप्रसाद	347	कच्चा कवेलू	30	-
591	निरपत यादव तनय शिवदयाल	347	कच्चा कवेलू/ नीम-2	42.7	-
			कच्चा कवेलू	30	-
592	पूरनलाल यादव तनय शिवदयाल	347	कच्चा कवेलू/ नीम-1, सागौन-1	36	-
			कच्चा कवेलू	45.5	-
593	छुट्टी यादव तनय नोनेलाल	330	कच्चा कवेलू	35.2	गैर रिहायशी
594	हल्के भैया तनय नोनेलाल यादव	330	कच्चा कवेलू दो मंजिल	40.5	गैर रिहायशी
			कच्चा कवेलू	31.5	
595	गोरिया यादव वेवा निन्जी	330	कच्चा कवेलू	75.97	गैर रिहायशी
			कच्चा कवेलू	18	

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
596	भागीरथ यादव तनय प्राण यादव	330	कच्चा कवेलू	50.6	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.5	-
597	किशोरी यादव तनय हलकइया	330	कच्चा कवेलू दो मंजिल	45.6	-
598	गीता पुत्री किशोरी यादव	330	कच्चा कवेलू	34	गैर रिहायशी
599	कमलेश यादव तनय किशोरी	330	टीनशेड	19.25	-
600	मुकेश यादव तनय किशोरी	330	कच्चा कवेलू	40.5	-
601	रुक्मी पत्नी हल्केया यादव	330	कच्चा कवेलू दो मंजिल	36	-
602	मधु तनय हल्केया यादव	330	कच्चा कवेलू	49.7	-
			कच्चा कवेलू	6	-
603	दीपेन्द्र यादव तनय मधु	330	पक्का RCC	22.2	-
604	छोटू यादव तनय मधु	330	कच्चा कवेलू दो मंजिल	25.8	-
			कच्चा कवेलू	26	-
605	गुमान यादव तनय जुद्धा	330	कच्चा कवेलू दो मंजिल	34.68	-
		330	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.62	-
606	सोमवती पुत्री गुमान यादव	330	कच्चा कवेलू	15	गैर रिहायशी
607	पानवती पुत्री गुमान यादव	330	कच्चा कवेलू	15	गैर रिहायशी
608	ओमवती पुत्री गुमान यादव	330	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहायशी
609	भागवत यादव तनय गुमान	330	कच्चा कवेलू दो मंजिल	25.6	-
			कच्चा कवेलू	30	-
610	बिहारी यादव तनय झलकन	514	कच्चा कवेलू	73.44	-
			कच्चा कवेलू	16.66	-
			टीनशेड	17.68	-
			टीनशेड	30	-
			कच्चा कवेलू	11.2	-
611	सुन्दर यादव तनय झलकन	514	कच्चा कवेलू दो मंजिल	60.52	-
			कच्चा कवेलू	50.4	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
612	कोमल यादव तनय झलकन	514	कच्चा कवेलू	91.8	-
613	कन्हैया यादव तनय रामचरण	447	कच्चा कवेलू	30.36	-
614	नोनीबाई यादव पत्नी रामचरण	447	कच्चा कवेलू/ आम-1	98.6	-
615	धनीराम यादव तनय जुन्धी यादव	514	कच्चा कवेलू	43	गैर रिहायशी
616	किशोरी तनय जुन्धी यादव	514	चबूतरा	20	
617	संतोष यादव तनय जुन्धी	514	कच्चा कवेलू/ नीम-1, सिरसा-1	13.8	-
618	नंदू यादव तनय बंदी यादव	514	कच्चा कवेलू	36.5	-
619	गंगाप्रसाद तनय हल्केप्रसाद यादव	513	कच्चा कवेलू	61.5	-
620	रघुवीर यादव तनय राधेलाल	514	कच्चा कवेलू	66.42	-
621	बब्बू यादव तनय हेया यादव	347	कच्चा कवेलू	24	-
622	पन्नालाल यादव तनय बब्बू	347	कच्चा कवेलू	35	-
623	रामनरेश यादव तनय बब्बू	347	कच्चा कवेलू	23.85	-
624	रामरेखा पत्नी रामविशाल यादव	347	कच्चा कवेलू	49.5	-
625	तुलसी यादव तनय सरमन	514	कच्चा कवेलू	42.92	-
626	रज्जी पत्नी मोहन यादव	514	कच्चा कवेलू	26.4	-
627	हरिराम यादव तनय तुलसी	514	कच्चा कवेलू	13.75	-
628	नोनेलाल तनय सरमन यादव	514	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ नीम-1, बरगद-1	67.15	-
			कच्चा कवेलू	30.94	-
			कच्चा कवेलू	45.82	-
			कच्चा कवेलू	55.04	-
			कच्चा कवेलू	4	-
			कच्चा कवेलू	14.7	-
			कच्चा कवेलू	39	-
			Water Tank	16	-
			कच्चा कवेलू	23.65	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल/ नीम-1, आम-1	68	-
			टीनशेड	48	-
			कच्चा कवेलू	51.2	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	25.4	-
			कच्चा कवेलू	31.6	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	25.4	-
			कच्चा कवेलू	73.63	-
			कच्चा कवेलू	18	-
			कच्चा कवेलू	36	-
			कच्चा कवेलू	4	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
629	विद्रावन तनय नोनेलाल यादव	347	कच्चा कवेलू	27	-
630	पन्ना लाल यादव तनय लम्पु	514	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ कोहा-1, आम-1, केथा-1, चिल्ला-1, नीम-1	28.8	-
			कच्चा कवेलू	21	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	21	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	10.5	-
			कच्चा कवेलू	12	-
631	नारायण यादव तनय पन्नालाल	514	टीनशेड	32.4	-
632	सुनील यादव तनय पन्नालाल	514	कच्चा कवेलू	20.88	-
			कच्चा कवेलू	18	-
633	रामस्वरूप यादव तनय लम्पु	514	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ नीम-1, चिल्ला-1	27.88	-
			कच्चा कवेलू	26.24	-
634	सुभाष यादव तनय रामस्वरूप	514	टीनशेड	32.64	-
635	राघवेन्द्र यादव तनय रामस्वरूप	514	कच्चा कवेलू	45	-
636	महादेव यादव तनय भइयन	514	कच्चा कवेलू	33.28	-
			कच्चा कवेलू	38.18	-
637	रामकेश यादव तनय महादेव	514	कच्चा कवेलू	18	-
			कच्चा कवेलू	38.7	-
638	रतीबाई पत्नी भइयन यादव	514	कच्चा कवेलू	45.5	-
			पक्का RCC	34.44	-
			चबूतरा	20.5	-
639	रामकिशोर तनय कुंजी यादव	514	कच्चा कवेलू	98.64	-
			कच्चा कवेलू	50.4	-
			कच्चा कवेलू	12.6	-
			शौचालय	4	-
			मंदिर	1	-
640	कुंजी तनय भइयन यादव	514	कच्चा कवेलू दो मंजिल	46.2	-
			कच्चा कवेलू	27.5	-
			मंदिर	0.25	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
641	ममता पत्नी मुन्ना यादव	513	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ नीम-1	42	-
			टीनशेड	17	-
			कच्चा कवेलू	27.9	-
642	रामनरेश तनय मुन्ना यादव	513	टीनशेड	14	-
			टीनशेड	10.8	-
643	उदयशंकर तनय गंगाप्रसाद यादव	514	कच्चा कवेलू दो मंजिल/ चिल्ला-1	42	-
			टीनशेड	14	-
			कच्चा कवेलू	24.3	-
			टीनशेड	12.8	-
			टीनशेड	12	-
			शौचालय	4	-
644	मिजाजीलाल यादव तनय बन्दी	514	कच्चा कवेलू	41.58	-
			कच्चा कवेलू	35.55	-
			शौचालय	4	-
645	भागवती यादव तनय मिजाजीलाल	514	कच्चा कवेलू	15.3	-
			कच्चा कवेलू	4	-
646	कल्लू यादव तनय मिजाजीलाल	514	कच्चा कवेलू	38.5	-
			कच्चा कवेलू	4	-
647	काशीराम यादव तनय बन्दी	514	कच्चा कवेलू/ आम-1, नीम-1	103.5	-
			शौचालय	4	-
648	कमलेश यादव तनय काशीराम	514	कच्चा कवेलू	29.25	-
			कच्चा कवेलू	4.5	-
649	विनोद यादव तनय काशीराम	514	कच्चा कवेलू	67.5	-
650	भागीरथ यादव तनय काशीराम	514	कच्चा कवेलू	35	-
651	जगदीश यादव तनय प्यारेलाल	514	कच्चा कवेलू/ नीम-1	32.37	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	90	-
652	सपना यादव पुत्री जगदीश	514	कच्चा कवेलू	37.5	-
653	रचना यादव पुत्री जगदीश	514	कच्चा कवेलू/ नीम-1	15.66	-
654	संतोष यादव तनय प्यारेलाल	514	टीनशेड/ चिल्ला-1	28	-
			टीनशेड	38	-
			शौचालय	4	-
			Water Tank	9.6	-
			कच्चा कवेलू	62.4	-
655	सचिन यादव तनय संतोष	514	कच्चा कवेलू	30	-
			कच्चा कवेलू	72	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
656	अजुध्या यादव तनय बोरा	343	कच्चा कवेलू	30.3	-
			शौचालय	4	-
			Water Tank	9.6	-
657	धनीराम यादव तनय अजुध्या	343	कच्चा कवेलू	39.84	-
			Water Tank	9.6	-
658	संध्या पुत्री धनीराम यादव	343	कच्चा कवेलू	17.92	गैर रिहायशी
659	संदीप यादव तनय धनीराम	343	कच्चा कवेलू	43.68	-
660	पानाबाई यादव तनय मातादीन	343	कच्चा कवेलू	18.36	-
661	ईश्वरदीन यादव तनय मातादीन	343	कच्चा कवेलू दो मंजिल	42.14	-
			कच्चा कवेलू	25.52	-
			शौचालय	4	-
			Water Tank	9.6	-
			Water Tank	9.6	-
662	बबीता यादव पुत्री मातादीन	343	कच्चा कवेलू	18.04	गैर रिहायशी
663	सोमवती यादव पुत्री मातादीन	343	कच्चा कवेलू	24.2	गैर रिहायशी
664	सम्पत यादव पुत्री मातादीन	343	कच्चा कवेलू	20	गैर रिहायशी
665	वेदप्रकाश तनय भगवानदास गुप्ता	347	कच्चा कवेलू	18.48	-
666	प्रभात गुप्ता तनय वेदप्रकाश	347	कच्चा कवेलू	32.76	-
			Water Tank	12	-
667	निशा पुत्री गिरजाप्रसाद गुप्ता	347	कच्चा कवेलू	16	गैर रिहायशी
668	अंकिता पुत्री गिरजाप्रसाद गुप्ता	347	कच्चा कवेलू	16	गैर रिहायशी
669	भागीरथ यादव तनय हरप्रसाद	503	पक्का RCC	36	-
			शौचालय	4	-
670	देवेन्द्र यादव तनय भागीरथ	503	कच्चा कवेलू	36	-
671	मनीषा यादव पुत्री भागीरथ	503	कच्चा कवेलू	24	गैर रिहायशी
672	लोकेन्द्र यादव तनय भागीरथ	503	कच्चा कवेलू	36	-
673	अनिशा पुत्री भागीरथ यादव	503	कच्चा कवेलू	24	-
674	महेन्द्र तनय भागीरथ यादव	503	कच्चा कवेलू	36	-
675	द्वारका तनय खडिया यादव	506	कच्चा कवेलू	54.6	-
676	बद्री यादव तनय खडिया	506	कच्चा कवेलू	14.43	-
			कच्चा कवेलू	11.7	-
677	कोमल यादव तनय खडिया	506	कच्चा कवेलू	14.43	-
			कच्चा कवेलू	11.7	-
678	दीपेन्द्र यादव तनय कोमल	506	कच्चा कवेलू	26.79	-
679	खडिया यादव तनय परमलाल	506	कच्चा कवेलू	26.79	-
			कच्चा कवेलू	26	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
680	रामकुंवर यादव पत्नी बालकिशन	330	कच्चा कवेलू दो मंजिल	27.72	गैर रिहायशी
			कच्चा कवेलू	23.52	
681	किशोरी यादव तनय प्यारेलाल, प्यारेलाल तनय नन्ने यादव	514	कच्चा कवेलू	28.5	-
			कच्चा कवेलू	37.5	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	42.75	-
			कच्चा कवेलू	45	-
			दुकान	21.6	-
682	अशोक यादव तनय खडिया	500	पक्का RCC	30.6	-
			टीनशेड	21.42	-
683	संतोष यादव तनय शंकू यादव	351	कच्चा कवेलू दो मंजिल	33	-
			शौचालय	4	-
			Water Tank	16	-
			Water Tank	16	-
684	अंजना पुत्री संतोष यादव	351	कच्चा कवेलू	15.2	-
685	वंदना पुत्री संतोष यादव	351	कच्चा कवेलू	9	गैर रिहायशी
686	देवेन्द्र यादव तनय बृजकिशोर	351	कच्चा कवेलू	17.02	-
687	पार्वती गुप्ता पत्नी गिरजाप्रसाद	348	कच्चा कवेलू	40	-
			कच्चा कवेलू	19.5	-
			कच्चा कवेलू	14	-
			कच्चा कवेलू	19.5	-
688	बिहारीलाल गुप्ता तनय नन्हेलाल	475	कच्चा कवेलू	42.679	-
689	अशोक गुप्ता तनय बिहारीलाल	475	कच्चा कवेलू	18.36	-
690	ब्रजेश गुप्ता तनय बिहारीलाल	475	कच्चा कवेलू दो मंजिल	42.679	-
691	अखिलेश गुप्ता तनय बिहारीलाल	475	टीनशेड	13.2	-
692	गणेशप्रसाद गुप्ता तनय नन्नेलाल	475	टीनशेड	46.44	-
693	अवधेश गुप्ता तनय गणेशप्रसाद	475	कच्चा कवेलू	49.45	-
694	नरेश गुप्ता तनय गणेशप्रसाद	475	कच्चा कवेलू	19.25	-
695	चन्द्रभानु पटेल तनय नन्नेभाई	506	कच्चा कवेलू/ नाम-1, केथा-2 सिरसा-3	16.64	-
			कच्चा कवेलू	15.6	-
			कच्चा कवेलू	18	-
			कच्चा कवेलू	21.84	-
			कच्चा कवेलू	24.36	-
			टीनशेड	36	-
696	पूरनलाल पटेल तनय सरजू	506	पक्का RCC	33.6	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
697	भग्गू पटेल तनय राजाराम	506	कच्चा कवेलू	33.21	-
			कच्चा कवेलू	27.54	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.4	-
			टीनशेड	20.4	-
			कच्चा कवेलू	14.31	-
698	भागीरथ पटेल तनय भग्गू	506	कच्चा कवेलू	27.54	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.4	-
			कच्चा कवेलू	46.44	-
699	अनीता पुत्री भग्गू पटेल	506	टीनशेड	50.7	गैर रिहायशी
700	सुदामा पटेल तनय राजाराम	506	कच्चा कवेलू दो मंजिल	29.67	-
			कच्चा कवेलू	23.46	-
			कच्चा कवेलू	17.94	-
			कच्चा कवेलू	7.28	-
701	विनोद पटेल तनय सुदामा पटेल	506	कच्चा कवेलू	30.36	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.8	-
			शौचालय	2.24	-
702	रामदेवी पुत्री सुदामा पटेल	506	टीनशेड	49.5	-
703	लोकेन्द्र तनय विद्रावन पाल	506	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.28	-
704	सपना पुत्री विद्रावन पाल	506	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.2	-
705	सोमवती पुत्री कमला पटेल	506	कच्चा कवेलू दो मंजिल	32.8	-
706	बब्बू पटेल तनय सरजू पटेल	506	कच्चा कवेलू/ नाम-1, कनर-1, सागौन-1	63.705	-
			टीनशेड	11.76	-
707	सरजू पटेल तनय गबडा	506	कच्चा कवेलू	51	-
			कच्चा कवेलू	14	-
708	भागवती पटेल तनय सरजू	506	कच्चा कवेलू/ नीम-1	20.16	-
			कच्चा कवेलू	8	-
709	राकेश पटेल तनय सरजू	506	कच्चा कवेलू/ नीम-1	64.5	-
710	ओमप्रकाश पटेल तनय हेमराज	506	कच्चा कवेलू/ चिल्ला-1	51.2	-
			कच्चा कवेलू	31.11	-
711	हरिशंकर पटेल तनय रामप्रसाद	506	कच्चा कवेलू/ नीम-1	26.4	-
			टीनशेड	22.57	-
712	रोहित पटेल तनय राकेश	506	कच्चा कवेलू	29.7	-
			कच्चा कवेलू	12.92	-
713	रामप्रसाद पटेल तनय सरजू	506	कच्चा कवेलू	47.52	-
			कच्चा कवेलू	21.76	-
			शौचालय	1.95	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
714	चुरामन रैकवार तनय घसीटा	506	कच्चा कवेलू	44.53	-
			कच्चा कवेलू	19.04	-
715	राकेश रैकवार तनय चुरामन	506	कच्चा कवेलू	15.12	-
716	भरत रैकवार तनय चुरामन	506	कच्चा कवेलू	11.48	-
717	वर्षा पुत्री राकेश रैकवार	506	कच्चा कवेलू	50.4	-
718	आरती पुत्री राकेश रैकवार	506	कच्चा कवेलू	51	-
719	गुल्ली रैकवार तनय घसीटा	506	कच्चा कवेलू	68.25	-
720	देवीदीन बंसल तनय बोरा बसोर	514	कच्चा कवेलू	23.5	-
721	लच्छू तनय बोरा बंसल, सोतम बंसल तनय लच्छू	514	कच्चा कवेलू/सिरसा-3	44	-
722	गिरजाप्रसाद बसोर तनय गोरेलाल	514	पक्का RCC	24	-
			पक्का RCC	32	-
			कच्चा कवेलू	32.76	-
			कच्चा कवेलू	12.6	-
723	विशाल बंसल तनय गिरजाप्रसाद	514	कच्चा कवेलू/ कथा-1, रैजा-2	41.76	-
724	कालीचरण पटेल तनय बच्चू पटेल	506	कच्चा कवेलू	24	-
725	विदेश कुमार तनय कालू बंसल	506	टीनशेड	15.54	-
726	लखन बसोर तनय कालू बंसल	506	टीनशेड	15.54	-
727	वीरू बंसल तनय कालू बंसल	506	पक्का RCC	15.54	-
728	रामप्रसाद तनय रईया बंसल	506	कच्चा कवेलू/ नीम-1	10.88	-
729	हरदास बंसल तनय लल्लन	506	कच्चा कवेलू	26.56	-
730	राजू तनय हरदास बंसल	506	पक्का RCC	16	-
			टीनशेड	16.8	-
			कच्चा कवेलू	15.84	-
731	पप्पू बंसल तनय हरदास	506	कच्चा कवेलू	15.84	-
732	मुन्ना बंसल तनय हरदास	506	कच्चा कवेलू	26.56	-
733	कमली पत्नी हलकइया बंसल	506	पक्का RCC	16.45	-
			कच्चा कवेलू	8.96	-
734	लक्ष्मन तनय हलकइया बंसल	506	कच्चा कवेलू	22.94	-
735	कन्हैया तनय हलकइया बंसल	506	कच्चा कवेलू	24	-
736	ललती बाई पत्नी गोरेलाल हरिजन	506	कच्चा कवेलू	19.74	-
			पक्का RCC	31.5	-
			कच्चा कवेलू	7.28	-
737	विष्णु हरिजन तनय गोरेलाल	506	टीनशेड/ नीम-1	26.8	-
			कच्चा कवेलू	9.18	-
			कच्चा कवेलू	52.26	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
738	नाथूराम हरिजन तनय लछुवा	506	पक्का RCC	28.35	-
			शौचालय	3.78	-
739	विजय हरिजन तनय नाथूराम	506	कच्चा कवेलू	39.65	-
740	ब्रजेश अहिरवार तनय कल्ला	355	कच्चा कवेलू	12	-
741	राकेश अहिरवार तनय कल्ला	355	कच्चा कवेलू	12	-
742	सुरेश अहिरवार तनय कल्ला	355	कच्चा कवेलू	12	-
743	बबलू अहिरवार तनय कल्ला	355	कच्चा कवेलू	12	-
744	सपना अहिरवार पुत्री कल्ला	355	कच्चा कवेलू	12	-
745	सियाराम रैकवार तनय बिन्दा	506	कच्चा कवेलू/ नीम-1	48	-
			कच्चा कवेलू	19.25	-
			कच्चा कवेलू	29.92	-
746	मुकेश रैकवार तनय मुल्ली	506	कच्चा कवेलू	30.75	-
			कच्चा कवेलू	14.84	-
747	मुकेश अहिरवार तनय राजू	514	कच्चा कवेलू	105	-
748	उमाशंकर तनय रामचरण ओमरे	514	कच्चा कवेलू	54.4	-
749	संतोष तनय सुन्दर आदिवासी	462	टीनशेड	49.4	-
			कच्चा कवेलू	11.2	-
			शौचालय	4	-
750	तिजवा रैकवार तनय खिम्मा	416	कच्चा कवेलू	20	-
751	मिजाजी रैकवार तनय तिजवा	416	कच्चा कवेलू	10	-
			चबूतरा	10	-
752	हल्केभैया रैकवार तनय तिजवा	416	कच्चा कवेलू	10	-
			चबूतरा	10	-
753	धर्म रैकवार तनय साधुराम	492	टीनशेड	24	-
			कच्चा कवेलू	11.7	-
			कच्चा कवेलू	31.49	-
			दुकान	4	-
754	बिन्दा रैकवार तनय साधुराम	492	कच्चा कवेलू	42	-
			कच्चा कवेलू	15.9	-
			कच्चा कवेलू	29	-
755	मानिक रैकवार तनय साधुराम	492	कच्चा कवेलू	42	-
			कच्चा कवेलू	24.96	-
			कच्चा कवेलू	17.76	-
756	किशोरी रैकवार तनय साधुराम	492	कच्चा कवेलू	24	-
			कच्चा कवेलू	15	-
			पक्का RCC	36	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
757	हीरा रैकवार पत्नी दल्लू	475	कच्चा कवेलू	22.8	गैर रिहायशी
758	काशीराम रैकवार तनय दल्लू	425	कच्चा कवेलू	31.5	-
759	जालम रैकवार तनय दल्लू	425	कच्चा कवेलू	10.14	-
760	कमलेश रैकवार तनय दीनदयाल	355	कच्चा कवेलू	19.8	-
761	जगदीश रैकवार तनय दीना	355	कच्चा कवेलू	33	-
762	तीरथ रैकवार तनय श्यासी	355	कच्चा कवेलू	24	-
763	मुकेश पाल तनय बली पाल	411	कच्चा कवेलू	53.76	-
			कच्चा कवेलू	11.7	-
			कच्चा कवेलू	7.5	-
764	रमेश पाल तनय बली पाल	475	कच्चा कवेलू	36	-
			कच्चा कवेलू	11.7	-
765	लोकेन्द्र प्रताप तनय हल्के दुबे	351	कच्चा कवेलू	12	गैर रिहायशी
766	ब्रजेश तनय हल्के दुबे	351	कच्चा कवेलू	12	गैर रिहायशी
767	रामलली यादव पत्नी मलखान	475	कच्चा कवेलू	12	गैर रिहायशी
768	बद्रीप्रसाद बिलैया तनय श्यामबिहारी	475	कच्चा कवेलू	15.18	-
769	जमनाबाई पत्नी गनपत आदिवासी	403	कच्चा कवेलू	21	-
770	श्यामलाल तनय मकुन्दी आदिवासी	403	कच्चा कवेलू	20.4	-
771	लल्ली आदिवासी तनय हक्कू	277/1	पक्का RCC	28.875	-
772	नल्लू आदिवासी तनय लल्ली	277/1	कच्चा कवेलू	29.6	-
773	कल्लू बाई पत्नी सुन्दर बंसल	247	पक्का RCC	21.84	-
774	अनिल तनय सुन्दर बंसल	247	पक्का RCC	21.84	-
775	बबलू रैकवार तनय धनश्याम	475	टीनशेड	23.04	गैर रिहायशी
776	रामेश्वर यादव तनय गोरीशंकर	475	कच्चा कवेलू	20.28	गैर रिहायशी
777	दिलीप दुबे तनय प्राणीलाल	475	कच्चा कवेलू	12	गैर रिहायशी
778	बब्लू रैकवार तनय दुर्जना, नीरज तनय बब्लू रैकवार	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	42.7	-
779	सुन्ती पत्नी किपु रैकवार	403	कच्चा कवेलू	12	-
780	कलन रैकवार तनय छिमना	425	कच्चा कवेलू	20.4	-
781	किशोरी रैकवार तनय छिमना	425	कच्चा कवेलू	20.4	-
782	शंकर मुन्ना तनय रामविशाल विश्वकर्मा	351	कच्चा कवेलू	10.5	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	8	-
783	रत्तीबाई रैकवार पत्नी साधुराम	425	कच्चा कवेलू दो मंजिल	20.52	-
784	ज्ञानी रैकवार तनय कल्लू	351	टीनशेड	22.2	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	42.9	-
785	वीरेन्द्र रैकवार तनय नल्लू	416	टीनशेड	25.9	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	33	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेलू/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
786	बबली रैकवार तनय छिमना	475	पक्का RCC	30.4	-
			टीनशेड	5.2	-
787	नथुवा तनय भगिया अहिरवार	475	पक्का RCC/ सिरसा -15	61.8	-
			कच्चा कवेलू	16.92	-
			पक्का RCC	36.72	-
			चबूतरा	6.12	-
788	सुनील तनय रामदयाल रैकवार, गोलू तनय रामदयाल रैकवार	446/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल	28	-
789	राखी पुत्री रामदयाल रैकवार	446/1	कच्चा कवेलू दो मंजिल	30.4	-
790	नोनीबाई अहिरवार पत्नी कल्ला	355	पक्का RCC	32	-
			पक्का RCC	17.6	-
			पक्का RCC	12	-
			शौचालय	4	-
791	सुनील तनय पिरू अहिरवार	475	कच्चा कवेलू	6.3875	-
792	सूरज रैकवार तनय भन्तु	403	कच्चा कवेलू दो मंजिल	44.85	-
793	विनोदकुमार नगरिया तनय मुरलीधर	351	कच्चा कवेलू	16	-
794	भरत विश्वकर्मा तनय राधाचरण	475	कच्चा कवेलू	16.875	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	22.5	-
795	उमाकांत कुडेरिया तनय हरिशंकर	492	कच्चा कवेलू	30	-
796	पूरन यादव तनय बलभिया	330	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.5	-
797	रति बाई वेवा लम्पु यादव	514	कच्चा कवेलू दो मंजिल	21	-
798	लीलाधर यादव तनय बलभिया	330	कच्चा कवेलू दो मंजिल	21	-
799	संतोष कुमार यादव तनय लम्पु	514	कच्चा कवेलू दो मंजिल	31.5	-
800	आकांक्षा यादव पुत्री अशोक यादव	462	कच्चा कवेलू	12.6	-
801	भगवानदास पटेल तनय नन्नेभाई	506	कच्चा कवेलू	29.4	-
			कच्चा कवेलू	36	-
802	अखिलेश तनय भगवानदास पटेल	506	कच्चा कवेलू	19.6	-
			कच्चा कवेलू दो मंजिल	46.2	-
803	पंकज विश्वकर्मा तनय आशाराम	355	टीनशेड	31.5	-
			कच्चा कवेलू	14	-
			टीनशेड	10.5	-
804	सुनुआ बसोर तनय गसिया	514	पक्का RCC	32	-
805	बोरा बसोर तनय घसीटा	514	कच्चा कवेलू/ बारया-1, नाम-1, सिल्ला-1	15.9	-
			कच्चा कवेलू	20	-
			पक्का RCC	32	-
806	कालू बंसल तनय लोन बंसल	506	कच्चा कवेलू	12.42	-
			कच्चा कवेलू	52.15	-

क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भूमि धारक का नाम/पिता का नाम	खसरा नं.	प्रभावित मकान का विवरण		अन्य
			(कच्चा कवेल्/ टीनशेड / पक्का RCC)	निर्मित मकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	
01	02	03	04	05	06
807	जमना रेकवार वेवा हलकन	403	कच्चा कवेल्	82.8	-
808	दीपाशा पुत्री सुरेश शिवहरे, कृष्णकुमार पुत्र सुरेश शिवहरे		कच्चा कवेल्	38	-
809	मनोज रेकवार तनय गुल्ली	506	कच्चा कवेल्/ नीम-1	48.96	-
810	मनीष रेकवार तनय गुल्ली	506	कच्चा कवेल्	49.6	-
811	चेनू अहिरवार तनय खडिया	446/1	कच्चा कवेल्	32	-
812	कोशिया रेकवार पत्नी मुलती	355	कच्चा कवेल्	36.55	-
813	कमलेश तनय दरबारी अहिरवार	475	पक्का RCC	21.07	-
			चबूतरा	14.97	-
			कच्चा कवेल्	35	-
814	देशराज तनय दरबारी अहिरवार	475	पक्का RCC	21.07	-
			चबूतरा	14.97	-
			कच्चा कवेल्	18	-
815	बबलू अहिरवार तनय दरबारी	475	पक्का RCC	21.07	-
			चबूतरा	14.97	-
			कच्चा कवेल्	18	-
816	सुमित्रा देवी पत्नी रामकुमार पटेल	506	कच्चा कवेल्/ आम-1	23.94	-
			कच्चा कवेल्	26.64	-
			कच्चा कवेल्	32.96	-
817	लाडकुर्वे पटेल वेवा तुलसीदास	506	कच्चा कवेल्	26.04	-
818	बलदू तनय दतलू पटेल	462	कच्चा कवेल्	26.04	-
819	ब्रन्ना तनय नवला आदिवासी	462	कच्चा कवेल्	12.6	-
820	महेंद्र विश्वकर्मा तनय भवानीदीन	462	कच्चा कवेल्	13.3	-
821	रामाधीन तनय कुट्टूआ आदिवासी	462	कच्चा कवेल् दो मंजिल	30.4	-
822	सीता वेवा टड्या आदिवासी, जीवन तनय टड्या आदिवासी	462	कच्चा कवेल् दो मंजिल	28.8	-
823	जुगू अहिरवार तनय रम्मू	462	कच्चा कवेल् दो मंजिल	12.16	-
824	लल्ली आदिवासी तनय हक्कू	277/1	पक्का RCC	28.875	-

- सार्वजनिक प्रयोजन दौधन बाँध/ केन-बेतवा लिंक रा. परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पार्थ जैसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-11-अ-22-23-भू-अर्जन-बरखेड़ा-454

बैतूल, दिनांक 10 जनवरी 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सल्लन अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	बरखेड़	0.920	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	घाटबिरोली लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पट्टरीदेव मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	पिरम उर्फ प्रेमलाल पुत्र टुटकू जाति नाई नि. बरखेड़	634/1	0.808	0.150
2	गहना उर्फ रामरती पिता घुसी, लंकी पिता घुसी जाति पवार निवासी बरखेड़	634/2	1.500	0.270
3	गुलाबराव पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़	634/3	0.269	0.070
4	गोपाल पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़	634/4	0.269	0.080
5	सन्तोष पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़	634/5	0.270	0.090
6	नत्थू पिता टाटरू नि. बरखेड़	637/1	1.289	0.060
7	चिन्धी बेवा कुंवरलाल, संतोष, अनिल, अशोक पिता कुंवरलाल, सविता, गीता, बबली पिता कुंवरलाल नि. बरखेड़	633/1	0.607	0.100
8	गंगाराम पिता विरज नि. बरखेड़	633/2	0.607	0.100
	योग	8	5.619	0.920

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि घाटबिरोली लघु जलाशय परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 1527

राजगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2025

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-निवारा के लिए डूब क्षेत्र में शेष (पूरक) प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम-निवारा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		रकबा	
(1)	(2)	(3)	
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-निवारा की शेष भूमि की आवश्यकता।	73.215	
	कुल योग :	73.215	

-: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	करणसिंह पिता बलराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	428/2	0.107	0.005
		कुल 1 किता	0.107	0.005
2	नोरंगीलाल पिता रामबगस जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	466/2	0.076	0.003
		कुल 1 किता	0.076	0.003
3	भारतसिंह पिता बलराम जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	428/1	0.108	0.005
		कुल 1 किता	0.108	0.005
4	मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति भील पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	147	1.746	1.196
		कुल 1 किता	1.746	1.196
5	सर्जनसिंह पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	149/2/2	0.506	0.116
		कुल 1 किता	0.506	0.116

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
6	कंवरलाल पिता ईशरलाल जाति लोधी निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	149/1/1	0.464	0.439
		146/3/1/2	0.532	0.532
		कुल 2 किता	0.996	0.971
7	सागरसिंह पिता काशीराम जाति गूजर निवासी गुर्जरखेड़ीकला तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	149/1/2	0.632	0.350
		कुल 1 किता	0.632	0.350
8	बनेसिंह पिता ईसरलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	149/2/1	0.590	0.050
		146/3/1/1	0.506	0.506
		कुल 2 किता	1.096	0.556
9	हरिप्रसाद पिता चतरु जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	146/2/1	1.081	1.081
		कुल 1 किता	1.081	1.081
10	हरिप्रसाद पिता चतरुलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	413	0.329	0.100
		कुल 1 किता	0.329	0.100
11	कंवरलाल पिता चतरु जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	146/2/2	1.081	1.081
		कुल 1 किता	1.081	1.081
12	कंवरलाल पिता ईशरलाल हि. 1/4 भाग, बनेसिंह पिता ईशरलाल हि. 1/4 भाग, पदमसिंह पिता इशरलाल हि. 1/4 भाग, रामप्यारीबाई बेवा ईशरलाल हि. 1/4 भाग, जाति लोधी निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	146/3/1/3	0.390	0.300
		कुल 1 किता	0.390	0.300
13	बापूलाल पिता नन्दराम हि. 1/2 भाग, लाखनसिंह पिता धन्नालाल हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता निवासी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	146/3/2	2.733	2.733
		कुल 1 किता	2.733	2.733
14	परवतसिंह पिता रामदयाल हि. 1/3 भाग, राधेश्याम पिता रामदयाल हि. 1/3 भाग, कलीया बेवा रामदयाल हि. 1/3 भाग, जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	156/1	1.448	0.160
		216/2	0.101	0.101
		कुल 2 किता	1.549	0.261
15	मोहनलाल पिता प्रेमनारान जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	156/2	1.195	0.130
		कुल 1 किता	1.195	0.130
16	करणसिंह पिता नाथूलाल जाति लोधी पता निवासी ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	158	0.822	0.572
		कुल 1 किता	0.822	0.572
17	कल्याणसिंह पिता खुशीलाल जाति लोदी पता निवासी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	159/1	0.085	0.085
		कुल 1 किता	0.085	0.085

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
18	मांगीलाल पिता खुशीलाल जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	159/2	0.084	0.084
		कुल 1 किता	0.084	0.084
19	रमेश पिता खुशीलाल जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	159/3	0.085	0.085
		कुल 1 किता	0.085	0.085
20	गेंदालाल पिता खुशीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	159/4	0.085	0.075
		कुल 1 किता	0.085	0.075
21	अर्जुनसिंह पिता खुशीलाल जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	159/5	0.085	0.060
		कुल 1 किता	0.085	0.060
22	चंदनसिंह पिता हरिबगस जाति लोधी पता निवारा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	159/6/1	0.141	0.070
		कुल 1 किता	0.141	0.070
23	रंजीतसिंह पिता हरिबगस जाति लोधी पता निवारा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	159/6/2	0.141	0.080
		कुल 1 किता	0.141	0.080
24	नारानसिंह पिता हरिबगस जाति लोधी पता निवारा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	159/6/3	0.142	0.032
		कुल 1 किता	0.142	0.032
25	शंकरलाल पिता धूरीलाल हि. 1/3 भाग, अमरसिंह पिता धूरीलाल हि. 1/3 भाग, गिरधारी पिता धूरीलाल हि. 1/3 भाग, जाति लोदी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	211	0.202	0.132
		210	0.025	0.025
		कुल 2 किता	0.227	0.157
26	रामनारायण पिता बंशीलाल हि. 1/2 भाग, ईमरत पिता बंशीलाल हि. 1/2 भाग, जाति नाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	212	0.063	0.020
		कुल 1 किता	0.063	0.020
27	मोहनलाल पिता प्रेमनारान जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	215	0.013	0.013
		कुल 1 किता	0.013	0.013
28	मांगीलाल, गेंदालाल, अर्जुनसिंह, कल्याणसिंह, रमेश पिता खुशीलाल हरिबगस पिता खुशीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220	0.114	0.020
		कुल 1 किता	0.114	0.020
29	कल्याणसिंह पिता जमनालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	206/1	0.222	0.170
		कुल 1 किता	0.222	0.170
30	भारतसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	206/2	0.221	0.170
		कुल 1 किता	0.221	0.170

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
31	धीरजसिंह पिता करणसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	203	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126
32	सूरजबाई बेवा मिश्रीलाल हि. 1/2 भाग, भरोसों पिता मिश्रीलाल हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता निवासी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	174	0.152	0.102
		कुल 1 किता	0.152	0.102
33	रवि नाबालिग पिता मूलचन्द हि. 1/2 भाग, चन्द्रकला बेवा मूलचन्द हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	163/4	0.063	0.012
		111/4/2	0.380	0.015
		कुल 2 किता	0.443	0.027
34	कल्याणसिंह पिता जमनालाल हि. 1/2 भाग, बलियाबाई बेवा जमनालाल हि. 1/2 भाग, जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	199	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126
35	जगदीश पिता गोपीलाल हि. 1/4 भाग, रामनारायण पिता गोपीलाल हि. 1/4 भाग, शिवचरण पिता गोपीलाल हि. 1/4 भाग, धापूबाई बेवा गोपीलाल हि. 1/4 भाग, जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	209/1	0.025	0.025
		कुल 1 किता	0.025	0.025
36	जमनालाल पिता चुन्नीलाल जाति लोदी पता तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	209/2	0.038	0.038
		कुल 1 किता	0.038	0.038
37	हरिसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	207/1	0.013	0.013
		217/1	0.019	0.019
		कुल 2 किता	0.032	0.032
38	भारतसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	207/2	0.013	0.013
		217/2	0.019	0.019
		कुल 2 किता	0.032	0.032
39	भगवतसिंह पिता धीरप हि. 1/5 भाग, गोविन्दसिंह पिता धीरप हि. 1/5 भाग, कृष्णपालसिंह पिता धीरप हि. 1/5 भाग, ना.बा. तेजसिंह नाबालिग पिता धीरप संरक्षक विष्णुकंवर हि. 1/5 भाग, विष्णुकंवर बेवा धीरप हि. 1/5 भाग, जाति राजपूत पता निवासी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	207/3	0.013	0.013
		217/3	0.019	0.019
		कुल 2 किता	0.032	0.032
40	मोकमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	207/4	0.012	0.012
		217/4	0.019	0.019
		कुल 2 किता	0.031	0.031

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
41	रमेश, अर्जुन, भूरिया पिता मांगीलाल, भगवतीबाई बेवा मांगीलाल, मनोहरलाल, खुशीलाल, कन्हैयालाल पिता देवीलाल जाति नाथ पता निवारा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	218	0.038	0.038
		कुल 1 किता	0.038	0.038
42	मु हरकूबाई बेवा भागचन्द हि. 1/2 भाग, रामचरण पिता भागचन्द हि. 1/2 भाग, जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	72/1	0.745	0.495
		कुल 1 किता	0.745	0.495
43	हरिमजन पिता प्रेमसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	72/2/1	0.316	0.150
		282/2/1/2	0.127	0.127
		कुल 2 किता	0.443	0.277
44	हेमराज पिता प्रेमसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	72/2/2	0.316	0.100
		282/2/1/3	0.126	0.126
		कुल 2 किता	0.442	0.226
45	सुनीलकुमार पिता बद्रीलाल हि. 1/3 भाग, संदीप पिता बद्रीलाल हि. 1/3 भाग, कृष्णाबाई बेवा बद्रीलाल हि. 1/3 भाग, जाति महाजन निवासी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	73	2.074	1.425
		कुल 1 किता	2.074	1.425
46	हेमराज पिता बंशीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	69/2	1.758	0.950
		कुल 1 किता	1.758	0.950
47	रणजीतसिंह पिता हरबगस जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/3/2	0.759	0.679
		कुल 1 किता	0.759	0.679
48	तख्तसिंह पिता गेन्दालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/3/1	0.253	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
49	बंशीलाल पिता भागीरथ जाति चमार पता निवासी मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/1/1	0.196	0.156
		कुल 1 किता	0.196	0.156
50	रामप्रसाद पिता भागीरथ जाति चमार पता निवासी मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/1/2	0.196	0.156
		कुल 1 किता	0.196	0.156
51	अमरसिंह पिता हजारी जाति चमार पता ग्राम मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/2/1	0.433	0.433
		कुल 1 किता	0.433	0.433
52	गेंदालाल पिता खुशीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/2/2	0.212	0.212
		कुल 1 किता	0.212	0.212

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
53	गोपाल पिता भोलाराम हि. 1/2 भाग, दिनेश पिता भोलाराम हि. 1/2 भाग, जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	75/1	2.972	2.542
		75/2	0.632	0.452
		कुल 2 किता	3.604	2.994
54	रामेश्वर पिता रमेशचन्द्र जाति महाजन पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	76/1	0.866	0.320
		कुल 1 किता	0.866	0.320
55	रमेश पिता कालु जाति काछी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	76/2	0.867	0.060
		कुल 1 किता	0.867	0.060
56	रमेश पिता खुशीलाल जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	79/2	0.885	0.040
		कुल 1 किता	0.885	0.040
57	खुशीलाल पिता नाथूलाल हि. 1/3 भाग, मोतीलाल पिता नाथूलाल हि. 1/3 भाग, चिरोजीलाल पिता नाथूलाल हि. 1/3 भाग, जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	90	0.380	0.050
		कुल 1 किता	0.380	0.050
58	भगवतीप्रशाद पिता चिरोजीलाल जाति लोधी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	87	0.519	0.050
		कुल 1 किता	0.519	0.050
59	गिरीश कुमार पिता रामबाबू जाति महाजन पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	9	0.063	0.063
		10/2	0.746	0.706
		27/1	1.018	0.518
		24	0.215	0.215
		कुल 4 किता	2.042	1.502
60	सन्दीप कुमार पिता रमेशचन्द्र जाति महाजन पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	10/1	0.038	0.038
		27/2	1.233	0.803
		कुल 2 किता	1.271	0.841
61	मानसिंह पिता खेमचन्द जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	11/2	0.190	0.190
		12	0.177	0.020
		कुल 2 किता	0.367	0.210
62	सुन्दरवाई पिता कालु जाति भील पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	15	0.089	0.064
		कुल 1 किता	0.089	0.064
63	सुन्दरलाल पिता गंगाधर जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14/3	1.750	0.070
		कुल 1 किता	1.750	0.070
64	घीसालाल पिता प्रभूलाल हि. 1/2 भाग, दोलतराम पिता प्रभूलाल हि. 1/2 भाग, जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	16/2	0.515	0.060
		कुल 1 किता	0.515	0.060

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
65	ममताबाई, अनोखी बाई, धनिया बाई, पवित्रा बाई पिता श्री किशन, भगवती बाई बेवा श्री किशन जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21	0.126	0.063
		83	0.266	0.266
		कुल 2 कित्ता	0.392	0.329
66	बृजेश पिता श्रीकिशन जाति लोदी पता निवारा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22	0.215	0.070
		23	0.038	0.038
		कुल 2 कित्ता	0.253	0.108
67	मनोज पिता श्रीकिशन जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	84/1/1	1.347	0.350
		कुल 1 कित्ता	1.347	0.350
68	खुशीलाल पिता नाथूलाल जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	5	0.949	0.150
		कुल 2 कित्ता	0.949	0.150
69	मांगीलाल पिता रामप्रसाद हि. 1/3 भाग, होकमसिंह पिता रामप्रसाद हि. 1/3 भाग, सरदारबाई बेवा रामप्रसाद हि. 1/3 भाग, जाति माली पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	74/1	1.385	0.040
		कुल 1 कित्ता	1.385	0.040
70	रमेशचन्द्र पिता राधेलाल जाति महाजन पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	30/3	1.770	0.210
		कुल 3 कित्ता	1.770	0.210
71	रामबाबू पिता राधेलाल हि. 1/2 भाग, रमेश पिता राधेलाल हि. 1/2 भाग, जाति महाजन पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	31	0.025	0.025
		26	0.190	0.097
		32	0.531	0.471
		36	0.164	0.050
		37	0.569	0.200
		38	0.228	0.050
		39	0.491	0.030
		41	0.126	0.090
		कुल 8 कित्ता	2.324	1.013
72	खुशीलाल पिता धूलजी जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	33	0.557	0.522
		47/2/1	0.530	0.250
		कुल 2 कित्ता	1.087	0.772
73	खुशिलाल, डूंगा पिता धूलजी मोहनलाल, सुखराम, मदन, रघुवीर, आ कासीराम मु. जडीया बेवा काशीराम जाति काछी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	34	1.176	0.170
		कुल 1 कित्ता	1.176	0.170
74	सुन्दरलाल पिता गंगाधर हि. 50/100 भाग, घीसालाल, दोलतराम, पिता प्रभूलाल हि. 25/100 भाग, भंवरलाल, शिंभूलाल पिता पन्नालाल हि. 25/100 भाग, जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	42	0.772	0.542
		43	0.531	0.520
		कुल 2 कित्ता	1.303	1.062

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
75	सागरसिंह पिता काशीराम जाति गूजर पता निवासी गूजरखेडीकला तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	128/1/3	0.143	0.143
		128/2/2	0.142	0.142
		कुल 2 किता	0.285	0.285
76	रोडजी पिता मूलचंद जाति धोबी पता निवासी मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	128/2/1	0.142	0.142
		126/1	0.047	0.047
		कुल 2 किता	0.189	0.189
77	श्यामसुंदर पिता मूलचंद जाति धोबी निवासी मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	128/2/3	0.190	0.190
		कुल 1 किता	0.190	0.190
78	लक्ष्मीनारायण सुरेश जालम भगवत पिता मिश्रीलाल रामकलीबाई पत्नि मिश्रीलाल जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	128/2/4	0.142	0.142
		कुल 1 किता	0.142	0.142
79	ग्यारसीराम पिता रामचन्द्र जाति धोबी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	126/2	0.047	0.047
		कुल 1 किता	0.047	0.047
80	संदीप पिता छीतरलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	125/2/2/1	0.886	0.175
		कुल 1 किता	0.886	0.175
81	गोपाल पिता भागचन्द्र जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	121/1/1	0.335	0.105
		121/2/1	0.044	0.044
		कुल 2 किता	0.379	0.149
82	रामबाबू पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	121/2/2	0.365	0.110
		कुल 1 किता	0.365	0.110
83	संतोष पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	121/1/2	0.335	0.165
		121/2/3	0.160	0.027
		कुल 2 किता	0.495	0.192
84	पूनमचन्द्र पिता नरभेसिंह जाति अहीर पता निवासी मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	118	0.089	0.030
		कुल 1 किता	0.089	0.030
85	छीतरलाल पिता किशनलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	114/1	2.630	1.480
		कुल 1 किता	2.630	1.480
86	श्री किशन, फूलसिंह, लक्ष्मण, बंशी, प्रेमसिंह, आ. भागीरथ जाति लोदी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	114/2/1	1.770	1.670
		कुल 1 किता	1.770	1.670
87	गीताबाई पति गोपाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	114/2/2	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
88	करणसिंह पिता नाथूलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	114/3	2.529	1.560
		कुल 1 किता	2.529	1.560

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
89	हजारीलाल पिता रोडिया हि. 1/4 भाग, बापूलाल पिता रोडिया हि. 1/4 भाग, दरियावबाई पिता रोडिया हि. 1/4 भाग, कैलाशबाई पिता रोडिया हि. 1/4 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	111/1	2.213	1.193
		कुल 2 कित्ता	2.213	1.193
90	महेन्द्रकुमार पिता काशीराम हि. 1/2 भाग, नरेन्द्रकुमार पिता काशीराम हि. 1/2 भाग, जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	111/3	0.721	0.491
		कुल 2 कित्ता	0.721	0.491
91	राधेश्याम पिता मांगीलाल हि. 1/5 भाग, गिरधारी पिता मांगीलाल हि. 1/5 भाग, पप्पू पिता मांगीलाल हि. 1/5 भाग, भूरीबाई पुत्री मांगीलाल हि. 1/5 भाग, गीताबाई पुत्री मांगीलाल हि. 1/5 भाग, जाति काछी निवासी ग्राम मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	111/2/1/1	0.126	0.126
		कुल 1 कित्ता	0.126	0.126
92	धीरजसिंह पिता करणसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	111/2/1/2	0.051	0.051
		कुल 1 कित्ता	0.051	0.051
93	छीतर पिता गेदा जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	111/4/1	0.379	0.065
		कुल 1 कित्ता	0.379	0.065
94	धीसालाल पिता रामलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	108/3	0.747	0.230
		कुल 1 कित्ता	0.747	0.230
95	भगवानसिंह विजयसिंह पिता रमेश रेखाबाई पिता रमेश कैलाशबाई बेवा रमेश जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	103/1	0.544	0.334
		कुल 1 कित्ता	0.544	0.334
96	भागमल पिता भंवरलाल जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	275/1/1	0.424	0.424
		कुल 1 कित्ता	0.424	0.424
97	घनश्याम मेहताबसिंह पिता नवलसिंह गुलाबबाई सीमाबाई पुत्री नवलसिंह मोहनबाई बेवा नवलसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	275/1/2	0.424	0.424
		कुल 1 कित्ता	0.424	0.424
98	अमयसिंह पिता भंवरलाल जाति लोदी पता निवासी तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	275/1/3	0.423	0.423
		कुल 1 कित्ता	0.423	0.423
99	रेकमसिंह पिता नारायणसिंह जाति लोधी पता निवासी तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	275/2/1	0.318	0.318
		कुल 1 कित्ता	0.318	0.318
100	अनिल पिता नारायणसिंह जाति लोधी पता निवासी तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	275/2/2	0.317	0.317
		कुल 1 कित्ता	0.317	0.317

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
101	राजेश पिता नारायण सिंह जाति लोधीपता निवारा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	275/2/3	0.318	0.318
		कुल 1 किता	0.318	0.318
102	दिनेश ना.बा. पिता नारायणसिंह, संरक्षक माता कलाबाई बेवा नारायणसिंह जाति लोधी पता निवारा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	275/2/4	0.318	0.318
		कुल 1 किता	0.318	0.318
103	शंकर पिता धूलजी जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	343/3	2.010	0.580
		कुल 1 किता	2.010	0.580
104	हरिप्रसाद पिता धन्नालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	343/4	2.529	0.500
		कुल 1 किता	2.529	0.500
105	मोहनलाल पिता देवजी जाति सौंधिया पता निवासी हांसरोद तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	343/1/1	1.771	0.063
		कुल 1 किता	1.771	0.063
106	धन्नालाल पिता हीरालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	343/2/1/1	1.012	0.462
		कुल 1 किता	1.012	0.462
107	रमेश पिता अमरलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	345/2/1	0.274	0.254
		कुल 1 किता	0.274	0.254
108	जशमन पिता अमरलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	345/2/2	0.274	0.274
		कुल 1 किता	0.274	0.274
109	आनन्दी पिता प्रथीसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	345/2/6	0.274	0.130
		कुल 1 किता	0.274	0.130
110	अनिल ना. बा. पिता गोपीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	345/2/5	0.183	0.080
		कुल 1 किता	0.183	0.080
111	धन्नालाल, कंवरलाल, पिता श्रीलाल, रामचरण, बापूलाल, गोपाल, रूकमाबाई, पिता नन्दराम, अयोध्याबाई बेवा नन्दराम केशरसिंह अमृतसिंह नरवीबाई लीलाबाई सावित्रीबाई पिता हरबक्ष जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	346	1.783	1.733
		कुल 1 किता	1.783	1.733
112	खुर्या पिता धूल्या जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	358/4/2	0.500	0.200
		कुल 1 किता	0.500	0.200
113	सोदान पिता बंशीलाल हि. 1/2 भाग, रामकवरी पति सोदान हि. 1/2 भाग, जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	358/13	0.759	0.070
		कुल 1 किता	0.759	0.070

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
114	रामचरण पिता जगन्नाथ जाति चमार निवासी ग्राम शासकीय संस्था	358/15	0.679	0.379
		कुल 1 किता	0.679	0.379
115	भगवानसिंह, विजयसिंह, रेखाबाई पिता रमेश, कैलाशबाई बेवा रमेश जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	358/11	0.500	0.115
		कुल 1 किता	0.500	0.115
116	फुलसिंह पिता किशनलाल जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	360/1	0.234	0.140
		कुल 1 किता	0.234	0.140
117	हेमराज राधेश्याम पिता मोरसिंह रचनाबाई पुत्री मोरसिंह कौशल्यबाई बेवा मोरसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	360/4/1	0.058	0.030
		कुल 1 किता	0.058	0.030
118	सुन्दरलाल पिता अमरचंद जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	360/4/2	0.058	0.030
		कुल 1 किता	0.058	0.030
119	बापूलाल पिता अमरचंद जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	360/4/3	0.059	0.030
		कुल 1 किता	0.059	0.030
120	भगवतसिंह पिता बंशीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	400/2/2/2	0.190	0.050
		कुल 1 किता	0.190	0.050
121	रामसिंह पिता बंशीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	400/2/2/1	0.190	0.090
		कुल 1 किता	0.190	0.090
122	अर्जुनसिंह पिता हीरालाल जाति लोदी पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	400/1	0.164	0.164
		कुल 1 किता	0.164	0.164
123	करणसिंह पिता मानसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	400/3/1	0.095	0.095
		कुल 1 किता	0.095	0.095
124	हरिभजन पिता प्रेमसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	400/3/2	0.048	0.048
		कुल 1 किता	0.048	0.048
125	हेमराज पिता प्रेमसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	400/3/3	0.048	0.048
		कुल 1 किता	0.048	0.048
126	छीतर पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	400/2/1/1	0.189	0.040
		397/1/5/1	0.632	0.230
		कुल 2 किता	0.821	0.270

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमादित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
127	बृजमोहन पिता मिश्रीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	400/2/1/2	0.190	0.050
		397/1/5/2	0.633	0.472
		कुल 2 कित्ता	0.823	0.522
128	प्रथ्वीसिंह पिता जयनारायण हि. 1/2 भाग, उमरावसिंह पिता जयनारायण हि. 1/2 भाग, जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	400/2/3	0.379	0.289
		286/1	1.821	0.261
		कुल 2 कित्ता	2.200	0.550
129	रामबगस पिता जयसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	433/1	0.006	0.006
		436/2	0.042	0.042
		कुल 2 कित्ता	0.048	0.048
130	बंशीलाल पिता जयसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	433/2	0.006	0.006
		436/3	0.021	0.021
		कुल 2 कित्ता	0.027	0.027
131	अर्जुन पिता प्रभुलाल हि. 1/5 भाग, मुकेश कुमार पिता प्रभुलाल हि. 1/5 भाग, सुशीलाबाई पुत्री प्रभुलाल हि. 1/5 भाग, नौरंगबाई पुत्री प्रभुलाल हि. 1/5 भाग, इमरतबाई बेवा प्रभुलाल हि. 1/5 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	433/3	0.006	0.006
		436/4	0.021	0.021
		कुल 2 कित्ता	0.027	0.027
132	गोपीलाल पिता रूगनाथ जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	433/4	0.006	0.006
		कुल 1 कित्ता	0.006	0.006
133	रमेश पिता मांगीलाल हि. 1/3 भाग, देवसिंह पिता मांगीलाल हि. 1/3 भाग, गोकुल पिता मांगीलाल हि. 1/3 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	433/5	0.006	0.006
		कुल 1 कित्ता	0.006	0.006
134	प्रेमबाई बेवा भंवरलाल नौरंगबाई मोरबाई भूरियाबाई भूलीबाई उमाबाई पुत्री भंवरलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	433/6	0.007	0.007
		कुल 1 कित्ता	0.007	0.007
135	शिमूसिंह पिता मदन हि. 1/3 भाग, गीताबाई पिता मदन हि. 1/3 भाग, बुंदी बाई बेवा मदन हि. 1/3 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	436/1	0.017	0.017
		कुल 1 कित्ता	0.017	0.017
136	अमृतलाल पिता किशनलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	123	0.202	0.202
		कुल 1 कित्ता	0.202	0.202
137	कन्हैया पिता लक्ष्मण जाति लोधी पता निवासी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	464/3	0.080	0.080
		कुल 1 कित्ता	0.080	0.080

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
138	रामेश्वर पिता रमेशचन्द्र जाति महाजन पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	80/1/2	0.265	0.265
		कुल 1 किता	0.265	0.265
139	सागरसिंह पिता काशीराम हि. 1/2 भाग, दयालसिंह पिता काशीराम हि. 1/2 भाग, जाति गूजर पता निवासी गूजरखेड़ीकला तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	59/2	0.485	0.485
		कुल 1 किता	0.485	0.485
140	मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति भील पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/1/1	2.023	2.023
		कुल 1 किता	2.023	2.023
141	खुशीलाल पिता धूलजी जाति काछी पता निवासी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/1/2	1.012	1.012
		कुल 1 किता	1.012	1.012
142	मांगीलाल पिता रतन जाति चमार पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/1/3 48/3	1.302	1.302
		कुल 1 किता	1.302	1.302
143	लालजी पिता धूलजी जाति भील पता गुजरखेड़ीकला सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/4/1	0.379	0.379
		कुल 1 किता	0.379	0.379
144	शोदानसिंह पिता आसाराम जाति गुजर पता निवारा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/4/2	0.127	0.127
		कुल 1 किता	0.127	0.127
145	यशवंतसिंह, उमरावसिंह, लक्ष्मणसिंह, पिता जगन्नाथसिंह, संतोषकंवर, चतरकुंवर, गुडडीबाई, कृष्णाबाई, पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम मऊ तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	56	1.505	1.505
		कुल 1 किता	1.505	1.505
146	रामबगस पिता अमरा हि. 1/3 भाग, केशरबाई पिता अमरा हि.1/3, भाग, बलराम पिता अमरा हि.1/3, भाग, जाति गूजर पता तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	60	2.225	2.225
		कुल 1 किता	2.225	2.225
147	परवतसिंह राधेश्याम पिता रामदयाल, कलियाबाई बेवा रामदयाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	169/2	0.070	0.070
		कुल 1 किता	0.070	0.070
148	परवतसिंह राधेश्याम पिता रामदयाल, कलियाबाई बेवा रामदयाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	167	0.367	0.367
		कुल 1 किता	0.367	0.367

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
149	जगदीश पिता गोपीलाल हि. 1/4 भाग, रामनारायण पिता गोपीलाल हि. 1/4 भाग, शिवचरण पिता गोपीलाल हि. 1/4 भाग, धापूबाई बेवा गोपीलाल हि. 1/4 भाग, जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	208	0.013	0.013
		कुल 1 किता	0.013	0.013
150	कमलसिंह पिता देवालाल जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	349/1	0.152	0.152
		कुल 1 किता	0.152	0.152
151	नारानसिंह पिता देवालाल जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	349/2	0.506	0.506
		कुल 1 किता	0.506	0.506
152	जगदीश पिता रामचरण जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	349/3/1	0.570	0.570
		कुल 1 किता	0.570	0.570
153	प्रहलादसिंह पिता मदनसिंह, कमलसिंह पिता मदनलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	349/3/2	0.063	0.063
		कुल 1 किता	0.063	0.063
154	जगदीश पिता गोपीलाल जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	349/4	0.379	0.379
		कुल 1 किता	0.379	0.379
155	धीरजसिंह पिता करणसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	70	0.354	0.354
		कुल 1 किता	0.354	0.354
156	भारतसिंह पिता गंगाधर हि. 1/3 भाग, लेखराज पिता गुलाब हि. 1/3 भाग, रामकुवर बेवा गुलाबसिंह हि. 1/3 भाग, जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	136/1	1.227	1.227
		कुल 1 किता	1.227	1.227
157	फुलसिंह पिता किशनलाल जाति लोदी निवासी ग्राम निवारा भूमि स्वामी	136/2	1.227	1.227
		कुल 1 किता	1.227	1.227
158	हेमराज राधेश्याम पिता मोरसिंह रचनाबाई पुत्री मोरसिंह कौशल्याबाई बेवा मोरसिंह जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	136/3/1	0.306	0.306
		कुल 1 किता	0.306	0.306
159	सुन्दरलाल पिता अमरचंद जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	136/3/2	0.306	0.306
		कुल 1 किता	0.306	0.306
160	बापूलाल पिता अमरचंद जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	136/3/3	0.307	0.307
		कुल 1 किता	0.307	0.307
161	राकेश पिता प्रेमसिंह हि. 1/2 भाग, मु. प्रेमबाई बेवा प्रेमसिंह सरमाता स्वयं प्रेमबाई हि. 1/2 भाग, जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	136/3/4	0.307	0.307
		कुल 1 किता	0.307	0.307

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
162	लाखनसिंह पिता गुलाबसिंह जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/1/1	0.740	0.740
		कुल 1 किता	0.740	0.740
163	भागमल पिता भंवरलाल जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/1/2/1	0.246	0.246
		कुल 1 किता	0.246	0.246
164	मेहताबसिंह पिता नवलसिंह जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/1/2/2	0.247	0.247
		कुल 1 किता	0.247	0.247
165	अभयसिंह पिता भंवरलाल जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/1/2/3	0.247	0.247
		कुल 1 किता	0.247	0.247
166	लक्ष्मीनारायण पिता हीरालाल जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/2	0.367	0.367
		कुल 1 किता	0.367	0.367
167	धन्नालाल पिता हीरालाल जाति लोधी पता निवारा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	137/3	0.367	0.367
		कुल 1 किता	0.367	0.367
168	अर्जुनसिंह पिता हीरालाल जाति लोदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/4	0.301	0.301
		कुल 1 किता	0.301	0.301
169	जगदीश पिता रामचरण जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/5/1	0.108	0.108
		कुल 1 किता	0.108	0.108
170	शिमूसिंह पिता रामचरण जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/5/2	0.108	0.108
		कुल 1 किता	0.108	0.108
171	रणजीतसिंह पिता रामचरण जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/5/3	0.108	0.108
		कुल 1 किता	0.108	0.108
172	भीकमसिंह पिता रामचरण जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/5/4	0.108	0.108
		कुल 1 किता	0.108	0.108
173	केशरसिंह पिता हरबगस जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	132/1/1	0.404	0.185
		132/1/2	0.404	0.404
		132/1/3	0.404	0.339
		132/1/9	0.405	0.405
		132/5/1	0.405	0.350
		कुल 5 किता	2.022	1.683
174	भारतसिंह पिता बलराम जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	132/1/4	0.405	0.050
		कुल 1 किता	0.405	0.050
175	हरिभजन पिता प्रेमसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	132/1/7	0.405	0.405
		कुल 1 किता	0.405	0.405

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
176	रामबगस पिता जयसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	132/1/6	0.405	0.350
		कुल 1 किता	0.405	0.350
177	सोनम बाई पत्नि सुरेश जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	132/1/5	0.405	0.405
		कुल 1 किता	0.405	0.405
178	कन्हैयालाल पिता जयसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	132/1/8	0.405	0.405
		कुल 1 किता	0.405	0.405
179	बनेसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	132/1/10	1.493	1.493
		कुल 1 किता	1.493	1.493
180	धीसालाल पिता केशन जाति धोबी पता निवासी मऊ तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	126/4	0.049	0.047
		कुल 1 किता	0.049	0.047
181	मांगीलाल पिता पन्ना हि. 1/4 भाग, रोडसिंह पिता पन्ना हि. 1/4 भाग, ओमप्रकाश पिता पन्ना हि. 1/4 भाग, कमलाबाई बेवा पन्ना हि. 1/4 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	397/1/6	1.265	0.260
		कुल 1 किता	1.265	0.260
182	कांती पुत्री नाथूलाल जाति लोदी पता निवासी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	397/4	2.023	0.980
		कुल 1 किता	2.023	0.980
183	कन्हैयालाल पिता देवीलाल जाति नाथ पता निवासी ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	397/3/1	1.265	0.130
		कुल 1 किता	1.265	0.130
184	मनोहरलाल पिता देवीलाल जाति नाथ पता निवासी ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	397/3/2	0.632	0.350
		कुल 1 किता	0.632	0.350
185	गुलाबबाई बेवा पन्नालाल रमेश अमृतसिंह पर्वतसिंह पिता पन्नालाल रचनाबाई पुत्री पन्नालाल जाति चमार पता निवासी निवासी तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	397/1/1	1.265	0.320
		कुल 1 किता	1.265	0.320
186	शिमूसिंह पिता मदन हि. 1/3 भाग, गीताबाई पिता मदन हि. 1/3 भाग, बुंदीबाई बेवा मदन हि. 1/3 भाग जाति चमार तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	397/1/4	1.265	0.100
		कुल 1 किता	1.265	0.100
187	जगन्नाथ देवीसिंह पिता श्यामलाल कमलाबाई धापूबाई केदारबाई पुत्री श्यामलाल जाति भोई पता निवासी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	282/1/1	0.253	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
188	करणसिंह पिता मानसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	282/2/1/1	0.253	0.253
		कुल 1 किता	0.253	0.253
189	रोडीबाई पत्नी देवीसिंह जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र.	282/2/2	1.012	0.460
		कुल 1 किता	1.012	0.460
190	रामचरन पिता जगन्नाथ जाति चमार पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था	282/3	0.604	0.080
		कुल 1 किता	0.604	0.080
191	अमृतलाल पिता बशीलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	282/1/3	1.012	0.500
		कुल 1 किता	1.012	0.500
192	गेंदालाल पिता खुशीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	425/1	0.004	0.004
		कुल 1 किता	0.004	0.004
193	हरिबगस पिता काशीराम जाति लोधी पता निवासी ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	425/2	0.009	0.009
		कुल 1 किता	0.009	0.009
		कुल 235 किता	120.791	73.215

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव,
जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

प.क्र.-622-रीडर-भू-अर्जन-2025

भीकनगांव, दिनांक 6 फरवरी 2025

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम(2)}

क्रमांक- 0/62 /ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी-जामन्या मार्डको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर एवं ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-01, 02, 03, 04, 05, 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80	43/2/1	0.005
				0.006
				0.013
				0.010
				0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80	43/1	0.004
				0.011
			45/1	0.010
			42/2	0.001
				0.035
			41/3	0.002
			43/3	0.002
			31/1	0.003
			30/1	0.001
			31/3	0.003
			29/61/1	0.010
			27	0.006
			56	0.014
			26/2	0.008
			43/2/2	0.002
			41/2	0.004
				0.003
			42/1	0.005
				0.003
			40	0.004
			41/1	0.002
			39/525	0.007
			6/522	0.009
			7/523	0.011
			12	0.003
			2/2	0.012
			37	0.006
			14	0.009
			15/1	0.004
			15/2	0.005
			16	0.009
			16/524	0.007
			17/1/1	0.002
22/1	0.002			
18/1	0.006			
32	0.007			
33	0.013			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80	18/2	0.007
			17/1/3	0.006
			17/1/6	0.005
			17/1/4	0.008
			17/1/7	0.010
			18/7	0.014
			17/3	0.008
			20/7	0.008
			514/1	0.006
			511/546	0.001
			470/2	0.026
			470/1	0.005
			472/1	0.018
			472/2/1	0.005
			473/544/1/1	0.004
			473/544/1/2	0.004
			344/4	0.009
			343/5	0.016
			343/4	0.026
			293/2	0.002
			293/3	0.024
			293/1	0.005
			294/2	0.013
			294/1/2	0.013
			296/1/2/1	0.016
			296/1/1/1	0.026
				0.006
			154/1	0.008
			296/1/1/2	0.005
				0.004
			291/3	0.018
			154/2	0.006
161/1	0.006			
297/2	0.010			
297/1/3	0.006			
297/1/2	0.006			
344/1	0.003			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21/80	190	0.050
				0.001
			189	0.011
			153/1	0.022
			155/1	0.022
			296/2	0.005
			160/2	0.032
			161/2	0.006
			160/1	0.014
			179/2	0.002
			164/3	0.004
			164/2	0.014
			164/1	0.007
			64/2	0.016
			64/1	0.002
			63/2	0.002
			167/2	0.001
			63/3	0.009
			62/2/2	0.015
			28/2/1	0.026
			29/61/4	0.018
			59	0.010
			58	0.003
			29/61/3	0.020
			45/2	0.010
				0.013
			44	0.004
			54/2	0.005
			62/2/1	0.002
			166	0.003
167/3	0.005			
178	0.010			
181/1	0.002			
182/3	0.001			
181/3	0.009			
184/4/1	0.003			
184/4/2	0.004			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- अन्दड़, प.ह.नं.- 21 / 80	184/3	0.003
			185/2	0.001
			344/2	0.009
			188/1/2	0.006
			188/1/1	0.006
			188/2	0.001
			306/2	0.007
			304	0.006
			302	0.003
			297/3	0.009
			292/1	0.008
			343/1	0.003
			464/1/1	0.010
			464/1/2	0.002
			463/1	0.002
			463/2	0.002
			460/3	0.008
			460/2	0.003
			459/2	0.005
			458/1	0.004
			458/2	0.003
			457	0.003
			456/3	0.005
433/2	0.001			
433/542	0.006			
436	0.016			
39	0.021			
कुल योग			131	1.181

प.क्र.-627-रीडर-भू-अर्जन-2025

प्ररूप- "ख"

{ नियम-5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 0161 /ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रेहगांव, प.ह.नं.- 25/84, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)** एवं **सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला- खरगोन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- रेहगांव, प.ह.नं.- 25/84,	116/1	0.025
			116/3	0.004
			117/2	0.023
कुल योग			03	0.052

प.क्र.-632-रीडर-भू-अर्जन-2025

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

क्रमांक- 0166 /ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चौण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 03 एवं 04 में जल परिवहन हेतु ग्राम- चौण्डी, प.ह.नं.- 03/69, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- चौण्डी, प.ह.नं.- 03/69,	39/1/1	0.011
			27/18	0.024
			38/6/2	0.001
			38/5/2	0.010
			38/6/1	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- चौण्डी, प.ह.नं.- 03/69,	38/2	0.004
			38/3/2	0.001
			38/3/1	0.004
			38/4	0.007
			37/2	0.006
				0.002
			43	0.012
			37/1	0.009
			54/2	0.011
			54/1	0.010
			53/2	0.004
			53/1/2	0.010
			6/1/1	0.018
			6/2	0.003
			6/9	0.004
			6/3	0.005
			6/4	0.009
			6/5	0.006
			6/8	0.007
			8/2	0.013
			8/1	0.012
			14/3	0.003
			14/2	0.011
			14/1	0.012
			16	0.001
			180/7	0.007
180/8	0.006			
180/6	0.002			
कुल योग			32	0.249

प.क्र.-637-रीडर-भू-अर्जन-2025

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

क्रमांक- 0165 /ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20/79, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20/79,	95/4/2	0.003
			95/4/3	0.001
			95/5/2	0.004
			95/3/4	0.001
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20/79,	95/3/1	0.001
			95/3/3	0.001
			95/2/2	0.003
			96/1/1	0.003
			95/3/2	0.001
			95/2/1	0.003
			93/2	0.001
			93/5	0.002
			93/4	0.002
			117	0.004
			116/3/2	0.016
			116/3/1	0.001
			125/1/1/2/5	0.009
			125/2/1/2/1/2	0.001
			125/2/1/2/1/5	0.003
125/1/2/1/1/2	0.002			
125/4	0.003			
125/2/4	0.002			
कुल योग			22	0.067

प.क्र.-642-रीडर-भू-अर्जन-2025

प्ररूप- "ख"

{ नियम-5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 0164 /ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिटनेरा, प.ह.नं.- 02/68, रा. नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बिटनेरा, प.ह.नं.- 02/68,	312/4	0.008
			313	0.007
			314/2	0.007
			315/2/2	0.012
			315/5	0.003
			315/6	0.008
			309/1	0.007
			309/4	0.002
			329/3	0.004
			329/2	0.004
			329/1	0.001
			430	0.002
			436/7/1/2	0.002
			436/7/1/1	0.001
			436/7/2	0.001
			437/6	0.001
			428	0.003
438/4	0.002			
439/5	0.005			
418/1	0.004			
कुल योग			20	0.084

प.क्र.-647-रीडर-भू-अर्जन-2025

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

क्रमांक- 0163 /ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 03 एवं 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामन्या, प.ह.नं.- 21/80, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- जामन्या, प.ह.नं.- 21/80,	13/1	0.010
			14/4	0.006
			14/3	0.006
			44/1	0.010
			15/4	0.012

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- जामन्या, प.ह.नं.- 21/80,	15/5	0.010
			44/5	0.026
			44/4	0.002
			44/2	0.020
			44/6	0.011
			44/3	0.012
			43/4/1	0.002
			42/1/1	0.016
			42/2	0.009
			39/5	0.013
			39/7	0.007
			36/1	0.021
			36/2/2	0.008
			35/1	0.007
			36/2/1	0.006
			35/2	0.006
			35/4	0.011
			35/6	0.010
			35/5	0.004
			33/1	0.037
			138	0.002
			137/12	0.004
			137/16	0.004
			137/15	0.023
			137/18/1	0.006
			137/18/2	0.003
			137/20	0.002
			137/13	0.008
			142/12	0.020
			142/1	0.006
			142/2/3	0.004
			142/2/1	0.002
			142/2/2	0.005
			142/2/4	0.006
142/3	0.009			
144/6	0.007			
142/8	0.001			
144/5	0.004			
144/3	0.005			
144/4	0.011			
12/1/2/3	0.006			
12/1/2/2	0.006			
12/2	0.006			
12/1/2/5	0.006			
12/1/2/4	0.008			
कुल योग			50	0.446

प.क्र.-652-रीडर-भू-अर्जन-2025

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

क्रमांक- 0167 /ब-121/2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-04 एवं 05 व जी.एम.-5/एल.एम.-3 में जल परिवहन हेतु ग्राम-सहेजला, प.ह.नं.- 22/81, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सहेजला, प.ह.नं.- 22/81	239/4	0.014
			239/3	0.007
			239/1	0.006
			237/2	0.021
			236/2	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सहेजला, प.ह.नं.- 22/81	236/1	0.018
			235/2	0.002
			231/2	0.004
			231/1	0.007
			192/320/2/2	0.011
			192/320/2/4	0.012
			192/320/2/3	0.009
			192/320/3	0.005
			192/320/2/1	0.006
			190/2	0.011
			185/2	0.001
			189	0.012
			186/2	0.007
			186/1	0.006
			187/1	0.002
			13/4	0.011
			12/2	0.008
			12/1/1	0.008
			11	0.009
			10/1	0.008
				0.004
			9/1	0.008
				0.008
			8/1	0.009
			7/1	0.006
			6/1	0.005
			5/1	0.010
			6/3	0.008
			211/5/3	0.013
			209/1/2	0.004
			209/1/1	0.020
			209/2	0.005
			8/5	0.009
7/3	0.003			
7/4	0.004			
3/4/2	0.003			
24/1	0.008			
24/2	0.001			
25/2	0.006			
26/1/1	0.001			
26/1/2	0.005			
26/1/3	0.001			
2/12	0.006			
27/2	0.004			
कुल योग			47	0.373

आकांक्षा (करोठिया) अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, कसरावद,
जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

प.क्र.-381-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

कसरावद, दिनांक 11 फरवरी 2025

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02/एल.एम.-11/एल.एस.एम.-15 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- गोलपुरा, प.ह.नं.- 71, रा.नि.मं.-02, मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- गोलपुरा, प.ह.नं.- 71,	76/3	0.008
कुल योग			01	0.008

प.क्र.-386-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-मुहाली, प.ह.नं.-68, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-मुहाली, प.ह.नं.-68,	191	0.026
			163	0.026
			160/1	0.004
			156	0.011
			155	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-मुहाली, प.ह.नं.-68,	154/2/2	0.001
			154/2/1	0.003
			153/2	0.002
			153/1	0.003
			152	0.005
			150/2	0.011
			110/4	0.005
			110/3	0.003
			109	0.005
			108/1	0.004
			107	0.004
			105	0.015
			124/2	0.002
			73/1	0.003
			61/1/1	0.009
			61/2	0.006
			61/1/2	0.006
			72/2	0.003
			72/3	0.003
			62	0.004
63	0.005			
69	0.002			
65	0.002			
64	0.002			
54	0.003			
कुल योग			30	0.184

प.क्र.-391-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02/एल.एम.-11 व जी.एम.-02/एल.एम.-11/एल.एस.एम.-15 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-डाभा, प.ह.नं.-71, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-डाभा, प.ह.नं.-71,	214/5	0.004
			214/3	0.011
			212/1	0.008
			203/3	0.008
			203/2	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम—डाभा, प.ह.नं.—71,	203/1	0.007
			188/6	0.013
			188/5	0.003
			188/4	0.004
			188/2	0.006
			188/1	0.005
			188/3	0.004
			189/1	0.002
			150/1	0.010
			151/2/1	0.012
			151/3	0.007
			153/1	0.006
				0.003
			153/2	0.004
				0.001
			154/1	0.004
				0.005
			155/1	0.004
				0.005
			155/2	0.003
			155/3	0.001
			158/1/2	0.006
			159/1/1	0.006
			137	0.004
			134	0.001
			132/1/4	0.004
			132/1/3	0.010
			18	0.006
			19/5	0.001
			41/1/1	0.019
			41/1/2	0.010
			32	0.001
			25/1	0.001
			25/2	0.017
			21	0.006
			20/1	0.004
			19/4	0.003
			19/3	0.005
			19/2	0.001
			19/1	0.001
			17	0.007
			10	0.007
6/225	0.015			
6/1	0.008			
6/2	0.001			
179	0.007			
158/2	0.005			
159/1/2	0.007			
162	0.007			
163/1	0.001			
169/1	0.008			
कुल योग			52	0.326

प.क्र.-396-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोडिया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- खेड़ी बुजुर्ग, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- खेड़ी बुजुर्ग, प.ह.नं.-84,	179/3	0.002
			177/3	0.007
			177/4	0.007
			177/5	0.005
			189/7	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
खरगोन	कसरावद	ग्राम— खेड़ी बुजुर्ग, प.ह.नं. —84,	189/6	0.010			
			189/5/2	0.004			
			189/5/1	0.004			
			189/4	0.002			
			189/3	0.005			
			188/2	0.009			
			187/1	0.013			
			187/2/2	0.005			
			187/2/1	0.005			
			196	0.006			
			199/1	0.024			
			200/2	0.005			
			201/3	0.010			
			201/2	0.017			
			201/1	0.010			
			205/8	0.008			
			206/4/4	0.005			
			206/4/3	0.006			
			206/4/2	0.006			
			206/4/1	0.004			
			206/7	0.008			
			206/5	0.002			
			209/6	0.006			
			209/5	0.012			
			209/4	0.004			
			210/1	0.004			
			212/2	0.009			
			230/1	0.007			
			231/1	0.011			
			232/1	0.005			
			233/1	0.001			
			233/2/2	0.003			
			233/2/1/1	0.002			
			226/2	0.002			
			235/2/2	0.002			
			235/2/1	0.012			
			235/1/2	0.004			
			236/1	0.005			
			236/4	0.001			
			236/3	0.004			
			कुल योग			45	0.285

प.क्र.-401-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

कसरावद, दिनांक 11 फरवरी 2025

प्ररूप- "ख"

{ नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-मोराला, प.ह.नं.-80, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-मोराला, प.ह.नं.-80,	8/2/2	0.009
			45/2	0.009
			18/1	0.004
			17	0.004
			10/3	0.014
			10/2	0.022
			4/2	0.005
कुल योग			07	0.067

प.क्र.-406-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-02 एवं जी.एम.-04 व जी.एम.-05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-खराड़ी खुर्द, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-खराड़ी खुर्द, प.ह.नं. -84,	84/11	0.049
				0.005
			89	0.005
			171	0.004
		203	0.021	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-खराड़ी खुर्द, प.ह.नं. -84,	214	0.007
				0.011
			217/5/1	0.005
				0.009
			283/3	0.011
			283/10	0.034
				0.015
			283/4	0.014
				0.033
			283/5	0.014
				0.040
			283/11	0.007
				0.013
			283/9	0.035
				0.005
			283/26	0.016
				0.007
			67/4	0.005
			67/5	0.011
			67/10	0.001
			67/9/3	0.015
			67/9/1	0.003
			7	0.001
			8	0.008
			9	0.003
			15/4	0.010
			14/10	0.003
84/10	0.008			
202	0.006			
217/4	0.002			
283/27	0.001			
कुल योग			27	0.437

प.क्र.-411-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोडिया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक- जी.एम.-02 एवं जी.एम.-02/एल.एम.-11 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-भट्यान खुर्द, प.ह.नं.-77, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील-कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-भट्यान खुर्द, प.ह.नं.-77,	378/2/2	0.004
				0.012
			378/2/1	0.017
				0.005
		378/1	0.016	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम—भट्यान खुर्द, प.ह.नं.—77,	383	0.031
			391	0.008
			392	0.015
			368/1/2	0.010
			365/6	0.022
			59/2	0.003
			362/3	0.013
			362/2	0.008
			362/1	0.011
			361/2/2	0.011
			356/2	0.017
			351	0.013
			350/3/2	0.006
			350/1	0.006
			347/1	0.007
			346/2	0.015
			293/3	0.021
			293/4	0.016
			385/2	0.003
			386/2	0.003
			295	0.015
			298/2	0.025
			299	0.020
			301/3/1	0.010
			301/3/2	0.010
			303/2/1	0.015
			306/9	0.006
			306/8	0.008
			306/1	0.004
			266/2	0.003
			266/1	0.006
			265/2/2	0.011
265/2/1	0.011			
265/1	0.002			
262	0.012			
247/1	0.015			
253/2	0.009			
	0.001			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
खरगोन	कसरावद	ग्राम-भट्यान खुर्द, प.ह.नं.-77,	252	0.003			
			251	0.014			
			250/1/5	0.014			
			250/2	0.004			
			250/1/4	0.005			
			378/4/2/2	0.003			
			378/4/2/1	0.009			
			378/4/3	0.003			
			378/4/1	0.008			
			374/2	0.004			
			370/4/1	0.001			
			370/3/2	0.004			
			370/3/1	0.004			
			374/1	0.004			
			372	0.003			
			370/4/2	0.005			
			73	0.008			
			71	0.017			
			74/2	0.004			
			74/3	0.014			
			74/6	0.004			
			74/5	0.014			
			75	0.001			
			76/1	0.001			
			68	0.004			
			77	0.003			
			66	0.006			
			79/6	0.009			
			58/2	0.007			
			58/1/1	0.010			
			47/2	0.007			
			21/4	0.010			
			21/1	0.002			
			21/2	0.013			
			21/3/1	0.005			
			21/3/2	0.006			
			16/2/2	0.004			
			16/2/1	0.004			
			16/1	0.005			
						15/2	0.003
						15/1	0.001
						14/2	0.003
			4/3	0.009			
			4/4	0.012			
			4/5	0.018			
			4/1/1	0.008			
			4/8	0.006			
			4/1/3	0.006			
			4/2	0.004			
			4/6	0.002			
			4/1/5	0.004			
			4/1/2	0.008			
			4/1/4	0.007			
			3	0.021			
			1	0.001			
कुल योग			95	0.835			

प.क्र.-416-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-सहेजला, प.ह.नं.-80, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-सहेजला, प.ह.नं.-80,	51/1	0.019
			51/2	0.030
			50	0.016
			51/4/3	0.001
			51/4/1	0.017
			48	0.026
			45/2	0.027
			35/3	0.011
			35/1	0.007
			26/3/1/1/2	0.026
			26/14	0.022
			26/13	0.011
			26/12	0.003
			26/5	0.003
			26/11	0.023
			25	0.007
कुल योग			16	0.249

प.क्र.-421-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-02 व जी.एम.-05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- जामन्या, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- जामन्या, प.ह.नं.-84,	53	0.003
			52	0.002
			54/2/1	0.011
			54/2/2	0.021
			54/3	0.008
खरगोन	कसरावद	ग्राम- जामन्या, प.ह.नं.-84,	55	0.014
			77	0.044
			84	0.012
			71/1	0.012
			69/2	0.021
			81/8	0.003
			81/9	0.006
			81/10	0.008
			86/1/1	0.012
			86/1/2	0.012
			86/2	0.024
			87/1	0.011
			87/2	0.010
			87/3	0.011
			87/4	0.013
49/3/4	0.005			
49/3/2	0.008			
कुल योग			22	0.271

प.क्र.-427-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम :- डेहरिया, प.ह.नं. 79, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम :- डेहरिया, प.ह.नं. 79,	20	0.003
			19	0.005
			14/6/2	0.003
			5/4/3	0.009
			5/4/1	0.005
			5/4/2	0.013
			14/7/3	0.002
			14/7/1	0.001
			14/7/2	0.002
			14/13	0.002
			14/6/1	0.002
			14/2	0.007
			14/1	0.005
			13	0.001
			12	0.003
			9	0.002
			10/1	0.002
10/2	0.016			
कुल योग			18	0.083

प.क्र.-432-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

कसरावद, दिनांक 11 फरवरी 2025

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-01, व 02 एवं जी.एम.-01/एल.एम.-04 व जी.एम.-02/एल.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-भनगांव, प.ह.नं.-80, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-भनगांव, प.ह.नं.-80,	58/1/1	0.025
			56/7	0.004
			56/6	0.025
			56/9	0.006
			56/5	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
खरगोन	कसरावद	ग्राम-भनगांव, प.ह.नं.-80,	56/11	0.009			
			56/4	0.010			
			56/3	0.010			
			56/2/1/1	0.006			
			56/1/2	0.009			
			56/1/3	0.009			
			10/3	0.005			
				0.005			
			10/2	0.022			
			10/1	0.005			
			10/4	0.006			
			10/5	0.002			
			150/2/2	0.003			
			150/2/1	0.003			
			150/1	0.003			
			142/3	0.006			
			142/1	0.003			
			152/1/2	0.002			
			156/3	0.012			
			152/3	0.012			
			155/1	0.005			
			155/2	0.004			
			161	0.001			
			168/3	0.012			
			168/1/1	0.003			
			168/5	0.003			
			167/1/3	0.002			
			167/2	0.004			
			165	0.001			
			171/2	0.003			
			171/3	0.001			
			172/1	0.001			
			10/7	0.005			
			9/2	0.005			
			8	0.006			
			7	0.006			
			6	0.003			
			13/1	0.004			
				13/3	0.003		
				13/2/1	0.002		
				13/2/2	0.002		
				14/1	0.004		
				14/2	0.002		
			कुल योग			47	0.292

प.क्र.-437-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02 एवं जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-भोपाड़ा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-भोपाड़ा, प.ह.नं.-79,	76/10	0.001
			76/9/3	0.009
			76/9/2	0.009
			76/9/1	0.009
			72/3	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम-भोपाड़ा, प.ह.नं.-79,	72/2	0.020
			72/1	0.029
			70/1	0.002
			26/4	0.012
			26/5	0.016
			26/3	0.008
			26/1/2	0.012
			24	0.010
			22	0.022
			20/2	0.015
			18/2	0.036
			19	0.002
			12/4	0.018
			12/3	0.013
			76/11	0.014
			77/2	0.014
			60	0.017
			77/1	0.022
			78/2	0.011
			65/1	0.003
			49	0.001
			42	0.002
			80/2	0.005
			80/6	0.006
			80/5	0.006
			80/4	0.003
			82/7	0.001
			44/2	0.001
			43	0.005
			36/3	0.002
36/2	0.001			
32/6	0.007			
32/7	0.004			
कुल योग			38	0.390

प.क्र.-442-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

कसरावद, दिनांक 11 फरवरी 2025

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं.- 81, रा.नि.मं.-02, मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं.- 81,	216/1	0.008
			216/3/1	0.005
			216/7	0.011
			218	0.017
			219	0.003
			226/1	0.004
			227	0.002
			178	0.008
			177	0.002
			180/4/2	0.003
			180/4/1	0.003
			180/3	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं.- 81,	180/1	0.016
			183/2	0.012
			183/5	0.006
			184/6	0.010
			184/5/1	0.002
			184/9	0.010
			184/7	0.002
			162/4	0.008
			141/2	0.008
			141/1	0.006
			138/2	0.004
			137/2	0.004
			137/1	0.004
			143/1	0.003
			135/4	0.007
			135/3/1	0.004
			135/3/2	0.004
			135/2/1	0.010
			135/2/2	0.006
			133/2	0.006
			134	0.008
			132	0.009
			131/1/2	0.007
			57/7	0.002
			57/5	0.001
			57/6	0.004
			60/4	0.005
			60/1	0.001
			58/1	0.007
			45/3/2	0.005
45/2	0.006			
44/2	0.005			
44/1	0.002			
कुल योग			45	0.266

प.क्र.-447-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2)}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- डोमवाड़ा बुजुर्ग, प.ह.नं.- 82, रा.नि.मं.-02, मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश** को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- डोमवाड़ा बुजुर्ग, प.ह.नं.- 82	245/1	0.006
			245/2	0.008
			156	0.001
			236	0.010
			158/3/3	0.001
			220	0.002
			221	0.008
			222	0.004
			169/1/2	0.007

चिह्नक ०

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	ग्राम- डोमवाड़ा बुजुर्ग, प.ह.नं.- 82	169/1/1	0.010
			188	0.004
			190	0.006
			193	0.007
			194/1	0.006
			197/2	0.006
			197/1	0.002
			196/1	0.004
			195/3	0.006
			68/2	0.004
			66/1	0.007
			65/2	0.016
			65/1/2	0.015
			65/3	0.006
			73	0.001
			83	0.004
			84	0.004
			30/1	0.004
			29/4	0.013
			28/2	0.005
28/1	0.005			
26/2/1	0.005			
26/2/2	0.014			
26/1	0.012			
कुल योग			33	0.213

सत्येन्द्र बैरवा, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पांडुर्णा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 1832-भू-अर्जन-2025

पांडुर्णा, दिनांक 10 फरवरी 2025

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन :-

क.	जिला	पांडुर्णा
ख.	तहसील	पांडुर्णा
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम- धावडीखापा प.ह.नं. 52 ब.नं. 203 रा.नि.मं. पांडुर्णा
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा - 182.602 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों
क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	13	0.995
2	12/7	0.020
3	17	1.044
4	19	2.927
5	200	0.332
6	18/1	0.849
7	18/2	0.304
8	21	0.049
9	294/5	0.324
10	22	1.011
11	23	1.023
12	198	1.488
13	24	0.283
14	194/1	0.291
15	26/1	0.580

16	26/2	0.367
17	194/2	0.097
18	27	0.894
19	28/1	0.150
20	28/2	0.570
21	190/1	0.326
22	28/3	0.570
23	190/2	0.326
24	103/1	0.100
25	241/3	0.611
26	267	0.788
27	283/1	0.647
28	145/1	0.243
29	241/1	0.306
30	266/1	0.295
31	279	0.628
32	145/2	0.243
33	201/1	0.888
34	241/2	0.305
35	266/2	0.405
36	284	0.700
37	147/1	0.066
38	147/2	0.100
39	149	0.186
40	147/3	0.170
41	196	0.304
42	147/4	0.222
43	147/5	0.226
44	147/6	0.175
45	147/7	0.024
46	270	0.158
47	274	0.174
48	275	0.170
49	150/1	0.445
50	152/4	0.226
51	291/3	0.316

52	292/3	0.399
53	150/2	0.445
54	150/3	0.445
55	152/1	0.225
56	152/2	0.283
57	152/3	0.225
58	291/2	0.316
59	292/2	0.399
60	154	0.534
61	155/1	0.269
62	156/1	0.354
63	155/2	0.270
64	156/2	0.355
65	158/2	0.324
66	157	0.753
67	158/1	0.323
68	158/3	0.405
69	159	0.789
70	160/2	0.040
71	191	2.934
72	192	0.251
73	197/1	0.298
74	276	0.158
75	295/1	0.202
76	295/2	0.040
77	197/2	0.297
78	271	0.154
79	295/3	0.122
80	295/4	0.259
81	195/1	0.323
82	269	0.162
83	294/4	0.691
84	195/2	0.258
85	201/2	0.512
86	201/3	1.022
87	202	0.518

88	204	0.526
89	244	0.636
90	247	0.474
91	203	0.526
92	205	0.522
93	206	0.518
94	237	0.166
95	240	0.214
96	207	0.534
97	236	0.202
98	239	0.283
99	208	1.254
100	238	0.388
101	209/1	0.654
102	230/1	0.176
103	233/1	0.314
104	272/1	0.227
105	277/1	0.233
106	278/1	0.372
107	281/1	0.225
108	209/2	0.653
109	230/2	0.176
110	233/2	0.314
111	272/2	0.227
112	277/2	0.233
113	278/2	0.373
114	281/2	0.225
115	210/1	0.506
116	231/1	0.496
117	268/2	0.408
118	282/2	0.223
119	210/2	0.500
120	231/2	0.496
121	268/1	0.408
122	282/1	0.222
123	211	1.052

124	225	0.486
125	227	1.023
126	229	0.405
127	232	0.587
128	242	0.607
129	280	1.310
130	213/1	0.728
131	213/2	0.728
132	213/3	0.729
133	214	2.671
134	215	1.137
135	218/1	0.662
136	218/6	0.445
137	218/2/1	0.150
138	219/1	0.307
139	219/2	0.235
140	218/2/2	0.150
141	218/3	1.224
142	218/4	0.600
143	218/5	0.363
144	218/7	0.364
145	246	0.376
146	219/3	0.275
147	219/4/1	0.133
148	219/4/2	0.134
149	221/1	0.599
150	222/1	0.425
151	221/2	0.582
152	221/3	1.214
153	221/4	0.599
154	222/3	0.425
155	221/5	0.599
156	222/2	0.599
157	223/1	1.214
158	223/2/1	0.202
159	223/2/2	0.708

160	223/2/3	0.202
161	223/2/4	0.707
162	223/3	3.279
163	226/1	0.040
164	226/2	0.105
165	228	1.053
166	226/3	0.260
167	243	0.575
168	245/1	0.243
169	245/2	0.242
170	265/1	0.405
171	265/2	0.485
172	245/3	0.243
173	245/4	0.243
174	265/3	0.605
175	265/4	0.285
176	253	0.938
177	251	0.809
178	252/1	1.332
179	252/2	0.870
180	255	2.444
181	256/1	0.405
182	256/2	1.298
183	256/3	0.445
184	256/7	0.956
185	256/4	0.429
186	256/5	1.311
187	256/6	0.547
188	259	0.890
189	256/8	0.445
190	257/1	0.225
191	257/2	0.449
192	257/3	0.224
193	258	0.849
194	260/1	0.435
195	260/2	0.436

196	261/1	0.399
197	262/2	0.808
198	261/2	0.513
199	261/3	0.121
200	262/1	0.098
201	263	0.709
202	264	0.709
203	273/1	0.886
204	273/2	0.886
205	283/2	0.263
206	290/3	0.251
207	291/1/1	0.158
208	292/1/1	0.199
209	291/1/2	0.157
210	292/1/2	0.200
211	293/1	0.200
212	293/2	0.334
213	293/3	0.103
214	293/4	0.167
215	293/5	0.102
216	293/6	0.167
217	294/2	0.413
218	340	0.140
219	341	0.405
220	357/3	0.024
221	360/1	0.060
222	360/3	0.073
223	360/4	0.008
224	357/1	1.071
225	361	0.304
226	362	0.344
227	357/2	0.774
228	360/2	0.060
229	360/5	0.009
230	363/1	0.203
231	363/2	0.202

232	364/1	0.246
233	364/2	0.522
234	364/3	0.346
235	365/1	0.572
236	365/2	0.513
237	367	0.950
238	368/1	0.170
239	368/2	0.170
240	368/3	0.160
241	368/4	0.160
242	368/5	0.170
243	369/1	0.760
244	381/1	0.440
245	369/2	0.640
246	378	0.720
247	381/2	0.480
248	382/3	0.491
249	382/1	0.885
250	382/2	0.491
251	383	0.737
252	384	0.757
253	385/1	0.846
254	385/2	0.846
255	386/1	0.809
256	386/2	0.884
257	386/3	0.885
258	387	3.327
259	388/1	1.278
260	388/2	0.809
261	388/3	0.300
262	389/1	0.996
263	389/5	0.940
264	389/2	0.535
265	389/4	0.318
266	391/1	1.511
267	397/1	0.717

268	397/5	1.733
269	389/3	0.535
270	389/6	0.318
271	391/2	0.755
272	397/2	0.296
273	397/6	1.567
274	390/1	1.815
275	390/2	1.815
276	392	0.500
277	394	0.330
278	396/1	0.170
279	396/5	0.676
280	396/2/1	0.215
281	396/4/1	0.090
282	396/2/2	0.215
283	396/4/2	0.090
284	396/2/3	0.215
285	396/4/3	0.090
286	396/6	0.203
287	396/8	0.240
288	396/7	0.203
289	396/9	0.240
290	397/3	0.196
291	397/4	1.227
292	397/7	0.600
293	424/10	0.498
294	425/1	0.861
295	425/2	0.467
296	425/3/1	0.156
297	425/3/2	0.155
298	425/3/3	0.156
299	425/4	0.405
300	425/5	0.250
301	425/14	0.101
302	425/23	0.157
303	425/6	0.250

304	425/15	0.092
305	425/22	0.157
306	425/7	0.250
307	425/9	0.254
308	425/16	0.088
309	425/18	0.080
310	425/24	0.157
311	425/26	0.157
312	425/8	0.254
313	425/17	0.084
314	425/25	0.157
315	425/10	0.258
316	425/19	0.076
317	425/27	0.157
318	425/11	0.262
319	425/20	0.062
320	425/28	0.159
321	425/12/1	0.323
322	425/21/1	0.246
323	426/2/1	0.103
324	425/12/2	0.324
325	425/21/2	0.245
326	426/2/2	0.104
327	425/13	0.282
328	426/1	0.332
329	428/1/1	0.202
330	428/1/2	0.129
331	428/4/1	0.507
332	428/1/3	0.129
333	428/4/2	0.507
334	428/1/4	0.130
335	428/4/3	0.506
336	428/1/5	0.130
337	428/4/4	0.506
338	428/2	3.502
339	428/3/1	0.381

340	431/1	1.017
341	428/3/2	0.380
342	431/2	1.018
343	429	0.890
344	430	0.526
345	435/2	2.428
346	432/1	1.478
347	432/2	0.666
348	433/2	0.320
349	434/1	2.987
350	434/2/1	0.247
351	434/2/2	0.262
352	434/2/3	0.222
353	434/2/4	0.280
354	435/1	1.943
	योग :-	कुल रकबा - 182.602 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियों

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत बैलेसिंग रिजर्वायर (पांडुर्णा बांध) निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबध्द कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड एवं <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) व प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप-संभाग सौसर/पांडुर्णा जिला पांडुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय देव शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-232-भू-अर्जन-2025

सीधी, दिनांक 6 फरवरी 2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:- अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

जिला :- सीधी
तहसील :- बहरी
ग्राम :- सदला

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- 0.2030 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जित रकवा हे० मे	भूमिस्वामी का नाम	विवरण
1	2	3	4	5
1	98	0.0130	संतोष कुमार द्विवेदी पिता अवध प्रसाद द्विवेदी	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु।
2	145	0.1100	संतोष कुमार द्विवेदी पिता अवध प्रसाद द्विवेदी	
3	146	0.0500	संतोष कुमार द्विवेदी पिता अवध प्रसाद द्विवेदी	
4	147	0.0300	संतोष कुमार द्विवेदी पिता अवध प्रसाद द्विवेदी	
निजी भूमि का योग-		0.2030 हे.		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावलके कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं अपर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2025

क्रमांक/PCCF/7/0005/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - खण्डवा
वनमंडल - खण्डवा (सा.)

तहसील - खण्डवा
वन परिक्षेत्र - खण्डवा सामान्य

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमाएं
1.	डोंगरगांव	डोंगरगांव	चरनोई	345/1	2.7763	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से आरक्षित वनखण्ड किरगांव के मुनारा क्रमांक 135 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण - आरक्षित वनखण्ड किरगांव के मुनारा क्र. 135 से 132/1 तक की वन सीमा। पश्चिम - आरक्षित वनखण्ड किरगांव के मुनारा क्रमांक 132/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
योग					2.7763	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक FP/MP/ROAD/458125/2024 दिनांक 24.07.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ईकाई खण्डवा की स्वीकृत परियोजना रोशनी-आशापुर (बैतूल-खण्डवा पैकेज 3) फोरलेन मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 2.7763 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.7763 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.7763 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 109/अ-59/2023-24 खण्डवा, दिनांक 22.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2025

क्र. PCCF-7-0005-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0005-2025-FLR-PCCF, दिनांक 17 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 17th February 2025

No./PCCF/7/0005/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Khandwa
Forest Division :- Khandwa

Tahsil :- Khandwa
Forest Range :- Khandwa

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (H.)	
1	Dongargaon	Dongargaon	Charnol Land	345/1	2.7763	North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 5 of Proposed Protected Forest Block. East - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 of Proposed Protected Forest Block to Pillar No. 135 of Reserve Forest Block Kirgaon. South- Forest Boundary from Pillar No. 135 to 132/1 of Reserve Forest block Kirgaon. West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 132/1 of Reserve Forest Block Kirgaon to Pillar No. 1 of Proposed Protected Forest Block.
Total					2.7763	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. FP/MP/ROAD/458125/2024 dated 24.07.2024 and in lieu of 2.7763 hectare of affected forest land under the sanctioned project of 2-Lane with Paved Shoulder of Roshni to Ashapur (Betul – Khandwa Pkg-III) from Design Ch. km 89+900 to km 114+000 km. section of NH-347B, Khandwa of Project Director, PIU-Khandwa the above mentioned Non Forest Land of 2.7763 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No.109-A-59/2023-24 Khandwa Dated 22.03.2024 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Khandwa are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2025

क्रमांक/PCCF/7/0109/2024-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - डिण्डौरी

वनमण्डल - डिण्डौरी सा.

तहसील - डिण्डौरी

वन परिक्षेत्र - डिण्डौरी

क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	धमनगांव अ	धमनगांव माल	गैर वनभूमि (पहाड़ चट्टान)	590	22.850	उत्तर: प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 21 होते हुये आरक्षित वनखण्ड सुबखार के मुनारा क्रमांक 181/1 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व: आरक्षित वनखण्ड सुबखार की मुनारा क्रमांक 181/1 से 180 तक वन सीमा। दक्षिण: आरक्षित वनखण्ड सुबखार की मुनारा क्रमांक 180 से आरक्षित वनखण्ड जोगीटिकरिया के मुनारा क्रमांक 21 तक वन सीमा एवं आरक्षित वनखण्ड जोगीटिकरिया के मुनारा क्रमांक 21 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वनसीमा। पश्चिम: प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1 - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/FP/MP/HYD/IRRIG/427294/2023 दिनांक 11-06-2024 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र0- 02 मण्डला की स्वीकृत परियोजना राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजना में प्रभावित 12.039 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 22.850 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 22.850 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला डिण्डौरी के आदेश क्रमांक/002/(अ-19/3) 2023-24 दिनांक 11-07-2023 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2- अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रतिवेदन क्रमांक/प्रवा-1/अ.वि.अ./898 दिनांक 08-08-2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1- व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2 सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2025

क्र. PCCF-7-0109-2024-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0109-2024-FLR-PCCF, दिनांक 17 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 17th February 2025

No./PCCF/7/0109/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Dindori

Forest Division - Dindori (T)

Tehsil - Dindori

Forest Range - Dindori

S N	Name Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dhamangaon- A	Dhamangaon mal	Non Forest Land (Pahad Chattan)	590	22.850	North:- Artificial forest boundary from Pillar number 3 through 21 of the Proposed protected forest block to Pillar number 181/1 of the Reserved forest block Subkhar. East:- forest boundary from pillar No. 181/1 to 180 of Reserved forest block Subkhar. South:- forest boundary

					<p>from Pillar No 180 of the Reserved Forest block Subkhar to pillar no. 21 of Reserved forest block Jogitikariya and artificial forest boundary from pillar no. 21 of Reserved forest block Jogitikariya to pillar no. 1 of the proposed protected forest block.</p> <p>West:- Artificial forest boundary from pillar No 1 to Pillar No 3 of the proposed protected forest block.</p>
--	--	--	--	--	---

(A) Reason for publication of Notification:-

I. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No **FP/MP/HYD/IRRIG/427294/2023** dated 11.06.2024 and in lieu of **12.039** hectare of affected forest land under the sanctioned project of Raghavpur Multipurpose Project of Executive Engineer Narmda Development Division No-02 Mandla MP the above mentioned Non Forest Land of 22.850 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No **002-/(अ-19/3) 2023-24** date 11.07.2023 of Collector Dindori for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. /प्रवा-1/अ.वि.अ./898 date of 08.08.2024 Sub Divisional Magistrate Dindori (Revenue) are as under.

1. Individual Rights :- **Nil**

2. Community Rights :- **Nil**

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2025

क्रमांक/PCCF/7/0096/2024-FLR-PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

//अनुसूची//

जिला - शिवपुरी
वनमण्डल - शिवपुरीतहसील - शिवपुरी
वन परिक्षेत्र का नाम - शिवपुरी

अ.क्र.	भूमि का विवरण				क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	वनखण्ड की सीमाएँ
	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक		
1	खैरोना	खैरोना	राजस्व भूमि	64	3.00	उत्तर : आरक्षित वनखण्ड चिरोजी के मुनारा क्र. 92 व 93 के बीच स्थित प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व : प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण: प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम: प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से आरक्षित वनखण्ड चिरोजी के मुनारा क्रमांक 94 तक कृत्रिम वन सीमा एवं आरक्षित वनखण्ड चिरोजी के मुनारा क्रमांक 94 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 तक की वन सीमा।
				योग	3.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक फाइल नम्बर 8 बी/078/2000/एफसीडब्लू/1757 दिनांक 21.08.2000 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना 33 के व्ही.(एच.टी.) विद्युत लाईन में प्रभावित 3.000 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 3.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश क्रमांक/4/97-98/ नजूल आदेश दिनांक 11.10.2000 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक
2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2025

क्र. PCCF-7-0096-2025-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0096-2025-FLR-PCCF, दिनांक 19 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th February 2025

No./PCCF/7/0096/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District :- Shivpuri
Forest Division: - Shivpuri

Tahsil :- Shivpuri
Forest Range :- Shivpuri

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Khairona	Khairona	Revenue Land	64	3.00	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 of proposed protected forest block located between pillar no. 92 and 93 of Reserve Forest Block Chironji to Pillar No. 2 of Proposed Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 5 of Proposed Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 to 6 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 6 of
				Total	3.00 hectare	

					Proposed Protected Forest Block to Pillar No. 94 of Reserve Forest Block Chironji and Forest Boundary from Pillar No 94 of Reserve Forest Block Chironji to Pillar No. 7 of Proposed Protected Forest Block.
--	--	--	--	--	--

(A) Reason for publication of Notification:- (A) In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change New Delhi of order No 8B/078/2000FCW/1757 dated 21-08-2000 and in lieu of 3.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of 33 KV (HT.) Electric Line Project of Executive Engineer W.R. Division Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 3.00 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by The Collector Shivpuri order No 4/97-98/NAZUL Order dated 11-10-2000 of 3.00 hectare transferred or muted for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Shivpuri are as under.

1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil.

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2025

क्रमांक/PCCF/7/0099/2024-FLR-PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला - टीकमगढ़

बनमंडल - टीकमगढ़

तहसील-बल्देवगढ़

वन परिसर - बल्देवगढ़

1	बड़ाघाट (कैलपुरा)	कैलपुरा	शासकीय चारागाह	1706 भाग	2.710	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 103 सी से संरक्षित वनखण्ड बड़ाघाट के मुनारा क्रमांक 101 ए तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- संरक्षित वनखण्ड बड़ाघाट के मुनारा क्रमांक 101 ए से 103 तक की वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड बड़ाघाट के मुनारा क्रमांक 103 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 103 ए तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 103 ए से 103 सी तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	2.710	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, के आदेश क्रमांक/6-MPB-038/2021-BHO दिनांक 26.07.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्रो, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ की स्वीकृत परियोजना नया बस स्टेण्ड से टीकमगढ सागर (एस.एच.-37) तक बायपास रोड के निर्माण में प्रभावित 2.710 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में खसरा नंबर 1706 के कुल रकबा 12.533 हे० गैर वनभूमि में से उपरोक्त प्राप्त वर्णित अंश रकबा 2.710 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ के आदेश क्रमांक वी-121/2020-21/1825 दिनांक 21.09.2020 से हस्तांतरित की गयी अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कार्यों का विवरण :- निरंक

उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी – तहसीलदार बड़ौदा के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू 1 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विसृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अंतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2025

क्र. PCCF-7-0099-2024-FLR-PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0099-2024-FLR-PCCF, दिनांक 19 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th February 2025

No./PCCF/7/0099/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE**District : Tikamgarh****Tahsil : Baldeogarh****Forest Division : Tikamgarh****Forest Range : Baldeogarh**

Sn.	Name of proposed forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Badaghat (Kailpura)	Kailpura	Government Pasture	1706 part	2.710	North - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 103C of Proposed Protected Forest Block to Pillar No. 101A of Protected Forest Block Badaghat. East - Forest Boundary from Pillar No. 101A to 103 of Protected Forest Block Badaghat. South - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 103 of Protected Forest Block Badaghat to pillar No. 103A of Proposed Protected Forest Block. West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 103A to 103C of Proposed Protected Forest Block.
				Total	2.710	

(A) Reason for Publication of Notification:-

1. In accordance with the condition laid down in the Government of India Ministry of Environment Forest and Climate Change ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No. 6-MPB-038/2021-BHO/dated 26.07.2021 and in lieu of 2.710 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Construction of Bypass Road from New Bus Stand to Tikamgarh Sagar (SH-37) (Name of Project) of Executive Engineer Public works Department Division Tikamgarh (M.P.) the above mentioned Non Forest Land of 2.710 Hectare transferred/muted In favor of M.P. Govt. Forest Department by order No. B-121/2020-21/1825 Date 21.09.2020 Of Collector Diss. Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons:- No

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Report No. 234 Date 18-01-2024 Tehsildar Baldeogarh District Tikamgarh are as under.

1. - Individual Rights :- Nil
2. - Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty, Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

(मानव संसाधन विकास) ए ब्लॉक/तृतीय तल, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-10-1/2015/1/9 दिनांक 27.03.2015 के परिपेक्ष्य में भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन, सहायक वन संरक्षक के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 22-25 जुलाई 2024 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 22.07.2024 को प्रथम-वन विधि, दिनांक 23.07.2024 को द्वितीय-सामान्य विधि दिनांक 24.07.2024 को तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा एवं दिनांक 25.07.2024 को हिन्दी विषयों पर सम्पन्न हुई थी, जिसमें सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उनके समक्ष उल्लेखित विषय में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

// भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन), सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम //

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुये हैं			
बालाघाट						
1	श्री हितेश खण्डेलवाल	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
2	श्री शैलेश माचरा	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
3	श्री शिव प्रसाद मैठानी	प्रभारी स.व.सं.	-	-	द्वितीय सामान्य विधि	-
4	श्री भोलराम पदाम	प्र.उप व.मं.अ.	-	-	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
5	श्री सौरभ सिंह शरणागत	वन क्षेत्रपाल	-	-	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
6	श्रीमती बती मराबी	सहा.परि.क्षेत्र.	-	-	-	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
बैतूल						
7	श्री अक्षत जैन	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
8	श्री विनोद जाखड	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
9	श्री नीरज निश्चल	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
10	श्री नितिन पवार		-	-	द्वितीय सामान्य विधि	-
भोपाल						
11	श्री रोहित पटेल	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	-	-
12	श्री महेन्द्र कुमार पालेचा	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	-	-
13	श्री आदर्श मिश्रा	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	-
14	श्रीमती संगीता अमलतास	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	-	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
15	श्री धीरेन्द्र पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल	-	-	द्वितीय सामान्य विधि	-
छतरपुर						
16	श्री नीतेश सांनी	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	-	-
17	श्री राजेन्द्र प्रसाद	वन क्षेत्रपाल	-	-	-	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुये हैं			
छिंदवाड़ा						
18	श्री सुरेश कुमार कुशरे	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	-	-
19	अरुण सिंह	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	-
20	श्री हेमन्त भार्गव	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	-	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
21	सुश्री गुरलीन कौर	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
22	श्री विकास शर्मा	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
23	सुश्री मेनगा वि	भा.व.से.	हिन्दी	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
24	श्री रोहित चतुर्वेदी	वन क्षेत्रपाल	-	-	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
25	श्री रमेश मरकाम	वन क्षेत्रपाल	-	-	-	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
26	श्री धमेन्द्र शर्मा	वन क्षेत्रपाल	-	-	-	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
ग्वालियर						
27	श्री अजय कुमार वाजपेयी	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	-	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
इन्दौर						
28	श्री कुलदीप सिंह ठाकुर	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
29	श्री भूपेन्द्र सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
जबलपुर						
30	श्री प्रीतेश मनोहरराव परखाले	भा.व.से.	हिन्दी	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
31	श्री अभिषेक कटारे	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
32	श्री वन्दना ठाकुर	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	-	-
33	श्री विवेक कुमार कोल	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	-
34	श्री बालसुब्रमनी एन	भा.व.से.	हिन्दी	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
35	श्री सुन्दर निवेदन एम	भा.व.से.	हिन्दी	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
36	श्री ध्रुव श्रीवास्तव	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
37	श्री महेश चन्द्र कुशवाह	वन क्षेत्रपाल	-	-	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
खण्डवा						
38	श्री रवि सेठ	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
39	श्री राजेश रन्धावे	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	-	-
40	श्री समीर रजन मिश्रा	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
41	श्री अमिचन्द आरके	परि.परि.अधि.	-	-	-	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
नर्मदापुरम						
रीवा						
42	श्री अंशिका प्रसाद मराठी	वन क्षेत्रपाल	-	-	-	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
सागर						
43	श्री राघवेन्द्र गौतम	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	-	-
44	श्री संतोष चौहान	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
45	श्री ए. प्रगजन रेड्डी	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
सिवनी						
46	सुश्री कीर्ति मरकाम		-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
47	श्री हिमांशु त्यागी		-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
शहडोल						
48	श्री नरेन्द्र सिंह परिहार	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
49	श्री अशुल तिवारी	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
50	श्री गौरव जैन	भा.व.से.	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
शिवपुरी						
51	श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा
उज्जैन						
52	श्री गजानंद बिरला	वन क्षेत्रपाल	-	प्रथम वन विधि	द्वितीय सामान्य विधि	-

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-10-1/2015/1/9 दिनांक 27.03.2015 के परिपेक्ष्य में परिपेक्ष्य में वन क्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 22-25 जुलाई 2024 की अवधि में आयोजित की गई वन क्षेत्रपाल/उप वन क्षेत्रपालों के लिये दिनांक 22.07.2024 को प्रथम प्रक्रिया, दिनांक 23.07.2024 को द्वितीय लेखा, दिनांक 24.07.2024 को तृतीय सामान्य विधि तथा दिनांक 25.07.2024 को हिन्दी विषयों पर सम्पन्न हुई थी, जिसमें सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

// वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम //

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुये है		
बालाघाट					
1	श्री रोशन लाल पड़वार	उप वन क्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	-	-
2	श्री अजय कुमार चौरे	का.वा.उप व.क्षे.	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
3	श्री मनीष कुमार सिन्हा	उप वन क्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
4	श्री दिलीप कुमार उके	उप वन क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
5	श्री विजय कुमरे	उप वन क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	-
6	श्री तेजलाल मेश्राम	प्रभारी वनक्षेत्रपाल	-	-	तृतीय सामान्य विधि
7	श्री सुरेन्द्र कुमार शेन्डे	उप वन क्षेत्रपाल	-	-	तृतीय सामान्य विधि
8	श्री युगल किशोर गेडाम	उप वन क्षेत्रपाल	-	-	तृतीय सामान्य विधि
9	श्री सुधीर कुमार घोडेश्वर	का.वा.उप व.क्षे.	-	-	तृतीय सामान्य विधि
10	श्री भास्कर उके	उप वन क्षेत्रपाल	-	-	तृतीय सामान्य विधि
बैतूल					
11	श्री फिरोज अहमद	का.वा.उप व.क्षे.	प्रथम प्रक्रिया	-	तृतीय सामान्य विधि
12	श्री संतोष कुमार देशमुख	का.वा.उप व.क्षे.	-	द्वितीय लेखा	-
13	श्री मूलशंकर परते	का.वा.उप व.क्षे.	-	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
भोपाल					
14	श्रीमती जया यादव	प्र.स.परि.परि.अधि.	प्रथम प्रक्रिया	-	-
15	श्री अशोक कुमार पोर्ते	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	-	-
16	श्री राजेन्द्र कुमार सहारिया	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	-	-
17	श्री कोमल नामदेव	स.परि.क्षे.	-	-	तृतीय सामान्य विधि
18	सुश्री मायाश्री शुक्ला	स.प.प.अ.	-	-	तृतीय सामान्य विधि
19	श्री देवीलाल भील	उप वनक्षेत्रपाल	-	-	तृतीय सामान्य विधि

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुये हैं		
छतरपुर					
20	श्री बुद्धसेन कोल	का.वा.उपवनक्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	-
छिंदवाड़ा					
21	श्री ओमकार प्रसाद मर्सकोले	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	-
22	श्री अजय कुमार मिश्रा	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	-	-
ग्वालियर					
-					
इन्दौर					
23	श्री अमितेष् पवार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
24	श्री तोलाराम हटिला	उप वनक्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
जबलपुर					
25	श्री विजेन्द्र कुमार झारिया	वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
26	श्री अभिषेक कुमार गुप्ता	वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
27	श्री गोविन्द नारयण शुक्ला	का.वा.वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	-	-
खण्डवा					
28	श्री हरेसिंह सिसोदिया	उप वन क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	-
29	श्री सैयद आसिफ अली	उप वन क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
नर्मदापुरम					
-					
रीवा					
30	श्री दिग्विजय सिंह	उप वन क्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
31	श्री राम सजीवन जायसवाल	का.वा.उपवनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
सागर					
32	श्री राम गोपाल खटीक	उप वन क्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	-	-
सिवनी					
33	श्री श्रीचंद वरकडे	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	-	तृतीय सामान्य विधि
34	श्री संजय कुमार जयसवाल	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	-	-
35	श्री अनन्त कुमार परतेती	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	-	-
36	श्री मख्खूलाल उइके	उप वन क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	-
37	श्री एस. के बनवाले	सहा.परि. क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	-
38	श्री महेश कुमार उइके	उप वन क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	-
39	श्री प्रदीप कुमार वाडिवा	उप वन क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	-
40	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	-
शहडोल					
41	श्री दशरथ प्रसाद प्रजापति	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	तृतीय सामान्य विधि
42	श्री अशोक कुमार निगम	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	-
43	श्री रमेश सिंह पाटले	का.व.क्षे.	प्रथम प्रक्रिया	द्वितीय लेखा	-
44	श्री कल्याण सिंह मार्को	उप वन क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	-
शिवपुरी					
45	श्री जितेन्द्र रघुवंशी	उप वन क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	-
उज्जैन					
46	श्री निर्मल कुमार तिवारी	उप वनक्षेत्रपाल	प्रथम प्रक्रिया	-	-
47	श्री वन्दना ठाकूर	वन क्षेत्रपाल	-	द्वितीय लेखा	-

समीता राजोरा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास).

विभाग प्रमुखों के आदेश मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग,

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2025

क्रमांक- 340/मप्रविनिआ/2025-विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 87 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 31/मप्रविनिआ/2022 दिनांक 5 जनवरी 2022 एवं अधिसूचना क्रमांक 542/ मप्रविनिआ/2022 दिनांक 15/03/2022 को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद् द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है।

2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 88 में परिभाषित विषयों पर सलाह देना होगा.
3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (राज्य परामर्श-दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली) विनियम, 2004" एवं समय-समय पर उसमें किये गये संशोधन द्वारा शासित होगी.
4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से तीन वर्ष का होगा.
5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे। राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

क्रं.	नाम	पता	वर्ग
1	डॉ. प्रवीण अग्रवाल	अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, श्री ब्रजभूषण हाऊस, दौलत गंज ग्वालियर (म.प्र.)	वाणिज्य
2	श्री दामोदर पटेल	मकान नं. 301, विकास नगर कृषि उपज मंडी के पीछे, जबलपुर (म.प्र.)-482001	कृषि
3	श्री राकेश कुमार गौर	ग्राम कुलहाडा (डोलरिया), जिला होशांगाबाद-461116	कृषि
4	श्री ओमप्रकाश राजाराम पाटीदार	ग्राम गवसन पोस्ट सिंखेड़ा, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट खरगोन	कृषि
5	श्री अशोक कुमार शुक्ला	भारतीय मजदूर संघ, निवास-241, प्रीमियर आर्चड पीपुल्स माल के पीछे, भोपाल	श्रमिक
6	श्री राजीव अग्रवाल	अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज, मण्डीदीप, जिला- रायसेन- 462026	उद्योग
7	श्री गिरीश जयसवाल	अध्यक्ष, लघु उद्योग संघ, उज्जैन, जी/3 सुन्दर अपार्टमेंट सुभाष नगर इन्दौर रोड, उज्जैन	उद्योग

8	श्री प्रशांत मिश्रा	34, पुराना खेड़ापति, विशाल मेघा मार्ट के पास, वार्ड क्रमांक 32, ग्वालियर	घरेलू उपभोक्ता
9	श्री एस.एन. गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आई.ई.एक्स.), कॉरपोरेट ऑफिस, प्लॉट न. सी- 001/ए/1,9 वी मंजिल, मैक्स टॉवर, सेक्टर 16बी, नोएडा (उ.प्र.)- 201301	वाणिज्य
10	डॉ. प्रियंवदा चंदेल	संयुक्त निदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, गोविंदपुरा भोपाल (म.प्र.) -462008	शैक्षणिक और अनुसंधान निकाय
11	डॉ. शंकर चकमा	एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), भोपाल, बाईपास रोड भौरी भोपाल 462066, (म.प्र.)	शैक्षणिक और अनुसंधान निकाय
12	डॉ. मनीष यादव	एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, (एनएलआईयू), केरवा डैम रोड, भोपाल- 462044	शैक्षणिक
13	श्री सौरभ मिश्रा	मुख्य विद्युत अभियन्ता/ ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर-482001	ट्रांसपोर्ट
14	श्री दीपक पालीवाल	जीएम(नेटवर्क ग्रोथ और कॉर्पोरेट विकास) फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एन-11 साइबर सिटी, गुरुग्राम - 122022	ट्रांसपोर्ट/ई-वाहन
15	सुश्री एन जोसे	फैलो, प्रयास (ऊर्जा समूह), पुणे यूनिट III ए, देवगिरी, जोशी रेलवे कोथरूड संग्रहालय लाना औद्योगिक क्षेत्र, कोथरूड, पुणे - 411038	एनजीओ

6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 19th February 2025

No. – 340/MPERC/2025 In exercise of powers under Section 87(1) of the Electricity Act, 2003 and in supersession of earlier notification No.31 /MPERC/2022 dated 5th January, 2022 and notification no. 542/MPERC/2022 dtd. 25/03/2022, the Commission hereby re-constitutes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M.P. Official Gazette.

2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters mentioned under Section 88 of the Electricity Act, 2003.
3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC (Constitution of State Advisory Committee and its functioning) Regulations, 2004 and its amendments.
4. The term of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette.
5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex-officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively. Principal Secretary Food, Civil Supplies and Consumers Protection, Govt. of M.P. shall also be the ex-officio member of the Committee. The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows:

S.No.	Name	Address	Category
1	Dr. Praveen Agrawal	Chairman, Chamber of Commerce and Industries, Shri Brajbhushan House Daulat Ganj, Gwalior, (M.P.)	Commerce
2	Shri Damodar Patel	M.No. 301 Behind Vikas Nagar Krishi Upaj Mandi Jabalpur M.P. 482001	Agriculture
3	Shri Rakesh Kumar Gaur	Gram Kulhada (Dolriya), District – Hoshangabad – 461116	Agriculture
4	Shri Omprakash Rajaram Patidar	Village Gavsan Post Sinkheda, Tehsil and district Khargone	Agriculture
5	Shri Ashok Kumar Shukla	Residence– 241 Premier Arcade Behind People's Mall, Bhopal	Labour
6	Shri Rajeev Agrawal	President, Association of all Industries, Mandideep, Raisen – 462046	Industry
7	Shri Girish Jaiswal	President, Laghu Udyog Sangh, Ujjain, G/3 Sundar Aptment Subhash Nagar Indore Road, Ujjain	Industry

8	Shri Prashant Mishra	34, Old Khedapati, Near Vishal Megha Mart, Ward no. 32, Gwalior	Domestic Consumer
9	Shri S.N. Goyal	Chairman & MD, Indian Energy Exchange (IEX), Corporate office: Plot no. C-001/A/I, 9 th floor, Max Towers, Sector 16B, Noida (UP) – 201301	Commerce
10	Dr. Priyamvada Chandel	Joint Director, Central Power Research Institute, Govindpura, Bhopal (M.P.) – 462008	Academic and Research bodies
11	Dr. Sankar Chakma	Associate Professor, Indian Institute of Science Education and Research (IISER) Bhopal, Bypass Road, Bhauri Bhopal 462066, (M.P.)	Academic and Research bodies
12	Dr. Manish Yadav	Associate Professor, National Law Institute University, (NLIU), Kerwa Dam Road, Bhopal – 462044	Academic
13	Shri Saurabh Mishra	Chief Electricity Engineer /Electrical Energy Management, West Central Railway, Jabalpur – 482001	Transport
14	Shri Deepak Paliwal	GM (Network Growth & Corporate Development), Fortum Charge & Drive India Pvt Ltd. N- 11 Cyber City, Gurugram -122022	Transport/E-Vehicle
15	Ms. Ann Josey	Fellow, Prayas (Energy Group), Pune, Unit III A, Devgiri, Joshi Railway Museum Lana, Kothrud Industrial Area, Kothrud, Pune- 411038, India	NGO

6. Secretary to the Commission shall be the ex-officio Secretary to the State Advisory Committee.

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.